वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़
AI AIRPORT SERVICES

AIR INDIA

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	निगमित सूचना	1
2.	अध्यक्ष का संबोधन	2
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	10
4.	प्रबंधन विचारविमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट	22
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	57
6.	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	61
7.	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र	81
8.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि विवरण	82
9.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	83
10.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण	84
11.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां	86

निगमित सूचना

निदेशक मंडल (दिनांक 03 नवंबर 2023 को)

श्री सतेन्द्र कुमार मिश्रा, अध्यक्ष

श्री पदम लाल नेगी

श्रीमती परमा सेन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री रामबाबू सीएच.

मुख्य वित्त अधिकारी
श्री संदीप मल्होत्रा

कंपनी सचिव
श्रीमती शशी भदूला

लेखापरीक्षक
मैसर्स एस. मान एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार, दिल्ली

बैंकर्स
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड,
एक्सिस बैंक और एसबीआइ बैंक

पंजीकृत कार्यालय
दूसरा तल, जीएसडी भवन,
एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2,
आईजीआई हवाईअड्डा,
नई दिल्ली–110037

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट
लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी–101, 247 पार्क,
एल.बी.एस. मार्ग विक्रोली (पश्चिम)
मुम्बई–400083.

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके समक्ष कंपनी की वर्ष 2022–23 की 20वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (''कंपनी'') (एआईएएसएल) भारत का एक अग्रणी ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता है और यह पेन भारत स्तर पर प्रचालन कर रही है।

एआईएएसएल ने फरवरी, 2013 में प्रचालन आरंभ किया और वर्ष 2014–15 से अपना स्वायत्त प्रचालन आरंभ किया। तब से एआईएएसएल ने अपने स्टैंडएलोन प्रचालन से पहले वर्ष में शुद्ध लाभ अर्जित किया, केवल वित्तीय वर्ष 2020–21 को छोड़कर। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कोविड–19 महामारी के आगमन के कारण कंपनी का प्रचालन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ। हालाँकि, कंपनी अगले वित्त वर्ष 2021–22 से लाभ अर्जित करने की स्थिति में आ गई और उसने अपनी लाभप्रदता जारी रखी, और वित्त वर्ष 2022–23 में कंपनी ने 783.14 मिलियन रुपये का लाभ अर्जित किया है।

एआईएएसएल के पास भारत में 113 हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे व्यापक और सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग उपस्थित है, जिसमें लेह और इस पर सबसे अधिक ऊंचाई वाले बर्फ से ढके हवाईअड्डे, जैसलमेर में रेगिस्तानी हवाई क्षेत्र, अगाति और पोर्ट ब्लेयर में द्वीप हवाईअड्डे, और कालीकट में टेबल–टॉप हवाईअड्डा शामिल हैं।

एआईएएसएल के पास ग्राउंड सहायक उपकरण (जीएसई) और कुशल विशेषज्ञता और अनुभवी जनशक्ति संसाधनों की सबसे बड़ी सम्पत्ति है, जो ग्राउंड हैंडलिंग (जीएच) सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है और जो ए380, ए350 और 777 मैक्स तक सभी प्रकार के यात्री और मालवाहक विमानों को कवर करती है।

अवलोकन – नागर विमानन उद्योग

भारत, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है और इसकी वर्ष 2024 तक यू.के. को पीछे छोड़कर, तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री बाजार बनने की संभावना है। भारतीय विमानन ने भी सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे लाखों रोजगार उत्पन्न हुए हैं। विमानन उद्योग की सबसे तेज वृद्धि को विभिन्न शहरी स्तरों पर हवाईअड्डों के विकास, एक उदारीकृत एफडीआई नीति, सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना और क्षेत्रीय सम्पर्कता पर मजबूत ध्यान देने से गति मिल रही है।

भारत पहले से ही शीर्ष 10 विमानन बाजारों में से एक है, जो वार्षिक आधार पर 105 मिलियन से अधिक घरेलू यात्रियों को सेवा प्रदान करता है, और यात्रियों और कार्गो दोनों के संदर्भ में हवाई यातायात की मात्रा, कोविड–19 वैश्विक महामारी के बाद तीव्र गति से बढ़ रही है। लगभग 6,000 उड़ानों की आवाजाही के साथ, अकेले घरेलू उड़ानों में ही 4 लाख से अधिक यात्री प्रतिदिन (पी.टी.ओ.) यात्रा कर रहे हैं। इसी तरह, लगभग 1,000 उड़ान संचलन वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में लगभग 1.75 लाख यात्री यात्रा कर रहे हैं।

भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय के प्रेरक हस्तक्षेप से भारत में विमानन उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विमानन क्षेत्र के विकास के समर्थन में सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में से एक उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)

योजना, जिसे जून 2016 में आधी उड़ानों को रियायती किराए पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था और इस योजना के 10 वर्ष की अवधि (2026 तक) के लिए जारी रहने की उम्मीद है। उड़ान योजना के तहत, लगभग 75 हवाईअड्डे हैं, जो 11 प्रचालकों द्वारा प्रचालित लगभग 490 आरसीएस मार्गों का संचालन और सहयोग प्रदान करते हैं, जहां से वार्षिक आधार पर लगभग 4.5 लाख उड़ानें प्रचालित हो रही हैं।

अवलोकन– ग्राउंड हैंडलिंग

भारत का ग्राउंड हैंडलिंग सेवा बाजार सुदृढ हो रहा है और अधिकांश हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा संचालकों द्वारा बड़ी संख्या में जीएचए नियुक्त किए जा रहे हैं और वे बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, भारत के ग्राउंड हैंडलिंग सेवा बाजार में प्रसार, हैंडलिंग और राजस्व के मामले में अग्रणी कंपनी है। एअर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज, बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज, सेलेबी एनएएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और इंडो–थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज अन्य प्रमुख जीएचए हैं।

हवाई यात्री और माल यातायात में वृद्धि से भविष्य में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। एयरलाइन बेड़े में वृद्धि और हवाईअड्डे के टर्मिनलों के आधुनिकीकरण और विस्तार का भारत में ग्राउंड–हैंडलिंग सेवाओं के बाजार में प्रमुख योगदान होगा। एअर इंडिया लिमिटेड और इंडिगो के नेतृत्व में लगभग सभी भारतीय वाहकों द्वारा रिकॉर्ड संख्या में विमान ऑर्डर दिए जाने से निष्चित रूप से भारत में ग्राउंड–हैंडलिंग सेवा बाजार में वृद्धि होगी।

विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन उद्योग में मजबूत स्थिति

भारतीय विमानन बाजार, कोविड के बाद अपने निरंतर पुनरूत्थान पथ और उच्च विकास पथ पर अग्रसर है, जिसका निम्नलिखित लक्ष्यों की उपलब्धियों के साथ एआईएएसएल के व्यापार की मात्रा पर सीधा असर पड़ता है, –

- वित्त वर्ष 2022–23 में घरेलू हवाई यात्री यातायात में 60 प्रतिशत की वृद्धि।
- हवाई वाहकों ने वित्त वर्ष 2022–23 में स्थानीय मार्गों पर लगभग 8.52 करोड़ यात्रियों को वहन किया।
- वित्त वर्ष 2023–24 में अंतर्राष्ट्रीय यातायात के, वित्त वर्ष 2020 के पूर्व–कोविड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागर विमानन बाजार है और वर्ष 2024 तक दुनिया में दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार होने के अलावा तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सहित) बाजार बनने की संभावना है।
- भारत में लगभग 750 विमान क्षमता हैं और लगभग सभी प्रमुख घरेलू अनुसूचित प्रचालकों द्वारा अपने बेड़े में विमान ऑर्डर के साथ अगले कुछ वर्षों में लगभग 1000 विमान जोड़ने की उम्मीद है, क्योंकि उनमें से कुछ मौजूदा विमानों की जगह लेंगे जो या तो चरणबद्ध हैं या जिनके पट्टे समाप्त कर दिये गये। पूर्वानुमान के अनुसार, भारत को वर्ष 2038 तक लगभग 2,500 नए वाणिज्यिक विमानों की आवश्यकता होगी।
- इसके अलावा, भारत में एनएसओपी, सरकारी, निजी स्वामित्व वाले और प्रशिक्षण संस्थानों आदि द्वारा लगभग 830 विमान संचालित किए जा रहे हैं।
- भारत में लगभग 12 यात्री एयरलाइंस और 4 कार्गो एयरलाइंस, लगभग 750 विमानों को प्रचालित करती हैं, जिनमें 50+ वाइड–बॉडी विमान, 80+ टर्बो प्रॉप्स विमान और शेष नैरो–बॉडी विमान हैं।
- 81 घरेलू एनएसओपी ऑपरेटरों सहित लगभग 103 एनएसओपी हैं, जो भारत में 344 विमानों का प्रचालन कर रहे हैं। वर्ष 2022–23 में संचालित कुल घरेलू एनएसओपी उड़ानों में शीर्ष 15 एनएसओपी ऑपरेटरों की हिस्सेदारी 73 प्रतिशत से अधिक थी।
- भारत में लगभग 25 से अधिक ग्राउंड हैंडलर विभिन्न हवाईअड्डों पर कार्य कर रहे हैं।
- जनरल एविएशन ऑपरेटरों की ओर से, 150+ बिजनेस जेट, 30+ टर्बो प्रॉप्स और 320+ हेलीकॉप्टर, जो भारत में विभिन्न हवाईअड्डों के लिए निजी चार्टर्स और बिजनेस चार्टर्स उड़ानों के संचालन में संलग्न हैं, जो एआईएएसएल के लिए एक संभावित व्यवसाय है।

- एअर इंडिया, लगभग 470 विमान अर्थात नैरो–बॉडी विमान और वाइड–बॉडी विमान अधिग्रहण कर रही है।
- इंडिगो लगभग 500 नैरो–बॉडी विमान अधिग्रहण कर रहा है।
- भारत ने वर्ष 2025 तक परिचालित हवाईअड्डों की संख्या को 220 तक बढ़ाने की योजना बनाई है।
- नगर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने कहा है कि विमानन में वृद्धि से हवाईअड्डों, एयरलाइंस, एफटीओ, एमआरओ और जीएच में प्रत्यक्ष रोजगार बढ़ने की संभावना है।

ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां भी भारत में विमानन क्षेत्र की वृद्धि की प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं (उच्च उड़ानें संचालित होने से संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों के लिए एक बड़ा राजस्व पूल स्थापित होता है)।

उड़ान योजना 5.2 के आरंभ होने के साथ, नए पहचाने गए मार्गों के तहता, आज तक लगभग 500 आरसीएस रूट चालू हो गए हैं। एआईएएसएल अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति के आधार पर अपनी बाजार नेतृत्व स्थिति को और मजबूत करने के लिए अच्छी स्थिति में है। हालाँकि, ऐसी क्षेत्रीय सम्पर्कता सेवा उड़ानों को बनाए रखना और जारी रखना, एयरलाइंस के लिए एक चुनौती है, और इस प्रकार एआईएएसएल और इन UDAN हवाईअड्डों पर संचालित होने वाले अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के लिए एक चुनौती है।

ग्राउंड हैंडलिंग विनियमन, 2018

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने (ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ) विनियमन, 2018 जारी किया, जो 30 अक्टूबर 2018 को लागू हुआ और इसने भारत के ग्राउंड हैंडलिंग क्षेत्र या तीसरे पक्ष के ग्राउंड हैंडलिंग और सेल्फ हैंडलिंग के आकार और संरचना को विनियमित किया है। यह पहली बार था कि भारत के पास विमानन क्षेत्र के लिए एकल–दस्तावेज दृष्टिकोण था और यह एक स्वागत योग्य पहल थी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ) विनियमन, 2018 में आगे और संशोधन करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ) संशोधन विनियम, 2023 जारी किया, जिनमें पहले ही वर्ष 2019 और 2020 में संशोधन किया गया था।

<u>निजी हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डीजीसीए एआई परिपत्र, 2022</u>:

डीजीसीए ने दिनांक 25 फरवरी 2022 को एआईसी एस. सं 03/2022 जारी किया था, अर्थात ''भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित हवाईअड्डों के अलावा अन्य हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग (जीएच) सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान करना'' अर्थात उन सभी हवाईअड्डों के लिए जीएच नीति जो निजी प्रचालकों द्वारा प्रबंधित हैं। इसने जीएच नीति के संदर्भ में निजी हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं को समान रूप से विनियमित किया है।

<u>भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण– एईआरए</u>

- एईआरए, एक स्वतंत्र आर्थिक नियामक है, जिसका उद्देश्य समान अवसर पैदा करना, सभी प्रमुख हवाईअड्डों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, हवाईअड्डे की सुविधाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना और वैमानिकी सेवाओं के लिए शुल्कों को विनियमित करना है।
- एईआरए अधिनियम, 2008 के रूप में एईआरए के वैधानिक कार्यों में से एक, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के विशिष्ट संदर्भ में, हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करना है।
- सभी हितधारकों के लिए हानिकारक एकाधिकारवादी प्रथाओं को हटाकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।

कंपनी का निष्पादन

वित्तीय

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी का कुल राजस्व 9,322.98 मिलियन रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कुल पुनर्कथित राजस्व 7,220.56 मिलियन रुपये था। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 7,333.29 मिलियन रुपये के पुनर्कथित व्यय की

तुलना में कुल व्यय 8350.01 मिलियन रहा। दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ 972.97 मिलियन रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पुनर्कथित कर पूर्व हानि 112.73 मिलियन रुपये थी। इस अवधि के दौरान शुद्ध लाभ 783.14 मिलियन रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 59.96 मिलियन रुपये का पुनर्कथित शुद्ध लाभ था।

प्रमुख वित्तीय उपलब्धियाँ

- एआईएएसएल ने कंपनी के परिचालन के बाद से वित्त वर्ष 2022–23 में 9,322.98 मिलियन रुपये का अब तक का सबसे अधिक अर्जित राजस्व दर्ज किया है। 8944.73 मिलियन रुपये का टर्नओवर पिछले वर्ष का 1.28 गुना है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 (कोविड अवधि) को छोड़कर, एआईएएसएल, अपने परिचालन के बाद से ही लाभ अर्जित करने वाली कंपनी रही है। उस कोविड वर्ष के तुरंत बाद, कंपनी की लाभप्रदता के क्रम को बहाल कर दिया गया है
- वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कर पूर्व लाभ अर्थात 972.97 मिलियन रुपये पिछले वर्ष की तुलना में एक सम्मानजनक लाभ है।
- एआईएएसएल ने अपने परिचालन के बाद से गैर–अनुसूचित परिचालन से 371.84 मिलियन रुपये का उच्चतम राजस्व दर्ज किया है।
- एआईएएसएल को लगातार दूसरे वर्ष '' निल क्वालिफिकेशन'' के साथ वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अपनी स्थापना के लगभग 10 वर्षों के बाद ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करना प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- एआईएएसएल, अपनी स्थापना के बाद से ही सफलतापूर्वक ऋण–मुक्त कंपनी बनी हुई है।
- वर्ष के दौरान सभी वैधानिक अनुपालनों का अनुपालन किया गया है।
- कंपनी की कुल संपत्ति 3451.40 मिलियन रुपये से बढ़कर 4230.70 मिलियन रुपये हो गई है।
- आंतरिक रूप से सृजित और प्रतिधारित आय का उपयोग, इसके सभी व्ययों के लिए किया जाता है, जिसमें मूल कंपनी, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) या भारत सरकार से धन सहायता मांगे बिना, पुराने ग्राउंड सपोर्ट उपकरण को बदलने के लिए सबसे आवश्यक कैपेक्स आवश्यकताएं भी शामिल हैं। बैंकों से कर्ज लेने का विकल्प अभी भी खुला है।
- किसी भी कंपनी की अच्छी स्थिति, उसके वित्तीय अनुपात से निर्धारित होता है। एआईएएसएल अपने बहुत ही स्वस्थ वित्तीय अनुपात के साथ, पेशेवर ढंग से, गर्व से अपना व्यवसाय चला रहा है।
- एआईएएसएल अपनी आंतरिक रूप से सृजित आय का समर्थन करके, न्यूनतम वेतन अनुपालन को पूरा करने में सक्षम है। गैर–अनुपालन वर्षों का बकाया भी आंतरिक आय से पूरा किया जा रहा है।
- पिछले कुछ वर्षों में इंड एएस आवश्यकताओं और विभिन्न लेखापरीक्षा रिपोर्टों के निष्कर्षों के अनुपालन में लेखों का पूर्ण समायोजन और समाधान किया गया है।
- एआईएएसएल के इतिहास में पहली बार, एआईएएसएल के परिवर्तन और छवि बदलाव की प्रक्रिया में कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए स्वीकृति देते हुए प्रत्येक कर्मचारी को बोनस का भुगतान किया जा रहा है।

प्रचालनिक

- एआईएएसएल ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 87,246 उड़ानों की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 1,09,024 उड़ानें (एआई समूह और एलायंस एयर उड़ानें) की व्यवस्था की है।
- इसी तरह, एआईएएससल ने वित्त वर्ष 2022–23 में एयरलाइनों की 95,112 अनुसूचित उड़ानें की व्यवस्था की हैं, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 66,570 उड़ानें की व्यवस्था की गई थी।
- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 13,706 उड़ानों की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान गैर–अनुसूचित प्रचालकों की 16,471 उड़ानें की व्यवस्था की गई।
- वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 115 हज उड़ानें प्रचालित की गईं।

- एआईएएसएल, भारत और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी है, जिसकी उपस्थिति, भारत में 113 हवाईअड्डों पर है। एआईएएसएल की उपस्थिति की तुलना में भारत में दूसरी सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी की उपस्थिति केवल 16 हवाईअड्डों पर है। एआईएएसएल के पास अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ग्राहक एयरलाइनों का एक विविध मिश्रण है, जिसमें कार्गो मालवाहक विमानों के अलावा अनुसूचित और गैर–अनुसूचित उड़ान प्रचालन शामिल हैं।
- दिनांक 01 मई 2023 तक, एआईएएसएल के पास 48 प्रतिशत की सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी है (33 हवाईअड्डों को ध्यान में रखते हुए जहां तृतीय पक्ष एयरलाइंस प्रतिस्पर्धियों के साथ काम करती हैं)।
- एआईएएसएल के पास एचएएल हवाईअड्डे पर मेसर्स एचएएल, बीएलआर के सहयोग से उस हवाईअड्डे पर सभी रक्षा विमानों को संभालने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की व्यवस्था है। एआईएएसएल पूरे नेटवर्क में रक्षा कर्मियों के परिवहन के लिए हाल ही में डीआरडीओ/आईएएफ द्वारा एअर इंडिया से खरीदे गए ए–321 विमान की व्यवस्था करने के लिए भी तैयार है।

मुंबई और चेन्नई में कार्गो गोदाम प्रबंधन :

- एआईएएसएल भारतीय सीमा शुल्क की ओर से मुंबई और चेन्नई दोनों हवाईअड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो भंडारणों का प्रबंधन और संचालन करता है। निरंतर प्रयासों से, एआईएएसएल ने अपने चेन्नई कार्गो वेयरहाउस के लिए बीसीएएस से विनियमित एजेंट (आरए) का स्तर प्राप्त कर लिया है और इसके अलावा, मुंबई कार्गो वेयरहाउस के लिए बीसीएएस से समान आरए स्थिति प्राप्त करने के लिए दस्तावेज भी बीसीएएस के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
- इसके अलावा, एआईएएसएल, चेन्नई और मुंबई दोनों कार्गो भंडारणों के लिए आरए–3 का स्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, इससे स्क्रीनिंग के बाद यहां से सीधे यूके, यूरोप और अन्य यूरोपीय संघ के देशों में माल प्रेषण की सुविधा होगी।
- एआईएएसएल, भारत के लगभग सभी घरेलू हवाईअड्डों पर, जहां भी अधिकृत है, कार्गो हैंडलिंग सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, एआईएएसएल विमान यूनिट लोड डिवाइस (यूएलडी) (कंटेनर और पैलेट) और इनफ्लाइट कैटरिंग मील कार्ट की मरम्मत के अलावा केबिन की सफाई, गहरी सफाई और केबिन ड्रेसिंग सेवाएं भी प्रदान करता है।

वीवीआईपी/एसईएसएफ/रक्षा उड़ानें

एआईएएसएल को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने और भारत के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की वीवीआईपी उड़ानों की व्यवस्था कराने का विशेषाधिकार प्राप्त है, क्योंकि एआईएएसएल को एसईएसएफ के संचालन के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा सभी भारतीय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों (सिविल एन्क्लेव और रक्षा एन्क्लेव हवाईअड्डों सहित) पर वीवीआईपी उड़ानों की व्यवस्था हेतु एकमात्र ग्राउंड हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह आईएएफ, बीएसएफ, भारतीय नौसेना, डीआरडीओ, एचएएल, एनएसजी आदि जैसे सभी भारतीय हवाईअड्डों पर रक्षा बलों की ओर से सभी उड़ानों की भी व्यवस्था करता हैं। एआईएएसएल की नियुक्ति के बाद, एआईएएसएल एअर इंडिया से सफलतापूर्वक कार्यभार संभालने के बाद सभी विदेशी हवाईअड्डों (विदेशी) पर एसईएसएफ/वीवीआईपी उड़ानों के समन्वय, व्यवस्था और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा एकमात्र ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में जीएच कार्यों का निर्वहन कर रहा है।

एअर इंडिया और उनके समूह की कंपनियों जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया और विस्तारा (अब टाटा द्वारा प्रबंधित), और अन्य प्रमुख ग्राहक एयरलाइंस के अलावा विभिन्न हवाईअड्डा ऑपरेटरों की लंबे समय से लंबित मांग के अनुरूप, एआईएएसएल ने पुराने ग्राउंड हैंडलिंग सहायता उपकरण (जीएसई) को अपग्रेड करने का कार्य शुरू कर दिया है। एआईएएसएल अंततः दो वर्षों में एक बड़ी राशि खर्च करके बड़ी संख्या में ब्रांडेड और पूर्णतः नए जीएसई सहित मौजूदा जीएसई को नया रूप देने की प्रक्रिया में है।

एआईएएसएल को एक मूल्यवान सदस्य के रूप में भी मान्यता दी गई है और वर्ष 2022 के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आयटा) ग्राउंड हैंडलिंग पार्टनरशिप प्रोग्राम में शामिल किया गया है। एआईएएसएल ने ग्राउंड हैंडलिंग में वैश्विक पद्धतियों के बराबर विशेषज्ञता प्राप्त करने के अलावा आयटा पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त करना जारी रखा है।

परिचालन संबंधी प्रमुख उपलब्धियाँ

- एआईएएसएल ने पूरे भारत में अब तक के सबसे अधिक और रिकॉर्ड संख्या में हवाईअड्डों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसे नीचे दिए गए मानचित्र में देखा जा सकता है:

- एआईएएसएल के पास उपलब्ध ग्राउंड सपोर्ट उपकरण का उच्चतम (इष्टतम से अधिक) उपयोग है।
- वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एआईएएसएल के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक उड़ानें अर्थात 2,20,722 उड़ानों की व्यवस्था की गईं।
- वित्त वर्ष 2022–23 में एआईएएसएल द्वारा संचालित क्षेत्र और ग्राहकवार उड़ानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्षेत्र	एअर इंडिया	एलायंस एयर	एअर इंडिया एक्सप्रेस	तीसरा पक्ष एयरलाइनें	गैर अनुसूचित प्रचालक	हज उड़ाने	कुल
	उड़ानों की संख्या						
उत्तर	9,957	10,680	1,468	19,200	5,032	-	**46,337**
दक्षिणी	12,121	4,920	9,684	27,522	33,39	-	**57,586**
पूर्वी	14,307	9,484	-	31,964	2,118	92	**57,965**
पश्चिमी	29,867	5,547	989	16,426	5,982	23	**58,834**
कुल	**66,252**	**30,631**	**12,141**	**95,112**	**16,471**	**115**	**2,20,722**

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में एक सीएसआर समिति का गठन किया है और उच्च प्रभाव, संधारणीय कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान देने के उद्देश्य से सीएसआर नीति निर्धारित की है। कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीएसआर प्रावधानों के अनुसार, एआईएएसएल को वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान किसी भी नए सीएसआर योगदान को खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल पिछले वर्ष के आवंटित सीएसआर निधि के अंतर्गत चल रही परियोजना के अलावा, जिसे इस वर्ष के दौरान आईजीआरयूए, अमेठी के लिए ट्रेनर एयरक्राफ्ट अधिग्रहित करने के लिए खर्च किया जा रहा है।

चालू सीएसआर परियोजनाओं से संबंधित अप्रयुक्त सीएसआर निधियों के विवरण सहित सीएसआर गतिविधियों पर एक विस्तृत रिपोट **अनुबंध–II** के रूप में संलग्न है।

निगमित शासन

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वर्ष के दौरान जहां भी लागू हो, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। कंपनी, स्व–मूल्यांकन के आधार पर, वित्त वर्ष 2022–2023 के लिए डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए ''उत्कृष्ट'' ग्रेड के अंतर्गत आती है। डीपीई ने वर्ष 2021–22 के दौरान, डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए एआईएएसएल को ''उत्कृष्ट'' ग्रेडिंग से भी सम्मानित किया है।

आभारोक्ति

मैं, इस अवसर पर एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन महानिदेशक, ऐरा (भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण) और नागर विमानन मंत्रालय को उनके अनवरत समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं भारत में सभी निजी हवाईअड्डा प्रचालकों (जीएमआर, अडानी हवाईअड्डे, सीआईएएल, आदि), बैंकों और नियामक एजेंसियों सहित सभी राज्य सरकारों और अन्य हितधारक, द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी आभार प्रकट करता हूं और सभी को आश्वस्त करता हूं कि हम एआईएएसएल को साथ लेकर विकास पथ पर आगे बढ़ना जारी रखेंगे। मैं बोर्ड में अपने सहयोगियों को, उनके बहुमूल्य योगदान और मार्गदर्शन के लिए और कंपनी में बदलाव लाने और सभी क्लाइंट एयरलाइंस की संतुष्टि के लिए सभी मोर्चों पर परिवर्तन लाने में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में केएमपी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से, एआईएएसएल के सभी कर्मचारियों को भी इस अवसर पर आगे बढ़ने और विश्व को उत्कृष्टता की खोज में हमारी टीम भावना की ताकत और लचीलापन दिखाने के लिए अनुकरणीय प्रयास करने हेतु धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने प्रत्येक कर्मचारी के प्रति उनके व्यक्तिगत योगदान के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमेशा एआईएएसएल की छवि को बरकरार रखा है और आवश्यकता के इस समय में वांछित परिवर्तन को सक्रीय बनाया है।

बोर्ड की ओर से, मैं हमेशा की तरह सभी से निरंतर समर्थन चाहता हूं।

हस्ता/–
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष

दृष्टि / विजन :

सभी भारतीय हवाईअड्डों पर विश्वस्तरीय ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने में अग्रणीय रहते हुए इसे विश्वस्तर तक बढाना।

मिशनः

ग्राहक

- सुरक्षित, विश्वसनीय और समयबद्ध सेवा प्रदान करना।
- सभी भारतीय हवाईअड्डों पर उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करना।
- अत्याधुनिक रैम्प उपकरण उपलब्ध कराना।
- भारतीय परम्परागत आतिथ्य के शिखर पर पहुंचना।

प्रकिया

- सुरक्षा एवं सक्षमता के स्तर में निंरतर सुधार।
- रैम्प उपकरण का निंरतर आधुनिकीकरण एवं उन्नयन।

कार्यदल

- उर्जावान /उत्साही, योग्य एंव उच्च प्रेरित कर्मिकों की टीम बनाए रखना ।
- कार्य नीति का उच्च स्तर बनाए रखना ।

निदेशकों की रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की बीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता है।

वित्तीय निष्पादन

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**2022-23**	**2021-22 (पुनर्कथित)**
कुल राजस्व	9322.98	7220.56
कुल व्यय	8350.01	7333.29
असाधारण मद और कर पूर्व लाभ (हानि)	**972.97**	**(112.73)**
कर पूर्व लाभ (हानि)	**972.97**	**(112.73)**
चालू कर	235.77	शून्य
कर के लिए अल्प प्रावधान	शून्य	24.62
आस्थगित कर परिसंपत्ति	(45.94)	(197.30)
कर पूर्व निवल लाभ (हानि)	**783.14**	**59.96**

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी का कुल राजस्व 9,322.98 मिलियन रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पुनर्घोषित राजस्व 7,220.56 मिलियन रुपये था। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 7,333.29 मिलियन रुपये के पुनर्कथित व्यय की तुलना में कुल व्यय 8350.01 मिलियन रहा। दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ 972.97 मिलियन रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पुनर्घोषित कर पूर्व हानि 112.73 मिलियन रुपये थी। इस अवधि के दौरान शुद्ध लाभ 783.14 मिलियन रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 59.96 मिलियन रुपये का पुनर्घोषित शुद्ध लाभ था।

अन्य वित्तीय सूचनाएं

शेयर पूंजीः

वर्ष के दौरान कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 1000,00,00,000/– रुपये (एक हजार करोड़ रुपये) थी।

वर्ष के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 138,42,42,000/– रुपये (प्रत्येक 10/– रुपये के 13,84,24,200 इक्विटी शेयर) थी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और पूरी शेयरधारिता एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के पास है।

शेयर पूंजी में परिवर्तन, यदि कोई है

कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

कर्मचारियों की संख्या

विभिन्न भारतीय हवाईअड्डों पर नॉन–शेड्यूल्ड प्रचालक उड़ानों सहित एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एलायंस एअर एवं अन्य ग्राहक एअरलाइनों की उड़ानों की हैंडलिंग की आवश्यकता के आधार पर 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में संविदा आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार हैः

विवरण	संख्या
मुख्य कार्यपालक अधिकारी	1
महाप्रबंधक–जीएस(ओ)	2
कंपनी सचिव	1
उप महाप्रबंधक	5
मुख्य वित्तीय अधिकारी	1
उप सीओएफ एवं एजीएम(ओ)–वित्त	1
एजीएम/एजीएम–जीएच/एजीएम–एचआर/वरिष्ठ प्रबंधक	38
वरिष्ठ प्रबंधक – रैम्प	1
मुख्य सुरक्षा अधिकारी	1
उप टर्मिनल प्रबंधक / सहायक टर्मिनल प्रबंधक / टर्मिनल प्रबंधक / ड्यूटी प्रबंधक / ड्यूटी अधिकारी / उप रैंप मैनेजर / चीफ एयरक्राफ्ट ऑपरेटर /लेखा सहायक / सहायक–एचआर/ कार्यपालक–आईआर / कार्यपालक एमएमडी / मुख्य सुरक्षा अधिकारी–सह–उप टर्मिनल प्रबंधक/कार्यपालक–वाणिज्यिक, प्रशिक्षण और हज उड़ानें, वीवीआईपी और एसईएसएफ/कार्यपालक–एसईएसएफ तथा हज चार्टर/वरिष्ठ कार्यपालक – अनुरक्षण/वरिष्ठ कार्यपालक – आईटी/सहायक क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वयक/ सहायक कार्यकारी कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस/ उप प्रबंधक	174
विमान परिचालक, एप्रन पर्यवेक्षक, सहायक–I, सहायक–II, वरिष्ठ चालक/रैंप ऑपरेटर	646
कनिष्ठ सेवा इंजीनियर, वरिष्ठ अधीक्षक, सेवा इंजीनियर, प्रबंधक सेवा इंजीनियरए अधीक्षक सर्विस इंजीनियर/ वरिष्ठ सुपर तकनीशियन	66
अधिकारी मानव संसाधन/अधिकारी लेखा/अधिकारी बी एंड डी/अधिकारी कार्मिक	24
प्रबंधक–वित्त/कार्यवाहक वित्त प्रबंधक	4
प्रबंधक–एचआर	2
प्रबंधक–आईटी	1
प्रबंधक–तकनीकी	1
कनिष्ठ कार्यपालक–तकनीकी	102
कनिष्ठ कार्यपालक–यात्री हैंडलिंग/कनिष्ठ कार्यपालक–मानव संसाधन	175
ग्राहक एजेंट/पैरा मेडिकल एजेंट–सह–केबिन सेवा एजेंट	2972
जूनियर ग्राहक एजेंट	625
वरिष्ठ ग्राहक एजेंट	1164
आरएसए/आरएसए–I/आरएसए(एलजी)	210
वरिष्ठ आरएसए/वरिष्ठ आरएसए–I/सुपरवाइजर आरएसए	428
सुरक्षा एजेंट	56
वरिष्ठ सुरक्षा एजेंट/सुपरवाइजर एसए	29
सेवा एजेंट	419
यूटिलिटी एजेंट–सह–रैंप ड्राइवर	1406
हैंडीमैन/सफाई कामगार	7856
यूटिलिटी सर्विस एजेंट	28
अस्थायी की–एकाउंट होल्डर	1
कुल	**16440**

समझौता ज्ञापन के अनुसार समाहित

आरक्षण नीति का क्रियान्वयनः

वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति के निदेशों एवं वर्ष 1991 एवं 1996 में जारी संशोधित निदेशों के अनुसार आरक्षण नीति का कार्यान्वयन किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति कर्मचारियों का प्रतिशत	अ.ज.जा कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.ज.जा कर्मचारियों का प्रतिशत	ओ.बी.सी कर्मचारियों की कुल संख्या	ओ.बी.सी कर्मचारियों का प्रतिशत
16440	3466	21.08	663	4.03	3545	21.56

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की गतिविधियाँ

एआईएएसएल, भारत के विभिन्न हवाईअड्डों पर एआई ग्रुप (एअर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड), एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (ग्रुप कंपनी), और कई घरेलू और विदेशी एयरलाइंस, कार्गो चार्टर्स प्रचालकों और नॉन–शेड्यूल्ड प्रचालकों को व्यापक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करता है। एआईएएसएल, मुंबई और चेन्नई में एक–एक कार्गो गोदाम भी संचालित करता है।

एआईएएसएल, भारत में एक प्रमुख ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता है और भारत में 113 हवाईअड्डों (सिविल हवाईअड्डों और सिविल एन्क्लेव सहित) पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है। एआईएएसएल वर्तमान में, 81 हवाईअड्डों पर कार्यरत है और अनुरोध पर अतिरिक्त 32 हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की व्यवस्था करती है। इसके अलावा, एआईएएसएल रक्षा एन्क्लेव (हवाईअड्डों) पर सभी रक्षा विमानों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं भी प्रदान करता है।

इसकी सेवाओं को प्रमुख रूप से इस प्रकार चिन्हित किया जा सकता है:

- यात्री हैंडलिंग/ रैंप हैंडलिंग / कार्गो हैंडलिंग/ केबिन सर्विसेज / स्टेशन प्रबंधन।
- वर्तमान में बीओएम और एमएए में कार्गो वेयर हाउस हैंडलिंग और भविष्य में किसी भी अन्य हवाईअड्डे पर सेवाएं।
- मुख्यालय, आईजीआई हवाईअड्डे, दिल्ली में यूएलडी (यूनिट लोडिंग डिवाइस) और मील कार्ट की मरम्मत कार्यशाला का निर्माण और मरम्मत।
- एआईईएसएल के माध्यम से इंजीनियरिंग सेवाएं।
- सहायक कंपनियों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं – एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड और एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड।
- अखिल भारतीय आधार पर नॉन–शेड्यूल्ड उड़ानों, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निजी चार्टर उड़ानों की हैंडलिंग।
- भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ानें (एसईएसएफ) – घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय।
- सरकार की गैर–एसईएसएफ घरेलू हैंडलिंग एजेंसियां (भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, एनएसजी चार्टर) आदि।
- एचएएल – बेंगलुरु, एचएएल हवाईअड्डे पर एआईएएसएल संयुक्त कार्य समूह।

नागर विमानन मंत्रालय के निदेशानुसार दिनांक 31 दिसंबर 2016 से सुरक्षा कारणों से हवाईअड्डों पर आउटसोर्सिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, और गैर–निकायं (जीएचए), दिनाक 15 अगस्त 2021 से पूरी तरह से इस क्षेत्र से बाहर हैं। एआईएएसएल, भारत में सभी परिचालन हवाईअड्डों (जहां गैर–निकाय बाहर हो गए हैं) पर, जहां एआईएएसएल द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सेवाएं प्रदान करने में गर्व की अनुभूति कर रही है। एआईएएसएल में आज की तिथि तक कर्मचारी की कोई आउटसोर्सिंग नहीं की है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने के लिए कंपनी प्रभावी कदम उठा रही है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू किया गया है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समय–समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अधिनियम की धारा–4 के अनुसार, एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा–22 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में दायर यौन उत्पीड़न के मामलों का विवरण, यदि कोई हो, निम्नानुसार है:

- वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या : 15
- वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या : 14
- नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या : शून्य
- यौन उत्पीड़न के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या : एनएएचआरडी द्वारा आयोजित पीओएसएच पर प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से पॉश समिति के सभी सदस्यों को प्रदान किया गया है। इसके अलावा, आंतरिक परिपत्रों के माध्यम से सामान्य जागरूकता कार्यक्रम एआईएएसएल के सभी कार्यालयों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- कंपनी द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाय : कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा कार्मिकों को तैनात किया गया है और समय–समय पर परामर्श सुविधा प्रदान की जाती है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 का अनुपालन

एआईएएसएल ने नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का सफलतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया है।

एआईएएसएल ने दिनांक 18 फरवरी 2014 से आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों/अपील से निपटने के लिए अपनी संरचना को विकेंद्रीकृत कर दिया है, और आवेदनों/अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए। 05 लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), 05 सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ), 01 नोडल अधिकारी और एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान, 41 आरटीआई अनुरोध और 03 अपीलें प्राप्त हुईं और सभी का निस्तारण कर दिया गया है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं है।

लाभांश

निदेशकों द्वारा इस वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

दावा नहीं किए गए लाभांश का निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में स्थानांतरण

चूंकि पिछले वर्षों में भुगतान नहीं किया गया/दावा नहीं किया गया लाभांश नहीं था, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–125 के प्रावधान लागू नहीं होते।

आरक्षित निधि में हस्तांतरित राशि

कंपनी के बोर्ड ने अपनी आरक्षित निधि में शून्य राशि रखने का निर्णय/प्रस्ताव किया है।

जमा राशियां

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

एमएसई अनुपालन

एआईएएसएल का सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को सहयोग प्रदान करने का प्रयास रहता है। एआईएएसएल ने एमएसई से विनिर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए भारत सरकार की सार्वजनिक प्रापण नीति को लागू करने सहित कई कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एमएसई से वास्तविक खरीद 151.55 मिलियन रुपये थी।

सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों संबंधी सूचना

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम कंपनी या सहयोगी कंपनी नहीं है।

भौतिक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

दिनांक 31 मार्च, 2023 एवं बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुए हैं।

निदेशक मंडल की बैठकें

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के तहत यथापेक्षित, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, 7 बोर्ड बैठकें वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गईं और एक बोर्ड बैठक भौतिक रूप से आयोजित की गई। इसके अलावा, दो बैठकों के बीच समय अंतराल संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन किया गया था। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	निदेशक मंडल की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	07 जून 2022	4	3
2	12 जुलाई 2022	4	3
3	02 अगस्त 2022	4	3
4	20 सितंबर 2022	4	3
5	30 नवंबर 2022	4	2
6	09 फरवरी 2023	4	4
7	23 फरवरी 2023	4	2
8	29 मार्च 2023	3	3

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि :

1. वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड एएस) का अनुसरण किया गया है और इसमें कोई वास्तविक विचलन नहीं हैं।
2. चयन की गई लेखाकरण नीतियों को संगत रूप से प्रयुक्त किया गया और निदेशकों ने जो निर्णय लिए और आकलन किए, वे इस रूप से औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं कि वे 31 मार्च 2023 को कंपनी के क्रियाकलापों और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि की सही और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. यह कंपनी गैर–सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, धारा 134(3)(ई) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
5. वार्षिक लेखे सतत सरोकार के आधार पर तैयार किए गए हैं, तथा
6. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां निर्धारित की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्य कर रहीं थीं।

लेखापरीक्षा समिति

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने आरंभ में, नवंबर 2014 में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया और दिनांक 13 दिसंबर 2017 को इसका पुनर्गठन किया गया। इसके अलावा, एअर इंडिया लिमिटेड के विनिवेष के बाद, एआईएएसएल के बोर्ड का पुनर्गठन नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय–समय पर जारी किए गए कई कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से किया गया था। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 28.02.2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, लेखापरीक्षा में परिपत्र सं. 58 के तहत निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया है। दिनांक 14 मार्च 2023 को बोर्ड द्वारा पारित करके, एआईएएसएल की समिति का पुनः पुनर्गठन किया गया है।

वर्तमान समय में लेखापरीक्षा समिति में निम्न सदस्य शामिल हैं:

निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	निदेशक की श्रेणी
श्री पदम लाल नेगी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष	सरकारी नामित निदेशक
श्री एस.के.मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य	सरकारी नामित निदेशक
श्रीमती परमा सेन, अपर सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य	सरकारी नामित निदेशक

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है।

लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए मैसर्स एस.मान एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, दिल्ली को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तर संलग्न हैं। वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ स्व–व्याख्यात्मक हैं और किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है।

सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, दिल्ली को नियुक्त किया है। दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुबंध–V** के रूप में संलग्न है।

लागत लेखापरीक्षा

कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 148(1) के प्रावधानों के अनुसार लागत लेखों और अभिलेखों का रखरखाव किया जाता है और लागत लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी लेखापरीक्षा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 29 दिसंबर 2022 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के समक्ष दायर की गई है।

मेसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार को वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए लागत लेखापरीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था। हालांकि, उन्होंने दिनांक 28.02.2023 को अपना त्यागपत्र दे दिया था, जिसे दिनांक 28.02.2023 को प्रबंधन द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया था और मेसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार के त्यागपत्र के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए बोर्ड द्वारा 29 मार्च 2023 को आयोजित 97वीं बैठक में मेसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

ऋण, गारंटी और निवेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था, और इसलिए, धारा 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया / ऋणों का कोई एकमुश्त निपटान नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण तथा भौतिक आदेश

वर्ष के दौरान विनियामकों, न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण तथा वास्तविक आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे गोइंग कन्सर्न स्थिति तथा कंपनी के भावी प्रचालनों पर प्रभाव पड़े।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समामेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

(क) <u>ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समामेलन</u>

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों के स्वरूप को देखते हुए, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समामेलन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–134(3)(एम) के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित विवरण नहीं प्रस्तुत किए गए हैं।

हालांकि, कंपनी ने ऊर्जा के गैर–नवीकरणीय स्रोतों के संरक्षण और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए, जहां भी संभव हो, सभी प्रयास किए हैं।

(ख) <u>विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय</u>

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय निम्नानुसार थाः

मिलियन अमरीकी डॉलर में

अर्जन	24.38 अमरीकी डॉलर
व्यय	0.04 अमरीकी डॉलर

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, बोर्ड ने आरंभ में दिनांक 23 मई 2016 को एक सीएसआर समिति का गठन किया। इसके आगे, एअर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के बाद, नागरविमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय–समय पर जारी अपने कार्यालय ज्ञापनों के तहत, एआईएएसएल बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। इसके आगे, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 28.02.2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 135 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियामें और लोक उपक्रम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में परिपत्र संकल्प संख्या 58 को पारित करके दिनांक 14 मार्च 2023 को एआईएएसएल की सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया गया है।

निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	निदेशक की श्रेणी
श्री एस.के.मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष	सरकारी नामित निदेशक
श्री पदम लाल नेगी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक
श्रीमती परमा सेन, अपर सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीएसआर प्रावधानों के अनुसार, एआईएएसएल को वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कोई नया सीएसआर योगदान खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी।

हालाँकि, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, एआईएएसएल ने अपने अप्रयुक्त सीएसआर निधि (वित्त वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 से संचित) में से 5,38,90,383/– रुपये की राशि, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण (सीपीएल) प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) को हस्तांतरित कर दी। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कोविड के आगमन और अन्य अपरिहार्य कारणों से उक्त चल रही परियोजना में कोई प्रगति नहीं देखी गई। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आईजीआरयूए के अनुरोध के आधार पर 02.08.2022 को आयोजित बोर्ड बैठक में उक्त परियोजना में संशोधन/रूपांतरित किया गया है। संशोधित परियोजना के अनुसार, आईजीआरयूए को प्रशिक्षक विमान की खरीद के लिए उक्त सीएसआर निधि का उपयोग करना आवश्यक था, और इसके बदले में आईजीआरयूए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7 उम्मीदवारों को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–2023 के पूरा होने पर, उक्त सीएसआर फंड अभी भी आईजीआरयूए के पास अप्रयुक्त पड़े हुए थे। आईजीआरयूए खाते में एफडी के रूप में पड़े अप्रयुक्त धन की पृष्ठभूमि पर, एआईएएसएल ने एक अव्ययित सीएसआर खाता खोला है और सीएसआर अप्रयुक्त धनराशि (अधिशेष के साथ) रु. 5,96,68,779/– (रु. 5,3890,383 + रु.57,78,396) दिनांक 29.04.2023 को आईजीआरयूए खाते से एआईएएसएल के अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने दिनांक 15 सितंबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में सीएसआर समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित को मंजूरी दी है:

(i) सीएसआर प्रावधानों के संदर्भ में और मौजूदा अनुमोदन के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को या उससे पहले ट्रेनर विमान की खरीद के लिए आईजीआरयूए द्वारा खरीद आदेश या किसी समान दस्तावेज को प्रस्तुत करने/जारी करने पर एआईएएसएल अव्ययित सीएसआर खाते में शेष अप्रयुक्त सीएसआर निधि तथा अधिशेष, यदि कोई हो (जिसे आईजीआरयूए के लिए आवंटित किया गया है) के साथ जारी किया जाएगा, और

(ii) मौजूदा बोर्ड की मंजूरी के अनुसार सीएसआर निधि का उपयोग करके, इग्रूआ को प्रशिक्षक विमान खरीदने की अनुमति दी जाएगी, और

(iii) आईजीआरयूए को निर्धारित प्रशिक्षण (पीपीएल/सीपीएल/टाइप रेटिंग) को दिनांक 31.03.2024 से आगे (7 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए) जारी रखने और आईजीआरयूए की लागत पर लगभग 24 महीने में या आईजीआरयूए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। आवंटित सीएसआर निधि के साथ प्रशिक्षक विमान की खरीद के स्थान पर और जिसके लिए आईजीआरयूए एआईएएसएल प्रबंधन को एक वचन देगा कि 7 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों का प्रशिक्षण प्रशिक्षण शुरू होने से लगभग 24 महीनों में या आईजीआरयूए द्वारा निर्धारित के अनुसार पूरा किया जाएगा।

(iv) प्रशिक्षण पूरा होने तक, अर्ध–वार्षिक आधार पर स्टेटस अपडेट प्रदान करने के लिए इग्रुआ को निदेषित किया जाएगा। साथ ही, इग्रुआ को निम्नलिखित पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा:

(क) प्रशिक्षक विमान की खरीद के बाद निधि उपयोग के अनुरूप पूर्णता प्रमाणपत्र।

(ख) विमानों की प्राप्ति तक, भारत में प्रशिक्षक विमान पंजीकरण औपचारिकताओं का पूर्णता प्रमाणपत्र।

(ग) 7 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के सीपीएल प्रशिक्षण के पूरा होने पर सीपीएल प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाणपत्र।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुबंध**–II के रूप में संलग्न है।

सचिवीय मानक

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सभी लागू अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

कॉरपोरेट शासन / संचालन

कंपनी ने कॉरपोरेट शासन की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। विस्तृत कॉरपोरेट शासन की रिपोर्ट पृथक रूप से इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

विस्तृत प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट पृथक रूप से प्रस्तुत की गई है।

वार्षिक रिटर्न का सारांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और धारा 134(3)(क) के प्रावधानों के अनुपालन में, दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक रिटर्न की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.aiasl.in पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा, फॉर्म एमजीटी–9 में वार्षिक रिटर्न का सारांश **अनुबंध**–III में संलग्न है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या किसी लंबित प्रक्रिया का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत, कंपनी के नाम पर कोई आवेदन या कार्यवाही लंबित नहीं थी।

कर्मचारियों का विवरण

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, धारा 134(3)(ई के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

इसके फलस्वरूप, धारा 178(3) के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति एवं अन्य मामलों से संबंधित कंपनी की नीति नहीं उपलब्ध कराई गई है।

इसी प्रकार, धारा–197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का नाम एवं अन्य ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण, जिसे पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान/कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया था और नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक पाते थे, उनका विवरण कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम–5(1)/(2) के साथ पठित धारा–197(12) के निबंधनों के अनुसार नहीं उपलब्ध कराया गया है।

चूंकि एआईएएसएल, सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत सरकार द्वारा सरकारी/डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाती है, जिसमें योग्यताओं एवं अन्य मामले निर्धारित करने के लिए वेतन मानदंड नियत करना भी शामिल है।

वार्षिक मूल्यांकन

दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार, बोर्ड मूल्यांकन से संबंधित धारा 134(3)(पी) के प्रावधान लागू नहीं होते, चूंकि निदेशकों का मूल्यांकन नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशक एवं घोषणा

एआईएएसएल, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद–97 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो प्रशासनिक मंत्रालय/एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जो कि भारत सरकार के निदेशों के अधीन वे ऐसा कर सकते हैं।

एआईएएसएल, एक गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और आई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 5 जुलाई 2017 के परिपत्र के अनुसार, गैर–सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के प्रावधान से छूट दी गई है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–178 के तहत नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में दिनांक 13.07.2017 की अधिसूचना सं. जीएसआर 880 (ई) के तहत गैर–सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को छूट प्रदान की गई है। एआईएएसएल को एआई एसेट्स हाल्डिंग लिमिटेड की गैर–सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण इन प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

पारिश्रमिक नीति

कार्यपालक निदेशकों एवं गैर–कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक

कंपनी के निदेशकों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–197 के प्रावधान दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना, जो कंपनी के संचालन के अनुरूप हो।

इसके अलावा, कंपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करने की प्रक्रिया में है ताकि परिकल्पित सभी क्षेत्रों के कवरेज को सुनिश्चित किया जा सके और स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, उपयोगकर्ता विभागों पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

मैसर्स जी. दीप एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, दिल्ली को आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए व्यापार प्रक्रियाओं और नियंत्रणों की समीक्षा की जा सके, जिससे कि सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के संसाधनों का इष्टतम प्रयोग और कंपनी की संपत्ति की रक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

धोखाधड़ी के संबंध में प्रकटन

लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा समिति या बोर्ड को धोखाधड़ी के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी निम्न उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन नीति बनाने की प्रक्रिया में है :

- जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराना।
- जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा अपनाया गया तरीका स्पष्ट करना।
- प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना को परिभाषित करना।
- एक ''जोखिम'' संस्कृति विकसित करना, जिससे सभी कर्मचारियों को जोखिमों और उससे जुड़े अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उन पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

- कंपनी के मानव, भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजनाबद्ध तथा समन्वित रूप से, न्यूनतम बाधा एवं लागत के साथ, मौजूदा और नए जोखिमों का पता लगाना, मूल्यांकन करना और प्रबंधन करना।

प्रबंधन

निर्देशक

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी के निदेशकों और केएमपी की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	सेवा समाप्त होने की तिथि
1.	श्री विक्रम देव दत्त	अध्यक्ष और नामिती निदेशक	27.01.2022	28.02.2023
2.	श्रीमती परमा सेन	नामिती निदेशक	11.02.2022	-
3.	श्री एस के मिश्रा	नामिती निदेशक *(01.03.2023 को अध्यक्ष के रूप में चुने गए)*	02.02.2017	-
4.	श्री वी के पटवर्धन	नामिती निदेशक	20.03.2020	14.12.2023
5.	श्री राजेश सिंह श्रीनरायण शर्मा	नामिती निदेशक	14.12.2022	18.01.2023
6.	श्री पदम लाल नेगी	नामिती निदेशक	18.01.2023	-

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	सेवा समाप्त होने की तिथि
1.	श्री रामबाबू सीएच.	सीईओ	31.07.2021	-
2.	श्री सत्य नारायण पांडा	सीएफओ	13.12.2021	31.12.2022
3.	श्री संदीप मल्होत्रा	सीएफओ	09.02.2023	-
4.	श्रीमती शशी भदूला	सीएस	11.06.2020	-

संबंधित पक्ष संव्यवहार

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं अथवा व्यवस्थाएं की हैं, जो सामान्य कारोबार के दौरान निकट संबंधों पर आधारित थी। ये संव्यवहार अधिनियम की धारा 188(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते।

किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के बारे में आम सभा में कंपनी का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी धारा 188 की उप धारा (1) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुकों से छूट सरकारी कंपनी को उपलब्ध कराई गई है।

कंपनी ने दिनांक 2 अगस्त 2022 को आयोजित अपनी 92वीं बोर्ड बैठक में वर्ष 2022–23 के दौरान लगभग 65.84 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि के लिए एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और अन्य सहायक कंपनियों (सरकारी कंपनियों) के साथ अनुबंध/व्यवस्था करने के लिए बोर्ड की मंजूरी प्राप्त कर ली है। फॉर्म एओसी–2 में संबंधित पक्ष संव्यवहार का विवरण अनुबंध–IV में संलग्न है।

कंपनी के निदेशकों, प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देन नहीं था, जो संभावित रूप में कंपनी के हितों के प्रतिकूल हो सकता था।

आभारोक्ति

बोर्ड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखापरीक्षक तथा अन्य विभिन्न सरकारी विभागों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है।

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

ह/–
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.11.2023

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

राजस्व

- पिछले वर्ष के 7220.56 मिलियन रूपए की पुनर्घोषित राशि की तुलना में **इस वर्ष के दौरान कुल अर्जित राजस्व 9322.98 मिलियन रूपए था।**

व्यय

- पिछले वर्ष के 7333.29 मिलियन रूपए की पुनर्घोषित राशि की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल खर्च 8350.01 मिलियन रूपए था।

2. भावी परिदृश्य

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, दिनांक 01 फरवरी, 2013 को प्रचालन में आई थी और कंपनी ने अप्रैल, 2014 से स्वतंत्र प्रचालन आरंभ किए। कंपनी वर्तमान में भारत में 113 हवाईअड्डों (81 हवाईअड्डों पर एआईएएसएल, पूर्ण रूप से प्रचालनिक है और 32 हवाईअड्डों पर एआईएएसएल व्यवसाय विकास के अनुसार स्थापित हो रही है) पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है।

वर्तमान परिदृश्य में, ग्राउंड हैंडलिंग (यात्री, रैंप और कार्गो) का कार्य, 7 भारतीय अनुसूचित एयरलाइनों (एआई समूह – एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ानों सहित), 5 क्षेत्रीय एयरलाइनों (एलायंस एयर उड़ानों सहित), 1 घरेलू कार्गो एयरलाइन, 65 विदेशी अनुसूचित एयरलाइनों, 4 मौसमी चार्टर एयरलाइनों और 22 विदेशी एयरलाइनों को प्रदान किया गया जो गैर–अनुसूचित हैंडलिंग के अलावा (एपीईडीए) नाशवान कार्गो हैंडलिंग का भी लाभ उठा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, एआईएएसएल विमान यूनिट लोड डिवाइस (यूएलडी) और मील कार्ट की मरम्मत के अलावा केबिन की सफाई और केबिन ड्रेसिंग सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में एआईएएसएल द्वारा पोषित क्षेत्र और ग्राहकवार उड़ानों (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्षेत्र	एअर इंडिया	एलायंस एयर	एअर इंडिया एक्सप्रेस	तृतीय पक्ष एयरलाइनें	गैर अनुसूचित प्रचालक	हज उड़ाने	कुल.
	उड़ानों की संख्या						
उत्तर	9,957	10,680	1,468	19,200	5,032	-	**46,337**
दक्षिणी	12,121	4,920	9,684	27,522	33,39	-	**57,586**
पूर्वी	14,307	9,484	-	31,964	2,118	92	**57,965**
पश्चिमी	29,867	5,547	989	16,426	5,982	23	**58,834**
कुल	**66,252**	**30,631**	**12,141**	**95,112**	**16,471**	**115**	**2,20,722**

एआईएएसएल के भविष्य के दृष्टिकोण को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है :

- एआईएएसएल, प्रणाली के स्वचालन के लिए एसएपी से नई ईआरपी प्रणाली की ओर अग्रसर है।
- एआईएएसएल ने एमएए पर एआई से कार्गो वेयरहाउसिंग कस्टोडियनशिप का प्रभार ग्रहण कर लिया है, जो राजस्व सृजन में वृद्धि करेगा।
- एआईएएसएल ने अपने चेन्नई कार्गो वेयरहाउस के लिए बीसीएएस से विनियमित एजेंट (आरए) का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा, एआईएएसएल चेन्नई और मुंबई कार्गो वेयरहाउस दोनों के लिए आरए–3 का स्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, जिसमें मुंबई कार्गो वेयरहाउस के लिए आरए स्तर भी शामिल है।

- एआईएएसएल, नई सेवाएं आरंभ करने और अतिरिक्त व्यवसाय लाने के लिए एमएए कार्गो वेयरहाउस में अंतर्राष्ट्रीय कूरियर व्यवसाय का प्रचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
- एआईएएसएल, भारत और विदेश दोनों में एसईएसएफ प्रचालन को सुविधाजनक बनाना जारी रखे हुए है।
- एआईएएसएल भारत में रक्षा परिक्षेत्रों सहित सभी हवाईअड्डों पर रक्षा बलों द्वारा संचालित संपूर्ण विमानों के प्रबंधन की सुविधा प्रदान कर रहा है।
- एआईएएसएल विश्वव्यापी एयरलाइनों और वैश्विक गैर–अनुसूची प्रचालकों के बीच दृश्यता के लिए आईएटीए विश्वव्यापी प्लेटफॉर्म पर स्वयं को जोड़कर आईएटीए ग्राउंड हैंडलर्स पार्टनरशिप (आईएटीए जीएचपी) में शामिल हो गया है।
- एआईएएसएल, नेटवर्किंग और सोर्सिंग व्यवसाय के लिए विश्व ग्राउंड हैंडलिंग सम्मेलनों में भाग लिया है।
- पेशेवरों के साथ सुरक्षा, मानव संसाधन, एमएमडी और आईटी अनुभागों का नवीकरण किया गया है।
- एआईएएसएल ने आईएसएजीओ प्रमाणीकरण के अनुपालन और उसे प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
- एआईएएसएल, भारतवर्ष में विभिन्न हवाईअड्डों पर कार्यालय स्थापित करने और ग्राउंड हैंडलिंग बाजार हिस्सेदारी में प्रमुखता स्थापित करने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है।
- ग्राहक एयरलाइनों की सेवा स्तर समझौते अपेक्षाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
- ग्राहक एयरलाइनों के सेवा मानकों में सुधार और रखरखाव के लिए नेटवर्क के सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों को ग्रूमिंग और सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण प्रदान करना।
- कर्मचारियों के लिए वर्दी और सुरक्षा पीपी आरंभ करना।
- ग्राउंड हैंडलिंग संबंधी घटनाओं और विमान क्षतियों को कम करने और न्यूनतम बनाने करने के लिए सुरक्षा संस्कृति को विकसित करना। एआईएएसएल में पेशेवरों के साथ एसएमएस/क्यूएमएस अनुभाग स्थापित किया जा रहा है।
- कार्यात्मक प्रशिक्षण के महत्व पर बल देना, और कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ग्राहक एयरलाइनों को तकनीकी सहायता प्रदान करना और लाइन रखरखाव के संदर्भ में एआईएएसएल ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना।
- एअर इंडिया समूह के अलावा अन्य ग्राहक एयरलाइनों को यूएलडी मरम्मत सेवाएं प्रदान करना।
- एआईएएसएल की नई ईआरपी प्रणाली के माध्यम से गैर–अनुसूचित एयरलाइन प्रचालकों के भुगतान के लिए भुगतान गेटवे की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।
- अपने कुशल कार्यबल का उपयोग करके प्रमुख बेस स्टेशनों (बीओएम, एमएए, सीसीयू, सीओके, जीओआई, पीएनक्यू, एटीक्यू) पर स्थित अपनी कार्यशालाओं का संचालन करना, जिससे रखरखाव की लागत की व्यापक बचत होती है।
- पूंजीगत व्यय के लिए बोर्ड के अनुमोदन के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से पुराने ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण को प्रतिस्थापित करने की योजना है।
- बोर्ड के अनुमोदन के अनुरूप हवाईअड्डों पर पर्यावरण–अनुकूल वातावरण के सरकारी अभियान का समर्थन करने की योजना है।
- एआईएएसएल, अपने आंतरिक राजस्व से एआईएएचएल से चेन्नई हवाईअड्डे पर एअर इंडिया यूनिटी कॉम्प्लेक्स का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है। शीर्षक हस्तांतरण के लिए इसे पंजीकृत किया जाएगा।

हवाई मार्ग याात्रा को वरियता, हवाई यात्रियों की बढ़ती आबादी, सरकार की उड़ान योजना, एयरलाइनों द्वारा विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा की गई विभिन्न पहलों के कारण, भारत में ग्राउंड हैंडलिंग बाजार बढ़ने की

ओर अग्रसर है। ऐसे सकारात्मक औद्योगिक वातावरण में, एआईएएसएल द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु काफी बड़ा बाजार अवसर प्राप्त होगा।

3. सतत सरोकार

कंपनी वर्ष 2012–13 से निवल लाभ अर्जित कर रही है, जो 2012–13 में 5.06 मिलियन रूपए से बढ़कर 2019–20 में 504.83 मिलियन रूपए हो गया है। तथपि, काविड–19 की स्थिति के कारण कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 1900.28 मिलियन रूपए का घाटा हुआ है। चालू वर्ष के दौरान, कंपनी को कर के बार 783.14 मिलियन रूपए लाभ प्राप्त हुआ है।

4. मानव संसाधन

कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 2023 तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत लिए गए कर्मचारियों की संख्या 16440 थी।

5. जोखिम निवारण रणनीतियां

कंपनी लगातार जोखिम अवधारणाओं की निगरानी करती है और विभिन्न मोर्चों पर जोखिमों को कम करने के लिए निवारक कार्रवाई करती है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां

सभी प्रयोज्य विधियों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने एवं कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के मूल्यांकन करने के लिए मैसर्स जी. दीप एंड कंपनी, चार्टेड एकाउंटेंट, दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस संहिता पर कंपनी का दर्शन

कंपनी, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दृढ़ विश्वास रखती है और लगातार इसका अनुसरण करती रही है। कंपनी के प्रमुख चरित्र को पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के मूल्यों द्वारा आकार दिया गया है। कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानक प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में कंपनी का दर्शन, अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, प्रकटीकरण करना और कानूनों और विनियमों के ढांचे के भीतर सभी हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करना है।

2. निदेशक मंडल

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल), एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके निदेशकों की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद–97 के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम नहीं होगी और पंद्रह से अधिक नहीं होगी, जिनमें से सभी को होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

तदनुसार, एआईएएसएल के बोर्ड की संरचना निम्नलिखित रूप से निर्धारित की गई है।

<u>निदेशक मंडल दिनांक 31 मार्च 2023 तक</u>

श्री एस.के. मिश्रा संयुक्त. सचिव नागर विमानन मंत्रालय एवं सीएमडी, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	–	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक
श्री पदम लाल नेगी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय	–	नामित निदेशक
श्रीमती परमा सेन अपर सचिव निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, (डीआईपीएएम)	–	नामित निदेशक

एआईएएसएल के साथ–साथ एआईएएचएल की सहायक कंपनियों के बोर्ड के गठन/पुनर्गठन के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 14.12.2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, एआईएएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन, एआईएएसएल के बोर्ड में निदेशक के पद से पदमुक्त हो गए और श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा (राजेश सिंह), संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (जे.एस एंड एफ.ए), नागर विमानन मंत्रालय को दिनांक 14.12.2022 से एआईएएसएल के बोर्ड में नियुक्त किया गया था।

इसके अलावा, एआईएएसएल के साथ–साथ एआईएएचएल की सहायक कंपनियों के बोर्ड के गठन के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 18.01.2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, एआईएएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा (राजेश सिंह), एआईएएसएल के बोर्ड में निदेशक पद से पदमुक्त हो गए हैं और श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए), नागर विमानन मंत्रालय, को एआईएएसएल के बोर्ड में 18.01.2023 से नियुक्त किया गया था।

इसके अलावा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में महानिदेशक के रूप में श्री विक्रम देव दत्त की नियुक्ति के आधार पर नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 28.02.2023 के आदेश के तहत, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के अध्यक्ष

और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार, श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय को दिनांक 01–03–2023 से तीन महीने की अवधि या सीएमडी, एआईएएचएल की नियमित नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, के लिए सौंपा है। इसे देखते हुए, एआईएएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

श्री. विक्रम देव दत्त दिनांक 28.02.2023 से एआईएएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक और अध्यक्ष के रूप में पदमुक्त हो गए। इसके अलावा एआईएएसएल बोर्ड ने दिनांक 14.03.2023 के अपने परिपत्र संख्या 58 के माध्यम से श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा को दिनांक 01.03.2023 से एआईएएसएल के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित और निर्वाचित किया था और दिनांक 14.03.2023 को अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया था, जब तक कि नागर विमानन मंत्रालय/होल्डिंग कंपनी से कोई अगला निदेश न मिल जाए।

बोर्ड द्वारा श्री विक्रम देव दत्त, अध्यक्ष, श्री विमलेंद्र आनंद परवर्धन, निदेशक, और श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा, निदेशक द्वारा कंपनी के बोर्ड और बोर्ड स्तर की समितियों में उनके कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं की सराहना की जाती है।

3. बोर्ड की बैठकों, वार्षिक आम बैठक, निदेशकों की उपस्थिति, निदेशकों द्वारा आयोजित निदेशकों और समिति पदों से संबंधित विवरण :

बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर बोर्ड की आठ बैठकें आयोजित की गईं:

7 जून 2022	(90वीं बैठक)
12 जुलाई 2022	(91वीं बैठक)
2 अगस्त 2022	(92वीं बैठक)
20 सितंबर 2022	(93वीं बैठक)
30 नवंबर 2022	(94वीं बैठक)
9 फरवरी 2023	(95वीं बैठक)
23 फरवरी 2023	(96वीं बैठक)
29 मार्च 2023	(97वीं बैठक)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड/शेयरधारकों की बैठक में उनकी उपस्थिति सहित निदेशकों का विवरण:

निदेशक का नाम	शैक्षणिक अर्हताएं	वर्ष के दौरान आयोजित 8 बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में धारित डायरेक्टरशिप	समितियों में धारित सदस्यता
श्री विक्रम देव दत्त, अध्यक्ष (27 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2023 तक)	बी.टेक. और पीजीडीएम, आईएएस (यूटी : 93)	7 (केवल 7 बैठकों में भाग लेने के लिए पात्र)	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड – दिनांक 28.02.2023 तक **अध्यक्ष** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड – दिनांक 28.02.2023 तक, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड–दिनांक 28.02.2023 तक,	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखापरीक्षा समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखापरीक्षा समिति

निदेशक का नाम	शैक्षणिक अर्हताएं	वर्ष के दौरान आयोजित 8 बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में धारित डायरेक्टरशिप	समितियों में धारित सदस्यता
			होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआई)– दिनांक 28.02.2023 तक **निदेशक** पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	**एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड** अध्यक्ष मानव संसाधन समिति उड़ान सुरक्षा समिति सदस्य लेखापरीक्षा समिति **एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** सदस्य लेखा परीक्षा समिति
श्री एस.के. मिश्रा, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय – नामिती निदेशक (02.02.2017 से) (एआईएएसएल बोर्ड ने श्री एस.के. मिश्रा को 01.03.2023 से बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित और निर्वाचित किया था और परिणामस्वरूप, वे 14.03.2023 से सीएसआर समिति के अध्यक्ष बन गए हैं)	एम.टेक (अप्लायड जियोलॉजी) एम. ए. (पब्लिक पालिसी), आईआरएस (आईटी : 1990)	7	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड – 01.03.2023 से **अध्यक्ष** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड – 01.03.2023 से एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड – 01.03.2023 से होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड – 01.03.2023 से एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड – 01.03.2023 से **निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड – 02.02.2017 से एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड – 02.02.2017 से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड – 22.01.2018 से	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखापरीक्षा समिति *सीएसआर समिति (*श्री एस.के. मिश्रा 14.03.2023 से पहले सीएसआर समिति के सदस्य थे) **एआई इंजीनियर्स सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति **एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड** अध्यक्ष मानव संसाधन समिति उड़ान सुरक्षा समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति **एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति

निदेशक का नाम	शैक्षणिक अर्हताएं	वर्ष के दौरान आयोजित 8 बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में धारित डायरेक्टरशिप	समितियों में धारित सदस्यता
श्री वी.ए. पटवर्धन, संयुक्त सचिव तथा वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय – नामिती निदेशक (20 मार्च 2020 से 14 दिसंबर 2022 तक)	बी कॉम और आईए एंड एएस अधिकारी, 1996 बैच	4 (केवल 4 बैठकों में भाग लेने के लिए पात्र)	निदेशक एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए), सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई)	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति सदस्य सीएसआर समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति सदस्य सीएसआर समिति **एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति **भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड** अध्यक्ष 1. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, 2. हितधारक संबंध समिति सदस्य 1. एनपीए और तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति 2. लेखापरीक्षा समिति, 3. जोखिम प्रबंधन कंपनी **पवन हंस लिमिटेड,** सदस्य लेखापरीक्षा समिति **भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई),** सदस्य 1. पारिश्रमिक समिति, 2. लेखापरीक्षा समिति **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** सदस्य 1. पारिश्रमिक समिति, 2. लेखापरीक्षा समिति

निदेशक का नाम	शैक्षणिक अर्हताएं	वर्ष के दौरान आयोजित 8 बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में धारित डायरेक्टरशिप	समितियों में धारित सदस्यता
श्रीमती परमा सेन, अपर सचिव, डीआईपीएएम (11 फरवरी 2022 से)	एमएससी भौतिकी, आईए एंड एएस (1994)	2	**निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** सदस्य लेखा परीक्षा समिति सीएसआर समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड** सदस्य लेखापरीक्षा समिति सीएसआर समिति **एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** सदस्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति
श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा (14 दिसंबर 2022 से 18 जनवरी 2023 तक)	–बी.एससी (भूविज्ञान, गणित), हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली –एम.एस.सी (भूविज्ञान) पृथ्वी विज्ञान विभाग, आईआईटी रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की –एमडीआई (गुड़गांव) से जन नीति प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा	0 (उनके कार्यकाल में कोई बैठक नहीं हुई)	**निदेशक** भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस, इनकॉर्पोरेटिड डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, पवन हंस लिमिटेड एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड,	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति सदस्य सीएसआर समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड,** अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति सदस्य सीएसआर समिति
श्री पदम लाल नेगी (18 जनवरी 2023 से)	आईडीएएस 1992	3 (केवल 3 बैठकों में भाग लेने के लिए पात्र)	**निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए), भारतीय सौर उर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई)	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति सदस्य सीएसआर समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड**, अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति सदस्य सीएसआर समिति **एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति

4. बोर्ड की प्रकिया

निदेशक मंडल की बैठकें, आमतौर पर, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या होल्डिंग कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/भौतिक मोड के माध्यम से आयोजित की जाती थीं। बैठकें काफी पहले से निर्धारित होती हैं। आपात स्थिति या तात्कालिकता के मामले में, प्रस्ताव परिपत्रण द्वारा पारित किये जाते हैं। कंपनी के परिचालन निष्पादन की समीक्षा के लिए बोर्ड तिमाही के दौरान, कम से कम एक बार बैठक करता है। बैठकों की कार्यसूची को, संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है और सीईओ और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड के कागजात निदेशकों को पहले ही संवितरित कर दिए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों को सभी जानकारियों तक पहुंच उपलब्ध होती है और वे चर्चा की कार्यसूची में, किसी भी मामले को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट समय–समय पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। कंपनी के मामलों पर बेहतर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, बोर्ड कुछ मामलों को इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समितियों को सौंपता है।

5. आचार संहिता

सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, बोर्ड ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को स्वीकार किया है। बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने की एक प्रणाली है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन की घोषणा रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

6. बोर्ड समितियां

लेखापरीक्षा समिति

कॉरपोरेट शासन (गवर्नेंस) के भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने आरंभ में नवंबर, 2014 में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था और दिनांक 13 दिसंबर, 2017 को इसका पुनर्गठन किया गया। इसके अलावा, एअर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के बाद, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय–समय पर जारी किए गए कई कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से एआईएएसएल बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी 28.02.2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, बोर्ड द्वारा दिनांक 14 मार्च 2023 को एक परिपत्र संकल्प संख्या 58 पारित करके निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए एआईएएसएल की लेखापरीक्षा समिति का पुनः पुनर्गठन किया गया।

दिनांक 31 मार्च 2023 तक, निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे :

(i) श्री पदम लाल नेगी (संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय) – अध्यक्ष

(ii) श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा (सीएमडी, एआईएएचएल और संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय) – सदस्य

(iii) श्रीमती परमा सेन [अपर सचिव, डीआईपीएएम] – सदस्य

इस समिति के संदर्भ की शर्तें हैं :

- कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना।
- लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करना और आंतरिक एवं बाह्य लेखापरीक्षकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना और साथ ही यह निर्धारित करना कि आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।,
- लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे पर चर्चा करना।
- वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना।

- वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, उस पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करना और वैधानिक लेखापरीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।
- संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन की मंजूरी देना या बाद में कोई संशोधन करना।
- अंतर–निगमित ऋणों और निवेशों की जांच करना।
- जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
- सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।
- बोर्ड की इच्छानुसार किसी अन्य मामले पर विचार करना।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान सात बार बैठक की थीं :

7 जून 2022 (31वीं बैठक)

12 जुलाई 2022 (32वीं बैठक)

2 अगस्त 2022 (33वीं बैठक)

20 सितंबर 2022 (34वीं बैठक)

30 नवंबर 2022 (35वीं बैठक)

23 फरवरी 2023 (36वीं बैठक)

29 मार्च 2023 (37वीं बैठक)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुपालन में, बोर्ड ने आरंभ में दिनांक 23 मई 2016 को एक सीएसआर समिति का गठन किया था। इसके अलावा, एअर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के बाद, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय–समय पर जारी कार्यालय ज्ञापनों के तहत एआईएएसएल बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 28.02.2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, एआईएएसएल की सीएसआर समिति को धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में, दिनांक 14 मार्च 2023 को एक परिपत्र संकल्प संख्या 58 पारित करके बोर्ड द्वारा पुनर्गठित किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013, उसके तहत बनाए गए नियम और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देश। 31 मार्च 2023 तक, सीएसआर समिति में शामिल हैं :

(i) श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा (सीएमडी, एआईएएचएल और संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय) – अध्यक्ष

(ii) श्री पदम लाल नेगी (संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय) – सदस्य

(iii) श्रीमती परमा सेन [अपर सचिव डीआईपीएएम] – सदस्य

सीएसआर समिति की बैठकें

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सीएसआर बजट, सीएसआर गतिविधियों आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए सीएसआर समिति की वर्ष के दौरान तीन बार बैठक हुईं :

7 जून 2022 (15वीं बैठक)

12 जुलाई 2022 (16वीं बैठक)

2 अगस्त 2022 (17वीं बैठक)

पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक आम बैठक (एजीएम):

एजीएम संख्या	बैठक की तिथि व समय	स्थान	विशेष संकल्प
17वीं	29 दिसंबर, 2020 को 1100 बजे	दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037	हां
17वीं (स्थगित)	09 मार्च, 2020 को 1100 बजे	दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037	हां
18वीं	30 नवंबर, 2021 को 1130 बजे	दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037	हां
18वीं (स्थगित)	14 दिसंबर, 2021 को 1100 बजे	दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037	हां
19वीं	30 दिसंबर, 2022 को 1130 बजे	दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037	हां

- वर्ष 2021–22 के दौरान, 14 जनवरी, 2022 को एक असाधारण आम बैठक आयोजित की गई।
- मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पता : सी–101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली वेस्ट, मुंबई 400083, कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट (आरटीए) हैं।

7. प्रकटन और वैधानिक अनुपालन : –

निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यहार, वैधानिक रजिस्टरों के रखरखाव से संबंधित पर्याप्त रूप से प्रकटीकरण किए गए हैं और इन्हें आवधि रूप में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ताकि वे उचित निर्णय ले सकें और बोर्ड व्यवसायिक विषयों की व्यवस्था के लिए नामित अधिकारियों के विशिष्ट प्रत्यायोजन और प्राधिकरण के लिए स्पष्ट नीति का अनुसरण करता है। प्रकटन, सूचना, दस्तावेजों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए फाइलिंग को समयबद्ध तरीके से किया जाता है और इसमें कोई मामला लंबित नहीं है। स्व–मूल्यांकन के आधार पर कंपनी, वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–2022 दोनों के लिए डीपीई कॉर्पोरेट के निगमित शासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत उत्कृष्ट ग्रेड के तहत आती है। डीपीई ने दो वित्तीय वर्षों अर्थात 2020–21 और 2021–22 के लिए डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के लिए एआईएएसएल को ''उत्कृष्ट'' ग्रेडिंग से भी सम्मानित किया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 की रेटिंग प्रतिक्षाधीन है।

8. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन :

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है, जिसे लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की बैठक के समक्ष रखा गया था और यह इस रिपोर्ट का भाग है।

आचार संहिता

घोषणापत्र

सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/–
(रामबाबू सीएच)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 03.11.2023

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा घोषणा

सेवामें,

निदेशक मंडल,
एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड,

हम, रामबाबू सीएच., मुख्य कार्यपालक अधिकारी और संदीप मल्होत्रा, मुख्य वित्तीय अधिकारी, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (यहां इसे आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि :

1. हमने वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और यह हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार है :

क) इन विवरणों में भौतिक रूप से सत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ नहीं गया है या इसमें ऐसे विवरण शामिल नहीं हैं, जो भ्रामक हों।

ख) ये विवरण, कंपनी के मामलों की स्थिति और परिचालन और नकदी प्रवाह के परिणामों का सही और निष्पक्ष स्वरूप प्रदान करते हैं। वित्तीय विवरण, लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों सहित वर्तमान में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ, सभी भौतिक मामलों में अनुरूपता में तैयार किए गए हैं।

2. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन में हो।

3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समग्र जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। इसकी निगरानी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों द्वारा की जाती है, जिसमें पर्याप्तता और प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रबंधन के सभी स्तरों और सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ कार्य करता है, और निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति को महत्वपूर्ण मुद्दों की रिपोर्ट करता है।

   महत्वपूर्ण कमियों और भौतिक कमजोरियों के संबंध में की गई किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई से लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को अवगत कराया जाता है।

4. हम निम्नलिखित के संबंध में लेखापरीक्षकों को सूचना प्रदान करते हैं :

क) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन,

ख) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन,

5. हम आगे घोषणा करते हैं कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

ह/–
रामबाबू सीएच
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पीएएन सं: AGVPC9371P

ह/–
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पीएएन सं: : AFWPM3559B

दिनांक : 19.07.2023
स्थान : नई दिल्ली

AIASL
CHENNAI
ASARA
GO green
ASARA
GO green
ASARA
GO green

अनुलग्नक–।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)

सीएसआर नीति

क. पृष्ठभूमि

नए कंपनी अधिनियम, 2013 में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की संकल्पना इसका 'अनुपालन' करने तथा इसकी व्याख्या को अनिवार्य बनाने के माध्यम से शुरू की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2014 से प्रत्येक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड अथवा पब्लिक लिमिटेड, जिसका शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपए अथवा 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर अथवा 5 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ है, को अपने पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च करना होगा। सीएसआर कार्यकलाप कारोबार का सामान्य कार्यविधि में नहीं किया जाना चाहिएं और अधिनियम की अनुसूची–VII में उल्लिखित किसी कार्यकलाप से संबंधित होने चाहिए। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में सीएसआर कार्यकलापों की रूपरेखा और उसके कार्यविधि निर्धारित की गई हैं।

ख. सीएसआर नीति

I. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में एआई एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)। (''एआई एपीएस'') के लिए दिशानिर्देश तैयार करना है, ताकि सीएसआर को एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए, जिसमे उच्च क्षमता और धारणीय कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को सकारात्मक सहयोग देने पर ध्यान केंद्रित हो।

एआईएपीएस कंपनी के प्रचालन क्षेत्र यथा हवाईअड्डों एवं नगर कार्यालयों में एवं उसके आसपास सीएसआर कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करेगी। एआई एपीएस सीएसआर बजट का 60 प्रतिशत तक इन स्थानीय कम्युनिटीज के लिए आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

आई एपीएस सामाजिक पूंजी का निर्माण करने के लिए समाज के कमजोर, उपेक्षित एवं सीमांत वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सीएसआर कार्यकलापों को क्रियान्वित करेगी ।

।। सीएसआर संगठन ढांचा

क. <u>सीएसआर समिति</u>

कंपनी की बोर्ड स्तर की उप समिति होगी, जो यहां आगे सीएसआर समिति संदर्भित होगी। इस समिति में तीन या उससे अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक यदि कोई हो, होगा। सीएसआर समिति की भूमिका/उत्तरदायित्वों में कार्य शामिल होगाः

(i) सीएसआर नीति तैयार करना व अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष सिफारिश करना।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित सीएसआर कार्यकलापों की सिफारिश करना।

(iii) उपर्युक्त खंड (ii) में संदर्भित कार्यकलापों पर होने वाले व्यय के लिए सीएसआर बजट की सिफारिश।

(iv) निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद सीएसआर कार्यकलापों के लिए आवंटित राशि खर्च करना।

(v) कंपनी की सीएसआर नीति की समय–समय पर मॉनीटरिंग करना।

(vi) सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी मानीटरिंग प्रणाली बनाना।

(vii) प्रत्येक मामले में 50 लाख रुपए एवं उससे अधिक के आर्थिक मूल्य की परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलापों को अनुमोदित करना।

(viii) किसी भी मूल्य की परियोजनाए/कार्यक्रम/कार्यकलाप अनुमोदित करना, जो एआई एपीएस के फोकस क्षेत्र के बाहर हों ।

ख. <u>सीएसआर कार्य समिति</u>

सीएसआर कार्य समिति के सदस्यः

(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष

(ii) वित्त प्रमुख

(iii) कार्मिक प्रमुख

(iv) कंपनी सचिव

सीएसआर कार्य समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों में शामिल हैः

(i) विभिन्न स्थानों से प्राप्त सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के लिए प्रस्तावों की समीक्षा करना।

(ii) अनुमोदित आवंटित बजट में से 10 लाख रुपए से कम मूल्य के प्रस्तावों को अनुमोदित करना।

III. <u>सीएसआर के ध्यानार्थ क्षेत्र – परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप</u>

(क) एआई एपीएस सीएसआर के ध्यानार्थ क्षेत्र की परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप बाल, महिला एवं समाज के कमजोर वर्ग के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय विकास नीतियों से प्रेरित हैं और बाल अधिकार, बाल विकास एवं शिक्षा, राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान, स्वच्छ भारत अभियान एवं समाज/ग्रामीण विकास पर बनी नीतियों पर आधारित कानूनों से प्रेरणा प्राप्त करती है।

(ख) कंपनी का प्रस्ताव अपनी सीएसआर कार्यकलाप निम्न क्षेत्रों में कार्यान्वित करने का हैः

- शिक्षा
- कौशल विकास
- पर्यावरण एवं सामाजिक विकास
- पीने का पानी
- ग्रामीण विकास
- शिशु देखभाल
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
- कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं विकास
- जन पुस्तकालय
- पारंपरिक कला एवं हस्थशिल्प संवर्धन एवं विकास
- खेलकूद
- स्वास्थ्य एवं पोषण

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र में परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों का विस्तृत ब्यौरा प्राधिकार मैनुअल की सीमाओं के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा ।

(घ) उपर्युक्त के अलावा अन्य क्षेत्र में किसी परियोजना/कार्यक्रम/कार्यकलापों को करने से पहले सीएसआर समिति का अनुमोदन लिया जाएगा।

(ङ) ये परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप निम्न में से किसी भी स्थान पर की जाएंगीः

- एआईएपीएस प्रचालन क्षेत्र/स्थान के समीप के क्षेत्र में,
- योजना आयोग द्वारा चिन्हित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) जिलों में,
- जहां एआईएपीएस का नीतिगत संबंध है।

(च) सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप का कार्यान्वयन भागीदारों/विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से की जाएंगी। कार्यान्वयन भागीदार के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैः

- कोई पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट, कंपनी या कोई विशिष्ट एजेंसी, जिसे पंजीकरण के पश्चात इस प्रकार की कार्यकलापों की हैंडलिंग में तीन वर्ष का अनुभव हो ।
- किसी सरकारी निकाय अथवा पब्लिक सैक्टर उद्यम में कार्य करने का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी ।

तथापि, कार्यान्वयन भागीदार का चयन करते समय चयन प्राधिकारी आवेदक से अनिवार्य आधार पर किसी अन्य योग्यता की मांग कर सकता है।

IV. <u>सीएसआर बजट/सीएसआर व्यय</u>

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एआई एपीएस पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के शद्ध लाभ का औसतन कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर बजट के रूप में अलग रखेगी ।

(ii) बजटीय आबंटनः

(क) बजट का कम से कम 60 प्रतिशत प्रोजेक्ट मोड में कार्यकलापों के लिए आबंटित किया जाएगा ।

(ख) क्षमता निर्माण एवं कम्यूनिकेशन के लिए बजट की 5 प्रतिशत तक राशि आबंटित की जाएगी ।

(ग) शेष बजट एक बार अथवा अन्य सामाजिक कार्यकलापों के लिए होगा ।

(घ) यदि कंपनी किसी विशेष वित्तीय वर्ष में बजट व्यय नहीं करती, तो समिति को राशि व्यय न करने के कारणों का उल्लेख करते हुए निदेशक मंडल के पास लिखित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसका उल्लेख बोर्ड द्वारा उस वित्तीय वर्ष की निदेशकों की रिपोर्ट में किया जाएगा। सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के कारण हुआ कोई अतिरिक्त व्यय कंपनी के कारोबार लाभ का हिस्सा नहीं होगा।

V. <u>मानीटरिंग प्रणाली</u>

(i) मानीटरिंग प्रक्रिया दो स्तरीय तंत्र होगा जो इस प्रकार होगा

(क) तिमाही आधार पर सीएसआर समिति ।

(ख) निकायों की सीएसआर कार्य समिति एवं प्रतिनिधि, जिनके साथ कंपनी जुड़ना चाहती है, वे सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं मानिटरिंग का सुनिश्चय करेंगे। वे समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों की प्रगति के बारे में सीएसआर समिति को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ii) उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष के अंत में बृहत परियोजनाओं के तीसरा पक्ष प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा।

VI. सीएसआर नीति एवं कार्यक्रमों का प्रकाशन

सीएसआर नियमों के अनुसार, सीएसआर नीति की विषयवस्तु निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल की जाएगी और उसे कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा ।

VII. नीति समीक्षा एवं भावी संशोधन

समिति अपनी सीएसआर नीति की वार्षिक समीक्षा करेगी और आवश्यकतानुसार उपयुक्त सुधार करेगी तथा उसे बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी ।

अनुबंध–।।

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
(पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)
सीएसआर कार्यकलापों पर परियोजना रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2022–23

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

- कंपनी के निदेशक मंडल ने एक सीएसआर नीति अपनाई है, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, बाल और महिला स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में सीएसआर कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जाना शामिल है। कंपनी की नीति उच्च प्रभाव, सतत कार्यक्रमों द्वारा समाज में सकारात्मक योगदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। सीएसआर बजट का कम से कम 60 प्रतिशत परियोजना मोड में सीएसआर कार्यकलापों के लिए आवंटित किया जाएगा। कंपनी सामाजिक उत्थान के लिए कमजोर, अपेक्षित और सीमांत वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सीएसआर कार्यकलापों का कार्यान्वयन करेगी।
- सीएसआर ध्यानार्थ क्षेत्र परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप राष्ट्रीय विकास नीतियों से प्रेरित हैं और सीएसआर नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इन कार्यकलापों को कंपनी के प्रचालन क्षेत्र, योजना आयोग द्वारा चिन्हित बीआरजीएफ जिलों और जहां कंपनी के रणनीतिक संबंध थे, उन क्षेत्रों में किया जा सकता है।
- सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों का कार्यान्वयन भागीदारों/विशेष एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जिनका चयन निर्धारित मानदंड के अनुसार किया जाएगा।
- कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन शामिल है, जिसे कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.aiasl.in. पर देखा जा सकता है।

2. सीएसआर समिति की संरचना :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद का नाम/ निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया गया
1.	श्री विक्रम देव दत्त*	अध्यक्ष (28.02.2023 से अध्यक्ष पद से पदमुक्त हुए)	3	3
2.	श्री वी.ए.पटवर्धन	सदस्य (14.12.2022 से सदस्य के पद से पदमुक्त हुए)	3	3
3.	श्री एस.के.मिश्रा*	सदस्य (14.03.2023 से पदनाम सदस्य से अध्यक्ष कर दिया गया)	3	3
4.	श्रीमती परमा सेन	सदस्य	3	0
5.	श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा**	सदस्य (सदस्य 19.12.2022 से 18.01.2023 तक)	3	0
6.	श्री पदम लाल नेगी**	सदस्य (30.01.2023 से सदस्य)	3	0

** श्री. विक्रम देव दत्त एआईएएसएल के बोर्ड और सीएसआर समिति से नामित निदेशक और अध्यक्ष के रूप में दिनांक 28.02.2023 से पदमुक्त हो गए हैं। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 28.02.2023 के कार्यालय ज्ञापन*

के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियम और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, परिपत्र संकल्प संख्या 58 पारित करके दिनांक 14 मार्च, 2023 को एआईएएसएल बोर्ड द्वारा सीएसआर समिति का पुनर्गठित किया गया था, जिससे द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा दिनांक 14.03.2023 से सीएसआर समिति के अध्यक्ष बन गये हैं।

** * सीएसआर समिति की वर्ष के दौरान तीन बार बैठक हुई अर्थात दिनांक 7 जून 2022, 12 जुलाई 2022 और 2 अगस्त 2022, इसलिए श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा और श्री पदम लाल नेगी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया।*

3. वेब–लिंक प्रदान करें, जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है:

क्र.सं.	विवरण	वेबलिंक
1.	सीएसआर समिति की संरचना	https://www.aiasl.in/csr.aspx
2.	सीएसआर नीति	https://www.aiasl.in/csr.aspx
3.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं	https://www.aiasl.in/csr.aspx

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।

लागू नहीं।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो का विवरण प्रदान करें:

लागू नहीं

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: शून्य

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत : शून्य

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो : लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7ख + 7ग) : शून्य

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई/खर्च न की गई सीएसआर राशि : शून्य

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रूपए में)	खर्च न की गई राशि (रूपए में)				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च न किए गए सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135/5 के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची–7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ किसी निधि में स्थानांतरित राशि		
			निधि का नाम		
	राशि	स्थानांतरित की तिथि		राशि	स्थानांतरित की तिथि
शून्य	-	-	-	-	-

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–vii में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपए में)	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	धारा 135/6 के अनुसार परियोजना के लिए अव्यय सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रूपए में)	क्रियान्वयन का माध्यम	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वयन का माध्यम	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.

ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–7 में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना पर खर्च की गई राशि (रूपए में)	क्रियान्वयन का माध्यम प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वयन का माध्यम	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
							लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि : शून्य

(ड.) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ड.) : शून्य

(छ) सेट–ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो : शून्य

क्र.सं.	विवरण	राशि/रूपए में
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियाँ, यदि कोई हों, से उत्पन्न अधिशेष या	-
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

9 (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135/6 के अनुसार अव्यय सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रूपए में)	रिपोर्टिंग वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपए में)	धारा 13 के अनुसार अनुसूची vii के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड के तहत हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो)			आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च न की गई राशि
				निधि का नाम	राशि (रूपए में)	हस्तांतरित की तिथि	
1	2019-20		-	-			5,38,90,383
2	2020-21	-	*5,38,90,383/-				5,38,90,383
3	2021-22	-	-				5,38,90,383

**यह एक असाधारण मामला है, जहां वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान एआईएएसएल ने अपने अप्रयुक्त सीएसआर फंड (वित्त वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 से संचित) की राशि 5,38,90,383/– रुपये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ) को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु उपलब्ध कराई। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कोविड के आगमन और अन्य अपरिहार्य कारणों से उक्त चल रही परियोजना में कोई प्रगति नहीं देखी गई। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, इग्रुआ के अनुरोध पर दिनांक 02.08.2022 को आयोजित बोर्ड बैठक में उक्त परियोजना में संशोधन/आशोधन किया गया। संशोधित परियोजना के अनुसार, इग्रुआ को प्रशिक्षक विमान की खरीद के लिए उक्त सीएसआर निधि का उपयोग करना आवश्यक था, और इसके बदले में इग्रुआ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7 उम्मीदवारों को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसके आगे, वित्त वर्ष 2022–2023 के पूरा होने पर, इग्रुआ के पास सीएसआर फंड, अभी भी अप्रयुक्त पड़ा हुआ था। इग्रुआ खाते में एफडी के रूप में पड़े अप्रयुक्त धन की पृष्ठभूमि पर, एआईएएसएल ने एक अव्ययित सीएसआर खाता खोला और सीएसआर अप्रयुक्त धनराशि (अधिशेष के साथ) 5,96,68,779/– रुपये (5,38,90,383 रुपये + 57,78,396 रुपये) दिनांक 29.04.2023 को इग्रुआ खाते से एआईएएसएल के अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित किए, जिसे आगे इग्रुआ को आवंटित किया जा सकता है, यदि बोर्ड संतुष्ट हो कि सीएसआर–इग्रुआ परियोजना मार्च 2024 तक पूरी हो सकती है, अन्यथा उक्त सीएसआर दिनांक 30.04.2024 को या उससे पहले बोर्ड की मंजूरी के साथ अनुसूची– VII के तहत विनिर्दिष्ट निधि में धनराशि हस्तांतरित की जाएगी।*

इसके अलावा, बोर्ड ने दिनांक 15 सितंबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में सीएसआर समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित को मंजूरी दी है:

(i) सीएसआर प्रावधानों के संदर्भ में और मौजूदा अनुमोदन के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को या उससे पहले ट्रेनर विमान की खरीद के लिए इग्रुआ द्वारा खरीद आदेश या किसी समान दस्तावेज प्रस्तुत करने/जारी करने पर एआईएएसएल अव्ययित सीएसआर खाते में पड़े अप्रयुक्त सीएसआर फंड को अधिशेष, यदि कोई हो (जिसे इग्रुआ के लिए आवंटित किया गया है) के साथ जारी करना।, और

(ii) इग्रुआ को सीएसआर फंड का उपयोग करके मौजूदा बोर्ड की मंजूरी के अनुसार प्रशिक्षक विमान खरीदने की अनुमति देना, और

(iii) इग्रुआ को निर्धारित प्रशिक्षण (पीपीएल/सीपीएल/टाइप रेटिंग) को दिनांक 31.03.2024 से आगे (7 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए) जारी रखने और इग्रुआ की लागत पर लगभग 24 महीने में या इग्रुआ निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण पूरा करने की अनुमति देना। आवंटित सीएसआर फंड के साथ प्रशिक्षक विमान की खरीद के बदले में और जिसके लिए इग्रुआ, एआईएएसएल प्रबंधन को एक वचन देगा कि 7 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण शुरू होने से लगभग 24 महीनों में या इग्रुआ द्वारा निर्धारित अनुसार पूरा किया जाएगा।

(iv) प्रशिक्षण पूरा होने तक अर्ध–वार्षिक आधार पर स्टेटस अपडेट प्रदान करने के लिए इग्रुआ को निदेशित करने साथ ही, इग्रुआ को निम्नलिखित पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाए :

(क) प्रशिक्षक विमान की खरीद के बाद निधि उपयोग के अनुरूप पूरा होने का प्रमाण पत्र।

(ख) भारत में प्रशिक्षक विमान पंजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करने का प्रमाण पत्र।

(ग) 7 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के सीपीएल प्रशिक्षण के पूरा होने पर सीपीएल प्रशिक्षण पूरा होने का प्रमाण पत्र।

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि। (रुपये में)	परियोजना की स्थिति –पूरा हुआ/चालू
1.								
	कुल							

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर खर्च के माध्यम से बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति–वार विवरण): लागू नहीं

(क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।

लागू नहीं

(ख) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण, उनका पता आदि, जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है,

लागू नहीं

(ग) सृजित या अधिग्रहीत पूंजीगत संपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें:

लागू नहीं

(घ) यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं,

कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीएसआर प्रावधानों के अनुसार, एआईएएसएल को वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कोई नया सीएसआर योगदान खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, कार्यवाही के 3 वर्षों के लिए अप्रयुक्त निधि से संबंधित विवरण को ऊपर बिंदु 9 (क) में पहले ही प्रस्तुत किया गया है।

कृते एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लिए

ह/–
सत्येंद्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

ह/–
रामबाबू सीएच.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/–
शशी भदूला
कंपनी सचिव

ह/–
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

अनुलग्नक– III
वर्ष 2022–23 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक
फॉर्म संख्या एमजीटी 9–वार्षिक विवरणी से उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014
के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण:

1.	सीआईएन	यू63090डीएल2003पीएलसी120790
2.	पंजीकरण की तारीख	9 जून, 2003
3.	कंपनी का नाम	एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सरकारी कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्डा, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली–110037, भारत
6	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	जी, नहीं
7.	पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हों, का नाम, पता और संपर्क विवरण	लिंक इंनटाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी–101, 247 पार्क, एल.बी.एस मार्ग, विखरोली (वेस्ट), मुंबई –400083 +91 22 49186000

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक अंशदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख करें)

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
I.	वायु परिवहन की नैमेतिक सेवा गतिविधियां	522	100

III. होल्डिंग, सहायक तथा सहयोजित कंपनी का विवरण:

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीआईएन	होल्डिंग/सहायक / सहयोजित	शेयरों का %	लागू धारा
1	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड इंडियन एयरलाइंस बिल्डिंग, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001.भारत	यू74999डीएल2018जीओआई328865	होल्डिंग	100%	2 (46)

IV. शेयर धारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2022 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2023 को)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) वैयक्तिक/हिंदू संयुक्त परिवार									

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2022 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2023 को)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
(ख) केन्द्र सरकार									
(ग) राज्य सरकार (रें)									
(घ) निगमित निकाय	138424200	0	138424200	100	138424200	0	138424200	100	
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान									
(च) कोई अन्य									
प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता	138424200	0	138424200	100	138424200	0	138424200	100	
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	लागू नहीं								
1. संस्थाएं									
(क) म्युचुअल फंड/यूटीआई									
(ख) बैंक/वित्तीय संस्था									
(ग) केन्द्र सरकार									
घ) राज्य सरकार (सरकारें)									
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड									
(च) बीमा कंपनियां									
(छ) वित्तीय संस्थान									
(ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड									
(झ) अन्य (स्पष्ट करें) विदेशी बैंक									
उप–जोड़ (ख) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

श्रेणीवार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2022 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2023 को)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
गैर–संस्थाएं	**लागू नहीं**								
(क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर + एलएलपी)									
i) भारतीय									
ii) विदेशी									
ख) वैयक्तिक									
i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक									
ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक									
ग) अन्य (स्पष्ट करें)									

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2022 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2023 को)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
i) अनिवासी भारतीय									
ii) अनिवासी भारतीय – गैर प्रत्यावर्तित									
iii) कार्यालय पदधारक									
iv) निदेशकगण									
v) हिंदू संयुक्त परिवार									
vi) विदेशी निगमित निकाय									
vii) विदेशी नागरिक									
viii) क्लीयरिंग सदस्य									
ix) न्यास									
x) विदेशी निकाय–डीआर									
उप–जोड़ (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	138424200	0	138424200	100	138424200	0	138424200	100	

ख) प्रवर्तक की शेयरधारिता

क्र सं.	विवरण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का %	
1.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	138424200	100	शून्य	138424200	100	शून्य	100

ग) प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें) :

क्र सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %

घ) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न : (निदेशकगण, प्रवर्तक तथा जीडीआर एवं एडीआर के अलावा):

क्र. सं.	10 शीर्ष शेयरधारको में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शयरों का कुल प्रतिशत	शेयरों की संख्या	क्ंपनी के शयरों का कुल प्रतिशत
1	लागू नहीं				
2					
3					

ङ) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशकगण तथा प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में धारित संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	शून्य				
	(नोट : इक्विटी शेयर केवल एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के नामितियों के पास हैं, जिसमें निदेशक भी शामिल हैं)				
	कुल				

V. ऋणग्रस्तता – बकाया ब्याज/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(करोड़ रुपए में)

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता	0	0	0	0
i) मूल राशि	0	0	0	0
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	0	0	0	0
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	0	0	0	0
* परिवर्धन	0	0	0	0
* कमी	0	0	0	0
निवल परिवर्तन	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	0	0	0	0
i) मूल राशि	0	0	0	0
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	0	0	0	0
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	**0**	**0**	**0**	**0**

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक : लागू नहीं

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
1	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन						
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य						
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ						
2	स्टॉक विकल्प						

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
3	स्वेट इक्विटी						
4	अन्य के लाभ का प्रतिशत बतौर कमीशन, उल्लेख करें						
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)						
	कुल (क)						
	अधिनियम के अनुसार सीमा						

* कंपनी में कोई प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं ।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक – लागू नहीं

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक						
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क						
	कमीशन/आयोग	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क)	-	-	-	-	-	-
	कुल (1)	-	-	-	-	-	-
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक	-	-	-	-	-	-
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन/आयोग	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-		-	-
	कुल (ख) = (1 + 2)	-	-	-	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	-	-	-	-	-	-

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(आंकड़े मिलियन में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक				
		सीईओ	सीएस	सीएफओ		कुल
		श्री. रामबाबू सीएच.	श्रीमती शशि भदूला	श्री सत्यनारायण पांडा (1.04.2022 से 31.12.2022)	श्री संदीप मल्होत्रा (09.02.2023 से 31.03.2023)	
1	सकल वेतन	4.867	1.080	1.260	0.268	7.475
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-		-	
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	-		-	
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-		-	
2	स्टॉक विकल्प	-	-		-	

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक				
		सीईओ	सीएस	सीएफओ		कुल
		श्री. रामबाबू सीएच.	श्रीमती शशि भदूला	श्री सत्यनारायण पांडा (1.04.2022 से 31.12.2022)	श्री संदीप मल्होत्रा (09.02.2023 से 31.03.2023)	
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-	-
	लाभ के % के रूप में	-	-	-	-	-
	अन्य स्पष्ट करें	-	-	-	-	-
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	-	-	-	-	-
	कुल	**4.867**	**1.080**	**1.260**	**0.268**	**7.475582**

VII. दंड/सज़ा/अपराधों की कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सज़ा/कंपाउंडिंग फीस का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील, यदि की गई है (विवरण दें)
क. कंपनी					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ख. निदेशकगण					
दंड	-	-	-	-	-
सज़ा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
दंड	-	-	-	-	-
सज़ा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-

कृते एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

ह/–

सत्येंद्र कुमार मिश्रा

अध्यक्ष

अनुबंध–IV

फार्म सं. एओसी–2

[अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी लेखा नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण संबंधी फॉर्म, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ आर्म लैंथ लेनदेन शामिल हैं:

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण, जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई अनुबंध या व्यवस्था या लेन–देन दर्ज नहीं किया गया था, आर्म लैंर्थ के आधार पर नहीं था।

2. आर्म लैंथ आधार पर अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अधिनियम की धारा 188(1) के तहत संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्था/लेन–देन, व्यापार के सामान्य क्रम में एक आर्म लैंथ के आधार पर थे, जिन्हें दिनांक 02 अगस्त, 2022 को आयोजित कंपनी की 92वीं बोर्ड बैठक द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण इस प्रकार है:

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	संव्यवहार की अवधि	लेन–देन की मुख्य शर्तें	राशि मिलियन में
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी	प्रचालन से राजस्व	01.04.2022-31.03.2023		
	जनशक्ति सेवाएँ		राजस्व	1.52
	व्यय			
	लागत की प्रतिपूर्ति		व्यय	6.38
	बकाया देय राशि पर ब्याज		व्यय	35.69
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी)*	प्रचालन से राजस्व	01.04.2022-31.03.2023		
	ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व		राजस्व	281.49
	जनशक्ति सेवाओं की आपूर्ति		राजस्व	0.59
	बकाया पर ब्याज वसूली योग्य		राजस्व	94.80
	व्यय एसओडी		व्यय	1.25

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	संव्यवहार की अवधि	लेन–देन की मुख्य शर्तें	राशि मिलियन में
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी)*	प्रचालन से राजस्व	01.04.2022-31.03.2023		
	जनशक्ति सेवाएं/केबिन सफाई		राजस्व	204.08
	वसूली योग्य बकाया पर ब्याज		राजस्व	21.87
	व्यय			
	हेड सेट के लिए व्यय प्रावधान		व्यय	12.42
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी)*	व्यय	01.04.2022-31.03.2023		
	स्टाफ होटल व्यय			7.52
	त्यौहार व्यय			2.27
	कार्यक्रम व्यय			1.93

कृते एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

ह/–
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में
सदस्य,
एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,
(पूर्व में एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
दूसरी मंजिल, जीएसडी बिल्डिंग, एअर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल–2,
आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037
सीआईएन : U63090DL2003PLC120790

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

हमने **एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** (पूर्व में एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से ज्ञाता) (यहां आगे इसे ''कंपनी'' कहा जाएगा), द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट पद्धतियों के अनुपालन में सचिवीय लेखापरीक्षा की है, जिसका कार्यालय, दूसरी मंजिल, जीएसडी बिल्डिंग, एअर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल–2, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037 पर स्थित है। सचिवीय लेखापरीक्षा, इस प्रकार की गई है, जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला है।

कंपनी के उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव और कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा, कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की पहचान, निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रिया स्थापित करने और बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व विवरण

हमारा उत्तरदायित्व, केवल परीक्षण के आधार पर उन अनुपालनों की जांच और सत्यापन करना है और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।

हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, यह सत्यापन, परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मत है कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है। जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने, आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

सीमितताएं

आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सीमाओं सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत विवरण या भौतिक गैर–अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, चाहे लेखापरीक्षा उचित रूप से योजनाबद्ध हो और सचिवीय लेखापरीक्षा प्रक्रिया, मानकों के अनुसार की गई हो, जैसा कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्राप्त कायवृत्त, दस्तावेज, रजिस्टर, अन्य रिकॉर्ड और कंपनी पर लागू कानूनों से संबंधित रिटर्न आदि सहित सचिवीय रिकॉर्ड की जांच करके सचिवीय लेखापरीक्षा की है। प्रबंधन ने पुष्टि की है कि हमें सौंपे गए रिकॉर्ड सत्य और सही हैं। हमने कुछ क्षेत्रों के लिए कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर भी विश्वास किया है, जिनके लिए अन्यथा भौतिक सत्यापन की आवश्यकता होती है।

मत का आधार

हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उन लेखापरीक्षा पद्धतियों, सचिवीय लेखापरीक्षा प्रक्रिया मानकों और पद्धतियों का पालन किया गया है, जो लागू और उचित थे। कुछ मामलों में सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं। हम यह भी मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

सचिवीय रिकॉर्डों पर रिपोर्ट और उसका अनुपालन

कंपनी की बहियों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त की बहियों, दायर किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के आधार पर और इसके अलावा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, सचिवीय लेखापरीक्षा करते समय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर मैं, एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि को रक्षित करते हुए, इसके अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके अतिरिक्त कंपनी के पास इसके नीचे दी गई रिपोर्टिंग की पद्धति से और उसके अधीन, कंपनी के पास उपयुक्त व्यापक आधार की प्रक्रियाएं एवं अनुपालन प्रणाली मौजूद है :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए रिटर्न एवं प्रपत्र तथा कंपनी एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से ज्ञाता) द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की है, जो निम्न हैं :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियम (जहां तक वे लागू हों);

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम : **लागू नहीं;**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम **;**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक : **लागू नहीं;**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :– **लागू नहीं**

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों एवं टेक ओवर्स का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षां) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 [लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं];

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008 [लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं];

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम पंजीकार तथा शेयर स्थानांतरण एजेंट) विनियम, 1993, जो कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार करने के संबंध में है [लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं];

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 [लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं];

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998 [लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं];

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015.

(vi) कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून :

क) डीपीई दिशानिर्देश।

ख) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

घ) वायु निगम अधिनियम, 1953

ड.) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) बोर्ड और सामान्य बैठकों के संचालन के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत रूप से किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया था, तथा अल्प सूचना पर आयोजित बैठकों के अलावा अन्य बैठकों के लिए कार्यसूची और कार्यवृत्त पर विस्तृत नोट, कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए, आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

अधिकतर निर्णय, असहमत सदस्यों के विचारों को दर्ज करने और कार्यवृतत को नोट किए जाने के पश्चात लिए जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों के रखरखाव की, इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह अन्य नामित पेशेवरों द्वारा वैधानिक वित्तीय लेखापरीक्षा की समीक्षा के अधीन है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई विशिष्ट घटना/कॉर्पोरेट कार्रवाई नहीं हुई।

कृते अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

दिनांकः 01.08.2023
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/–
सीएस अमित अग्रवाल
साझेदार
सीपी सं. 3647, सदस्यता सं. 5311
यूडीआईएन : F005311E000717242

इस रिपोर्ट को मेरे सम–तिथिक पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो ''अनुलग्नक–क'' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

'अनुबंध–क'

सेवा में

सदस्य,
एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,
(पूर्व में एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
दूसरी मंजिल, जीएसडी बिल्डिंग, एअर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल–2,
आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037
सीआईएन : U63090DL2003PLC120790

मेरी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए :

1. सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है ।
2. मैने, सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की यथार्थता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा चलनों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। सत्यापन परीक्षण जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं चलन मेरी राय के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं ।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की यथार्थता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ है, मैंने विधियों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. निगम एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरा परीक्षण, परीक्षण आधार पर क्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित है।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी का कारोबार किया है।

कृते अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

दिनांकः 01.08.2023
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/–
सीएस अमित अग्रवाल
साझेदार
सीपी सं. 3647, सदस्यता सं. 5311
यूडीआईएन : F005311E000717242

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(ख) के अंर्तगत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएएसएल) के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षण के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 19 जुलाई 2023 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बेहतर ज्ञान हेतु आवष्यक हैं।

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

लाभ और हानि का विवरण
वर्तमान कर – 23.58 करोड रूपए
आस्थगित कर – (4.59) करोड़ रूपए

पिछले वर्ष (2021–22) से अनवशोषित हानि 65.05 करोड़ रूपए थी। चालू वर्ष के लिए देय 23.58 करोड रूपए के कर की गणना करते समय इसे अनवशोषित घाटे के रूप में समायोजित किया गया था। हालाँकि, दिनांक 31 मार्च 2023 को 16.37 करोड रूपए के आस्थगित कर व्यय की गणना करते समय 65.05 करोड़ रूपए की उक्त अग्रेषित हानि पर भी विचार किया गया था और तदनुसार, ऐसी अवशोषित हानि के लिए आस्थगित कर परिसंपत्ति समायोजित की गई है।

आयकर पर इंड एएस 12 के पैरा 5 में उल्लेख किया गया है कि आस्थगित कर संपत्ति (क) कटौती योग्य अस्थायी अंतर के संबंध में भविष्य की अवधि में वसूली योग्य आयकर की राशि है, (ख) अप्रयुक्त कर घाटे को अग्रेशित करना, और (ग) अप्रयुक्त कर ऋण को अग्रेशित करना है।

इस प्रकार, चूंकि चालू वर्ष के लिए देय कर की गणना करते समय पहले से ही अनवशोषित हानि पर विचार किया गया था, इसलिए, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना करते समय उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोई अनवशोषित अग्रेणीत हानि नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अधिक लेखांकित किया गया और आस्थगित कर व्यय को 16.37 करोड़ रूपए से कम लेखांकित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, कर पष्चात लाभ को भी उसी स्तर तक बढ़ाकर लेखांकित किया जाता है।

उपरोक्त ने नोट नं. 46 उस स्तर पर प्रतिपादन किया है। इसके अलावा, वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा उपरोक्त मुद्दे की गैर–रिपोर्टिंग ने स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को उस स्तर तक अपर्याप्त बना दिया है।

ख. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

1. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–''क'' – पैरा सं. vii (ख)

उपरोक्त में कहा गया है कि दिनांक 31 मार्च 2023 तक, कंपनी ने भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत 2020–2022 की अवधि के लिए क्षति और ब्याज से संबंधित 6.01 करोड रूपए के बकाया पर विवाद प्रस्तुत किया है। हालाँकि, कंपनी ने उक्त बकाया पर विवाद नहीं किया है और चालू वर्ष के दौरान 6.01 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा, 6.01 करोड रूपए के उक्त बकाए में से, कंपनी ने फरवरी 2023 में 0.15 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया है। चूंकि उपरोक्त बकाया राशि विवाद

के अधीन नहीं थी, इसलिए, 5.86 करोड़ रूपए की बकाया राशि को निर्विवाद बकाया के रूप में स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध–क के पैरा संख्या vii (क) में दर्शाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस स्तर तक अपर्याप्त है।

2. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक– ''क'' – पैरा नं. (vi)(क)

कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के पैरा 3(vi)(क) के अनुसार, वैधानिक ऑडिटर अपने स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट में रिपोर्ट करेगा की ''क्या कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी गई है या रिपोर्ट की गई है, यदि हां, तो इसमें शामिल प्रकृति और राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए।

हालाँकि, वैधानिक लेखापरीक्षक ने बताया है कि ''हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।''.

चूंकि कंपनी ने केवल कंपनी द्वारा या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट की है और कंपनी द्वारा या कंपनी पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में कोई रिपोर्टिंग नहीं की गई है। इसने स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को उस हद तक अपर्याप्त बना दिया है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

हस्ता/–
(अतूर्वा सिन्हा)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेषक (अवसंरचना)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.09.2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सीएजी की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ **लाभ और हानि का विवरण** **वर्तमान कर – 23.58 करोड रूपए** **आस्थगित कर – (4.59) करोड़ रूपए** पिछले वर्ष (2021–22) से अनवशोषित हानि 65.05 करोड़ रूपए थी। चालू वर्ष के लिए देय 23.58 करोड रूपए के कर की गणना करते समय इसे अनवशोषित घाटे के रूप में समायोजित किया गया था। हालाँकि, दिनांक 31 मार्च 2023 को 16.37 करोड रूपए के आस्थगित कर व्यय की गणना करते समय 65.05 करोड़ रूपए की उक्त अग्रेषित हानि पर भी विचार किया गया था और तदनुसार, ऐसी अवशोषित हानि के लिए आस्थगित कर परिसंपत्ति समायोजित की गई है। आयकर पर इंड एएस 12 के पैरा 5 में उल्लेख किया गया है कि आस्थगित कर संपत्ति (क) कटौती योग्य अस्थायी अंतर के संबंध में भविष्य की अवधि में वसूली योग्य आयकर की राशि है, (ख) अप्रयुक्त कर घाटे को अग्रेशित करना, और (ग) अप्रयुक्त कर ऋण को अग्रेषित करना है। इस प्रकार, चूंकि चालू वर्ष के लिए देय कर की गणना करते समय पहले से ही अनवशोषित हानि पर विचार किया गया था, इसलिए, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना करते समय उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोई अनवशोषित अग्रेणीत हानि नहीं है। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अधिक लेखांकित किया गया और आस्थगित कर व्यय को 16.37 करोड़ रूपए से कम लेखांकित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, कर पश्चात लाभ को भी उसी स्तर तक बढ़ाकर लेखांकित किया जाता है। उपरोक्त ने नोट नं. 46 उस स्तर पर प्रतिपादन किया है। इसके अलावा, वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा उपरोक्त मुद्दे की गैर–रिपोर्टिंग ने स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को उस स्तर तक अपर्याप्त बना दिया है।	*वर्ष 2022–23 के लिए स्थगित कर की गणना करते समय 65.05 करोड़ रुपये के घाटे को गलत तरीके से अग्रेशित किया गयाहै।* *इसके अलावा, हम यह बताना चाहेंगे कि वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के परिचालन लाभ पर आस्थगित कर का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है क्योंकि आस्थगित कर, लाभ और हानि खाते के विवरण में लाइन मद से नीचे है।* *आस्थगित कर परिसंपत्ति/आस्थगित कर देनदारी केवल एक अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष के अंत में इंड एएस 12 के अनुसार समय के अंतर के आधार पर उत्पन्न होता है, जैसे कि कर का प्रावधान जो आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर विभाग को देय है, जो टैक्स लेखापरीक्षा पूरा होने के बाद भी बदल जाता है।* *चूंकि कंपनी ने आयकर के लिए सटीक प्रावधान किया है और अतिरिक्त आस्थगित कर वर्ष के अंत में वित्तीय विवरणों में केवल एक अनुमान है और किसी भी प्राधिकरण को देय नहीं है, इसके अलावा, हम अगले वित्त वर्ष 2023–24 में डीटीए/डीटीएल के आवश्यक प्रभाव को लेना सुनिश्चित करते हैं।* *लेखापरीक्षकों की राय में, लेखापरीक्षा 315 के मानक के पैरा ए111 के अनुसार, स्थगित कर न तो कोई लेनदेन है और न ही कोई घटना है और केवल समय के अंतर पर कर का अनुमान है। यह लाभ और हानि खाते के विवरण में लाइन मद से नीचे है और वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के परिचालन लाभ पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।*

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सीएजी की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
ख. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ **1. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–''क'' – पैरा सं.vii (ख)** उपरोक्त में कहा गया है कि दिनांक 31 मार्च 2023 तक, कंपनी ने भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत 2020–2022 की अवधि के लिए क्षति और ब्याज से संबंधित 6.01 करोड रूपए के बकाया पर विवाद प्रस्तुत किया है। हालाँकि, कंपनी ने उक्त बकाया पर विवाद नहीं किया है और चालू वर्ष के दौरान 6.01 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा, 6.01 करोड रूपए के उक्त बकाए में से, कंपनी ने फरवरी 2023 में 0.15 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया है। चूंकि उपरोक्त बकाया राशि विवाद के अधीन नहीं थी, इसलिए, 5.86 करोड़ रूपए की बकाया राशि को निर्विवाद बकाया के रूप में स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध–क के पैरा संख्या vii (क) में दर्शाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस स्तर तक अपर्याप्त है।	*लेखापरीक्षकों को उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में इस अवलोकन से अवगत करा दिया गया है और उन्होंने इसे अपने भविष्य के अनुपालन के लिए विधिवत नोट कर लिया है।*
2. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक– ''क'' – पैरा नं. (vi)(क) कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के पैरा 3(vi)(क) के अनुसार, वैधानिक ऑडिटर अपने स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट में रिपोर्ट करेगा की ''क्या कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी गई है या रिपोर्ट की गई है, यदि हां, तो इसमें शामिल प्रकृति और राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए। हालाँकि, वैधानिक लेखापरीक्षक ने बताया है कि ''हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।''. चूंकि कंपनी ने केवल कंपनी द्वारा या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट की है और कंपनी द्वारा या कंपनी पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में कोई रिपोर्टिंग नहीं की गई है। इसने स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को उस हद तक अपर्याप्त बना दिया है।	*इस प्रकार, वैधानिक लेखापरीक्षकों ने भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया है कि कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुसार धोखाधड़ी पर रिपोर्टिंग के संबंध में, तीसरे पक्ष द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में रिपोर्टिंग का भी उल्लेख किया जाना है, जो गलती से उनके परीक्षण विवरण में छूट गया है। हालाँकि, लेखापरीक्षकों ने सीएजी द्वारा जारी अनंतिम टिप्पणियों के बाद के उत्तरों में पुष्टि की है कि लेखापरीक्षा के तहत अवधि के दौरान कंपनी पर तीसरे पक्ष द्वारा कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।*

******

एआई एअरपोर्ट सर्विसेज लि.
AI AIRPORT SERVICES LTD.
Welcome
We're Glad and Honoured to Serve You

AI AIRPORT SERVICES

SpiceJet
एआई एअरपोर्ट सर्विसेज लि.
AI AIRPORT SERVICES LTD.
Vijayawada International Airport
Congratulations
n your Hajj May the Joy of this Holy event
Change your Spirit with Grace and
Excitement for the rest of your Life
Hajj Mubarak

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों हेतु
(पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण की रिपोर्ट

मत

हमने **एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड** (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर नोट सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे यहां आगे ''वित्तीय विवरण'' कहा जाएगा) शामिल है।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के अर्हक मत हेतु आधार पैरा में वर्णित विषय के प्रभावों के निर्धारण/विनिर्धारण को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, (इंड एएस) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे दिनांक 31 मार्च 2023 को लाभ और हानि तथा कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं।

मत का आधार

हमने अधिनियम की धारा–143 की उप–धारा (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को, आगे हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व' खंड में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमों के अंतर्गत ही वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए नैतिक आवश्यकताओं के रूप में प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय पर बल

1. हम वित्तीय विवरणों के नोट 53 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां वर्ष 2022–23 के दौरान, एअर इंडिया लिमिटेड और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड ने जुर्माने के लिए क्रमशः 121.41 मिलियन रुपये और 1.61 मिलियन रुपये की राशि का चालान जारी किया है। हालाँकि, कंपनी के लेखा बहियों में इसके लिए प्रावधान नहीं कराया गया है।

2. हम वित्तीय विवरणों के नोट सं 37 पर ध्यान देते हैं, कंपनी समूह कंपनिया यथा एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और एलायंस एयरलाइंस लिमिटेड के संबंध में प्राप्तियों की अतिदेय शेष राशि पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज ले रही है। चालू वर्ष के दौरान, अतिदेय भुगतानों पर ब्याज रु 116.67 मिलियन रूपए को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया गया है। हमने प्रबंधन के मत पर विश्वास किया है कि इस तरह की राशि पूर्ण रूप से वसूल की जाएगी और इसलिए, वर्तमान वर्ष के लिए कोई और समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

3. हम वित्तीय विवरणों में नोट 7 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी के पास भंडार और पुर्जों सहित 56.11 मिलियन रूपए ऐसी इन्वेंटरी के समायोजन के लिए 33.14 मिलियन रूपए का प्रावधान किया गया है) राशि की इन्वेंटरी उपलबध हैं।

इन इन्वेंटरी को एअर इंडिया लिमिटेड और एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड से स्थानांतरित किया गया है, जिनका उपयोग तीन वर्षों से अधिक के लिए नहीं किया गया है। हमने प्रबंधन के मत पर विश्वास किया है कि इस तरह की इन्वेंटरी का मूल्य कम से कम बहियों में वहन मूल्य के समान है।

4. हम नोट 54 के वित्तीय विवरणों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने विभिन्न व्यावसायिक परिसरों के लिए पट्टों में प्रवेश किया है (खरीद/नवीनीकरण के विकल्प के साथ लेकिन इसका शीर्षक अंततः स्थानांतरित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है) जो विभिन्न स्थानों/स्टेशनों/क्षेत्रों में स्थित हैं और अनुबंध में फोरक्लोजर खंड है, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा 90 दिनों की नोटिस अवधि प्रदान करके इसे रद्द किया जा सकता है। प्रबंधन को मतानुसार, इसे रद्द करने योग्य पट्टे के रूप में मानते हुए, यह इंड एएस 116 पट्टा लेखांकन के तहत मान्यता के लिए योग्य नहीं है।

   मूल्यांकन के लंबित होने के कारण, इन पट्टों को इंड एएस 116 के तहत उपयोग के अधिकार के रूप में नहीं माना गया है और इसका किराया चालू वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण के लिए व्यवस्थित रूप से लगाया गया है। हमने प्रबंधन के इस तर्क पर विश्वास किया है कि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।

5. हम वित्तीय विवरणों के नोट 47 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां कंपनी ने एआईएएचएल को देय बकाया राशि के औसत पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 35.69 मिलियन रुपये की ब्याज राशि प्रदान की है।

6. हम वित्तीय विवरणों के नोट 33 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां विभिन्न पक्षों से प्राप्य और उन्हें देय राशियां, पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।

7. हम वित्तीय विवरणों के नोट 43 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड ने दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी को अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और, तदनुसार एनसीएलटी ने आवेदन स्वीकार कर लिया है, तथा दिनांक 10 मई, 2023 के आदेश के तहत दिवाला प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2023 तक 220.35 मिलियन रुपये (ब्याज राशि 11.27 मिलियन रुपये सहित और तदनुसार कंपनी ने ईसीएल में ब्याज को छोड़कर प्राप्तियों का 100 प्रतिशत प्रावधान किया है) का दावा दायर किया है।

इन विषयों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से अलग अन्य सूचना

अन्य जानकारी को तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारियों में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध शामिल हैं लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान, या अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भौतिक रूप से गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

जब हम उपरोक्त दस्तावेजों में शामिल अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी है, तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–134 (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन सहित अन्य वृहत आय, रोकड प्रवाह, इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 133 में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डो की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डो का अनुरक्षण भी शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन और निदेशक मंडल कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरणों समग्र रूप से महत्वपूर्ण दुर्विवरण से मुक्त हैं, जालसाजी अथवा चूक ये मुक्त हैं, ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना जो हमारे मत को प्रस्तुत करे। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विववरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रुप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान लेना तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरुप तैयार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ–गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम के अनुच्छेद 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह प्रणाली प्रभावी है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रुप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेनदेन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरुप में दिया गया है अथवा नहीं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में दुर्विवरण का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचाने गए दुर्विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखापरीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम ''**अनुबंध–क**'' के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143 (3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी ने उचित लेखाबहियों का अनुरक्षण किया है जैसा कि लेखाबहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस का अनुपालन करते हैं।

(ड.) निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05.06.2015 के अनुसरण में अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधानों सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख ''**अनुबंध–ख**'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है।

(छ) संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अपने निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में को अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है।

(ii) कंपनी ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, भौतिक पूर्वानुमानित हानि के लिए प्रावधान किया है। कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं है।

(iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

(iv) क) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा, विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, इस आशय के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कोई भी निधि अग्रिम या उधार के रूप में या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम या कोई अन्य स्रोत या धन से), कि मध्यस्थ, चाहे वित्तपोषण पक्ष द्वारा या उनकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें (अंतिम मध्यस्थ), या अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या समान रूप में प्रदान करना,

ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्षों) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई निधि प्राप्त नहीं की है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पक्ष या उसकी ओर से किसी भी तरीके (अंतिम मध्यस्थ) में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें। अंतिम लाभार्थीय से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या समान प्रकार की निधि प्रदान करें।

ग) उक्त परिस्थितियों में युक्तिसंगत और उचित मानी जाने वाली ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि उप खंड (क) और (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

vi. लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, और यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग, दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

ग. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के लेखों और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को अनुबंध–ग पर हमारी पृथक रपोर्ट देखें।

कृते एस. मान एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000075N

हस्ता/–
(सुभाष चंद्र मान)
सझेदार
सदस्यता संख्या 080500
यूडीआईएन : 23080500BGXRAU5748

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–क

(एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड की समसंख्यक तिथि हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैरा–क का संदर्भ लें)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांच की गई लेखाबहियों और रिकॉर्ड के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों के संबंध में:

(क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड का अनुरक्षण नहीं किया हैं। अचल संपत्ति रजिस्टर में विभिन्न परिसंपत्तियों (संपत्ति संख्या के संदर्भ में) के लिए दिखाया गया मात्रात्मक विवरण, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अचल संपत्तियों के भौतिक रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं है।

(ख) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। इसलिए, उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (i)(क)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) वर्ष के दौरान, प्रबंधन द्वारा सत्यापन के एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया था, जो हमारी राय में, उचित अंतराल पर सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन के लिए आधार प्रदान करता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर महत्वपूर्ण विसंगतियां देखी गईं और लेखाबहियों में निपटान किया गया है।

(ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (i)(ग) कंपनी पर लागू नहीं है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (i)(घ) कंपनी पर लागू नहीं है।

(ड.) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, इसके अलावा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत दिनांक 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के विरूद्ध वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. (क) जैसा कि हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है, जिसकी आवृत्ति हमारी राय में उचित है। कंपनी इन्वेंट्री का उचित रिकॉर्ड नहीं रख रही है। हमारी राय में, इन्वेंट्री के आकार, प्रकृति और स्थान को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन द्वारा ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है। कंपनी द्वारा किए गए ऐसे सत्यापन में इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या उससे अधिक की विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ख) कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है, इसलिए उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (ii)(ख) कंपनी पर लागू नहीं है।

iii. कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्षों को किए गए निवेशों के संबंध में, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की गई या रक्षित या अरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया:

(क) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्षों को कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या रक्षित या सुरक्षा ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है और इसलिए, आदेश का पैराग्राफ–3 (iii) (क) और (ग) से (च) उस सीमा तक लागू नहीं है।

(ख) हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के लिए हानिकारक नहीं हैं।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी कंपनी को ऋण प्रदान नहीं किया है, इसलिए, उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (ग) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(घ) वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी कंपनी को ऋण प्रदान नहीं किया है, इसलिए, उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (घ) कंपनी पर लागू नहीं है

(ड.) कंपनी द्वारा दिया गया कोई भी ऋण जो वर्ष के दौरान बकाया हो, नवीनीकृत या विस्तारित नहीं किया गया हो या समान पक्षों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय का निपटान करने के लिए नए ऋण दिए गए हों।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान मांग पर चुकाने योग्य या किसी भी नियम या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किए बिना ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसलिए, खंड 3(iii)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्षों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या रक्षित या अरक्षित ऋण के रूप में कोई अग्रिम राशि नहीं दी है।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के तहत निर्दिष्ट कोई ऋण नहीं दिया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत विनिर्दिष्ट कोई निवेश किया या कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की। इसलिए, उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (iv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

v. कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए, जनता से स्वीकार की गई जमाराशियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम और कंपनी (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 2015 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान लागू नहीं हैं।

vi. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को विनिर्दिष्ट किया गया है। हमने लागत के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाई गई लेखा बहियों की व्यापक रूप से समीक्षा की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत रिकॉर्ड और उनकी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे गए हैं। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है कि, वे सटीक हैं या पूर्ण हैं।

iv. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और लेखा बहियों और रिकॉर्ड की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और उस पर लागू कोई अन्य वैधानिक बकायसहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त के संबंध में देय निर्विवाद राशियाँ दिनांक 31 मार्च, 2023 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थीं, जो इस प्रकार हैं :

विधान का नाम	**देयों की प्रकृति**	**मिलियन में**	**अवधि जिससे राशि संबंधित है**	**भुगतान की तिथि**
भविष्य निधि अधिनियम, 1952	पीएफ	7.33	वि.व 2022-23	भुगतान नहीं किया गया
कर्मचारी राज्य बीमा, 1948	ईएसआईसी	0.82	वि.व 2022-23	भुगतान नहीं किया गया
पेशेवर कर	पीटी	4.78	पूर्ववर्ती वर्ष और वित्तीय वर्ष 2022-23	भुगतान नहीं किया गया

(ख) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2023 तक उपरोक्त उप–खंड (क) में उल्लिखित कोई बकाया नहीं है, जिसे नीचे उल्लिखित को छोड़कर, किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है। रू

अधिनियम का नाम	इसकी प्रकृति	मिलियन में	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज आ.व	19.18	आ.व 2013-14	(सीआईटी अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	6.60	आ.व 2017-18	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	5.40	आ.व 2017-18	एनएफएसी
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	80.76	आ.व 2018-19	एनएफएसी
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	200.25*	आ.व 2020-21	एनएफएसी
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर एवं ब्याज	659.40	वि.व 2017-2020	विभागीय प्राधिकारी
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर एवं ब्याज	78.17	वि.व 2017-2020	विभागीय प्राधिकारी
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर एवं ब्याज	9.77	वि.व 2017-2018	सहायक आयुक्त (केंद्रीय जीएसटी)
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	दंड	5.71	वि.व 2018-2019	अतिरिक्त आयुक्त (जीएसटी)
भविष्य निधि अधिनियम, 1952	क्षति और ब्याज	60.06	वि.व 2020-2022	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

* 16 अक्टूबर 2021 को स्वःआकलन कर के रूप में 82.65 मिलियन रूपए की राशि जमा की गई है।

viii. वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या प्रकटित पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

ix. (क) कंपनी ने बैंकों को ऋण चुकाने और उधार लेने में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। इसलिए, पैराग्राफ 3 (ix) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने इस अवधि के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, इसलिए पैराग्राफ 3 (ix) (iii) उक्त आदेश कंपनी पर लागू नहीं है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने इस अवधि के दौरान अल्पकालिक आधार पर धन नहीं जुटाया है, इसलिए पैराग्राफ 3 (ix) (iv) उक्त आदेश कंपनी पर लागू नहीं है।

(ड.) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने इस अवधि के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(च) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने इस अवधि के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।

x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी कोई भी प्रतिभूति (ऋण उपकरण सहित) जारी नहीं की है और इसलिए आदेश के खंड (x)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड (x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

xi. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कोई भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में लेख परीक्षकों द्वारा दायर नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसिल–ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (xi) (ग) कंपनी पर लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii. हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन के लिए, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन करती है और संबंधित पक्ष के लेन–देन के विवरण वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट किए गए हैं, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

xiv. क) हमारी राय में कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, लेखापरीक्षा के तहत इस अवधि के लिए कंपनी को आज तक जारी किए गए लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv. हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi)(क), (ख) और (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कंपनी एक प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास समूह के भाग के रूप में कोई सीआईसी नहीं है।

xvii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।

xviii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

xix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अवधि बढ़ने और अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है। तुलन पत्र की तिथि को, मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा

करने में सक्षम नहीं है, जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियां जब भी वे देय हों, कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी।

xx. अधिनियम की धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) (क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते एस. मान एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000075N

हस्ता/–
(सुभाष चंद्र मान)
साझेदार
सदस्यता संख्या 080500
यूडीआईएन : 23080500BGXRAU5748

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2023

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2023 को **एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड** (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं– कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने सनदी लेखाकार संस्थानप द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शक नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं

जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अर्हत मत

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2023 को सामग्रीगत खामियां चिह्नित की गई हैं:

(क) लेखापरीक्षित किए जा रहे वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन की कमियां :

(i) विस्तृत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरित वित्तीय नियंत्रण पर दिशानिर्देश नोट द्वारा यथापेक्षित अभिलेखित मानक प्रचालन प्रक्रियाएं विद्यमान नहीं हैं।

(ii) लेखांकन साफ्टवेयर में मेकर/चैकर नियंत्रणों जैसे प्राधिकार नियंत्रणों को और सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सामान्य और अनुप्रयोग नियंत्रण का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(iv) कंपनी के प्रचालनों के आकार को ध्यान में रखते पेरोल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तथापि, यह पाया गया है कि विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे उपस्थिति, अवकाश रिकार्ड, कार्यभार ग्रहण करने वाले नए तथा त्यागपत्र देने वाले कार्मिक का ब्यौरा, सांविधिक देयों का भुगतान, आदि पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं है और उनका अनुरक्षण मानवीय रूप से किया जा रहा है।

(ख) लेखा बहियों के साथ भौतिक सूची और अचल संपत्तियों के सामंजस्य के लिए नियंत्रण को और मजबूत किया जा सकता है।

(ग) महत्वपूर्ण लेखों जैसे प्राप्य लेखे, देय लेखे, रिटर्न सहित सांविधिक देय के समाधान के निष्पादन में विफलता तथा पेरोल शेष को समय पर और सटीक रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

(घ) कार्गो हैंडलिंग और APEDA तथा SAP को ध्यान में रखते हुए गैलेक्सी सॉफ्टवेयर एकीकृत नहीं हैं।

(ड.) MBA एमबीएस सॉफ्टवेयर में बग के कारण, पूर्ण बिलिंग SAP में दर्ज नहीं की जाती है। कंपनी उन बिलिंग को खाते में मैन्युअल रूप से प्रविष्ठ करती है जो, MBA सॉफ्टवेयर से SAP में इंटरफेस नहीं किए गए थे।

(च) नया ग्राहक खाता बनाते समय केवाईसी को विभाग के साथ मांगे/साझा नहीं किए जाते हैं।

(छ) एमएमडी द्वारा सामग्री की खरीद के रिकॉर्ड पूरी तरह से स्वचालित और मानवीय रूप से बनाए नहीं रखे जाते हैं।

(ज) जारी किए गए रैंप सहायता फॉर्म (आरए फॉर्म) के रिकॉर्ड पूरी तरह से स्वचालित नहीं हैं और मानवीय रूप से बनाए रखा जाता है। रैंप सहायता फॉर्म (आरए फॉर्म) का कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसके लिए चालान जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे नियंत्रणों को और मजबूत किया जाना चाहिए।

''सामग्रीगत खामी'' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकता है।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण खामियों के प्रभाव के कारण कंपनी ने दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2023 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त और कुशल आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुरक्षण नहीं किया है।

कृते एस. मान एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000075N

हस्ता/–
(सुभाष चंद्र मान)
साझेदार
सदस्यता संख्या 080500
यूडीआईएन : 23080500BGXRAU5748

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

हमने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लेखों की जांच की है और हम अपनी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेश के आधार पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा कि निम्नानुसार, लेखा बिहयों और रिकॉर्डों की जांच से पता चलता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी वर्ष 2022–23 के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को इंगित करने वाले निदेश।

क्र. सं	निदेश	लेखापरीक्षा की टिप्पणियां
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, को उल्लेख करें।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से लेनदेन का लेखा–जोखा रखने की प्रणाली है। हालाँकि, यह देखा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के सामान्य और अनुप्रयोग नियंत्रणों के डिजाइन की पर्याप्तता जो सूचना प्रणाली को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के अनुरूप पूर्ण और सटीक जानकारी प्रदान करने से रोकती है, को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम अधिक जानकारी के लिए अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के खंड (i) के तहत उपरोक्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट – ''अनुलग्नक–ख'' में अपनी अलग रिपोर्ट में दी गई अपनी टिप्पणियों का संदर्भ लेते हैं।
2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/कर्ज/ब्याज, आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसका वित्तीय प्रभाव प्रस्तुत करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखांकन किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू है)	कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं हुए हैं।
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/राजसहायता, आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित लेखांकन/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों का उल्लेख करें।	केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित लेखांकन/उपयोग किया गया था।

कृते एस. मान एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000075N

हस्ता/–
(सुभाष चंद्र मान)
साझेदार
सदस्यता संख्या 080500
यूडीआईएन : 23080500BGXRAU5748

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2023

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तर

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क्र.सं	अर्हता के बिंदु	प्रबंधन के उत्तर
विषय पर बल		
1	हम वित्तीय विवरणों के नोट 53 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां वर्ष 2022–23 के दौरान, एअर इंडिया लिमिटेड और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड ने जुर्माने के लिए क्रमशः 121.41 मिलियन रुपये और 1.61 मिलियन रुपये की राशि का चालान जारी किया है। हालाँकि, कंपनी के लेखा बहियों में इसके लिए प्रावधान नहीं कराया गया है।	एअर इंडिया और एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बीच एमएसए के अनुसार सेवा मानक और कार्यनिष्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इन्हें कार्यनिष्पादन के आधार पर निर्धारित किया गया हैं। सेवा मानकों का पालन न करने पर एअर इंडिया ने ईआरएफ फॉर्म जारी किया। एआई और एआईएएसएल के बीच दर्ज एमएसए (पृष्ठ सं – 66) के खंड 36.2 के अनुसार, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि एअर इंडिया प्रत्येक शिफ्ट के बाद अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणीकरण के लिए हैंडलिंग रिपोर्ट तैयार करेगी और प्रदान करेगी, हैंडलिंग अपवाद रिपोर्ट प्रारूप (ईआरएफ) पर एआई और एआईएएसएल द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा खंड 2.7 के अनुसार, देरी की संयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी और उन्हें केवल तभी जिम्मेदार ठहराया जाएगा जब वे एआईएएसएल की जिम्मेदारी और नियंत्रण में हों। वर्ष 2022–23 के दौरान, एअर इंडिया ने जुर्माने के तौर पर 121.41 मिलियन रुपये की राशि का चालान प्रस्तुत किया है। हालाँकि, एआईएएसएल लगाए गए जुर्माने का विरोध कर रहा है क्योंकि चालान के साथ कोई ईआरएफ फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे मामलों में एस्केलेशन मैट्रिक्स के अनुसार, एअर इंडिया को मामले को हब कंट्रोल सेंटर/एयरपोर्ट मैनेजर, फिर क्षेत्रीय महाप्रबंधक और तत्पश्चात, क्षेत्रीय निदेशक के पास भेजना चाहिए। यह देखा गया है कि एआईएएसएल द्वारा जुर्माना लगाने का विरोध करने के बावजूद, एअर इंडिया ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया और न ही हमारे पत्राचार का उत्तर दिया। एआईएएसएल की दृढ़ मत है कि एअर इंडिया द्वारा लगाया गया जुर्माना एकतरफा और एआईएएसएल की सहमति के बिना है। एआईएएसएल द्वारा इसका विरोध करने के बावजूद, एअर इंडिया ने न तो इस मामले को वापस लिया और न ही इसे आगे बढ़ाया, जिससे हमारी धारणा और प्रबल हो गई है कि लगाया गया जुर्माना सेवा स्तर समझौते के मानदंडों के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त तर्क एलायंस एयर द्वारा लगाए गए जुर्माने के लिए भी सही है।

क्र.सं	अर्हता के बिंदु	प्रबंधन के उत्तर
2	हम वित्तीय विवरणों के नोट सं 37 पर ध्यान देते हैं, कंपनी समूह कंपनिया यथा, एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और एलायंस एयरलाइंस लिमिटेड के संबंध में प्राप्तियों की अतिदेय शेष राशि पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज ले रही है। चालू वर्ष के दौरान, अतिदेय भुगतानों पर ब्याज रु 116.67 मिलियन रूपए को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया गया है। हमने प्रबंधन के मत पर विश्वास किया है कि इस तरह की राशि पूर्ण रूप से वसूल की जाएगी और इसलिए, वर्तमान वर्ष के लिए कोई और समायोजन की आवश्यकता नहीं है।	एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और एलायंस एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड से वसूली योग्य ब्याज पर, अतिदेय शेष एमएसए के संदर्भ में है और पिछले वर्षों के लिए उक्त कंपनियों से पहले ही वसूल किया जा चुका है और ऑडिट के तहत वर्ष के लिए भी पूरी तरह से वसूली योग्य है।
3	हम वित्तीय विवरणों में नोट 7 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी के पास भंडार और पुर्जों सहित 56.11 मिलियन रूपए ऐसी इन्वेंटरी के समायोजन के लिए 33.14 मिलियन रूपए का प्रावधान किया गया है) राशि की इन्वेंटरी उपलबध हैं। इन इन्वेंटरी को एअर इंडिया लिमिटेड और एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड से स्थानांतरित किया गया है, जिनका उपयोग तीन वर्षों से अधिक के लिए नहीं किया जाता है। हमने प्रबंधन के मत पर विश्वास किया है कि इस तरह की इन्वेंटरी का मूल्य कम से कम बहियों में वहन मूल्य के समान है और इसलिए, वर्तमान वर्ष के लिए और समायोजन की आवश्यकता नहीं है।	हमारे तकनीकी दल ने पुष्टि की है कि भंडारण और कलपुर्जा इन्वेंट्री के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है जो 3 वर्षों से अधिक समय से हमारे पास पड़ी है और इसलिए इन्वेंट्री को उन बहियों में ले जाया जा रहा है जिस पर इसे एआई से हमें स्थानांतरित किया गया था। इसके अलावा हमने ऐसी सूची के अप्रचलन के लिए भी प्रावधान किया है।
4	हम नोट 54 के वित्तीय विवरणों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने विभिन्न व्यावसायिक परिसरों के लिए पट्टों में प्रवेश किया है (खरीद/नवीनीकरण के विकल्प के साथ लेकिन इसका शीर्षक अंततः स्थानांतरित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है) जो विभिन्न स्थानों/स्टेशनों/क्षेत्रों में स्थित हैं और अनुबंध में फोरक्लोजर खंड है, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा 90 दिनों की नोटिस अवधि प्रदान करके इसे रद्द किया जा सकता है। प्रबंधन को मतानुसार, इसे रद्द करने योग्य पट्टे के रूप में मानते हुए, यह इंड एएस 116 पट्टा लेखांकन के तहत मान्यता के लिए योग्य नहीं है। मूल्यांकन के लंबित होने के कारण, इन पट्टों को इंड एएस 116 के तहत उपयोग के अधिकार के रूप में नहीं माना गया है और इसका किराया चालू वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण के लिए व्यवस्थित रूप से लगाया गया है। हमने प्रबंधन के इस तर्क पर विश्वास किया है कि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।	कंपनी ने पट्टे पर लिए गए वाहनों के संबंध में इंड एएस 116 के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान की है और उसका ब्यौरा भी प्रस्तुंत किया है। कंपनी ने पट्टा किराये को उपयोग के अधिकार की संपत्ति के रूप में पूंजीकृत करके वाहनों के लिए इंड एएस 116 के तहत आवश्यक अनुपालन किया है। जहां तक परिसर का संबंध है, हमने इन्हें अल्पकालिक पट्टे के रूप में स्वीकार किया है क्योंकि समझौते में दोनों पक्षों द्वारा 90 दिनों की अल्प सूचना पर इसे समाप्त करने का विकल्प होता है। इसलिए, यह व्याख्या की गई कि रद्द करने योग्य पट्टों के संबंध में इंड एएस 116 की प्रयोज्यता पर विचार नहीं किया गया। हालाँकि, किराये के कारण होने वाला व्यय लाभ हानि विवरण से वसूला गया था और इस आशय का उपयुक्त प्रकटन लेखों के नोट में किया गया है।

क्र.सं	अर्हता के बिंदु	प्रबंधन के उत्तर
5	हम वित्तीय विवरणों के नोट 47 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां कंपनी ने एआईएएचएल को देय बकाया राशि के औसत पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 35.69 मिलियन रुपये की ब्याज राशि प्रदान की है।	ब्याज अन्य समूह कंपनियों के साथ मौजूद एमएसए के अनुरूप प्रदान किया गया है।
6	हम वित्तीय विवरणों के नोट 33 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां विभिन्न पक्षों से प्राप्य और उन्हें देय राशियां, पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।	हमने दिनांक 31.03.2023 तक शेष राशि की पुष्टि के लिए सभी तृतीय पक्ष एयरलाइंस को भेजा था, हालांकि, कुछ को छोड़कर, किसी भी एयरलाइंस ने शेष राशि की पुष्टि नहीं की है। हमने एआई एक्सप्रेस, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज, एलायंस एयर और एआई एएचएल से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त कर ली है।
7	हम वित्तीय विवरणों के नोट 43 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड ने दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी को अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और, तदनुसार एनसीएलटी ने आवेदन स्वीकार कर लिया है, तथा दिनांक 10 मई, 2023 के आदेश के तहत दिवाला प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2023 तक 220.35 मिलियन रुपये (ब्याज राशि 11.27 मिलियन रुपये सहित और तदनुसार कंपनी ने ईसीएल में ब्याज को छोड़कर प्राप्तियों का 100 प्रतिशत प्रावधान किया है) का दावा दायर किया है।	यह तथ्यात्क कथन है।
अनुबंध क–सीएआरओ		
(i) (क) (क)	कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए नहीं रखे हैं। अचल संपत्ति रजिस्टर में विभिन्न परिसंपत्तियों (परिसंपत्ति संख्या देखें) के लिए दिखाए गए मात्रात्मक विवरण कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अचल संपत्तियों के भौतिक रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं हैं।	वर्ष के दौरान सभी स्टेशनों को अचल संपत्ति रजिस्टर बनाए रखने का निदेश दिया गया। स्टेशन पर रखी गई अचल संपत्तियों और बही–खातों के साथ मिलान का काम चल रहा है और यदि इसका कोई प्रभाव पड़ता है, तो उसका विश्लेषण किया जाएगा और निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उसका प्रभाव लिया जाएगा।
अनुबंध ख – आईएफसी		
(क)	लेखापरीक्षित किए जा रहे वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन की कमियां :	
(i)	विस्तृत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरित वित्तीय नियंत्रण पर दिशानिर्देश नोट द्वारा यथापेक्षित अभिलेखित मानक प्रचालन प्रक्रियाएं विद्यमान नहीं हैं।	कंपनी नए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर/ईआरपी के कार्यान्वयन के साथ–साथ नए एसओपी के विकास की प्रक्रिया में है।

क्र.सं	अर्हता के बिंदु	प्रबंधन के उत्तर
(ii)	लेखांकन साफ्टवेयर में मेकर/चैकर नियंत्रणों जैसे प्राधिकार नियंत्रणों को और सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है।	कंपनी मौजूदा ईआरपी में नियंत्रण के किसी भी कार्यान्वयन के लिए एआई और आईबीएम पर निर्भर है। ओडीडीओ नाम का एक नया सॉफ्टवेयर दिनांक 01 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है जिसमें मेकर/चेकर नियंत्रण के पर्याप्त उपाय लागू किए गए हैं।
(iii)	वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सामान्य और अनुप्रयोग नियंत्रण का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	कंपनी मौजूदा ईआरपी में नियंत्रण के किसी भी कार्यान्वयन के लिए एआई और आईबीएम पर निर्भर थी। दिनांक 01.4.2023 से लागू नई ईआरपी में नियंत्रण उपायों का ध्यान रखा गया है।
(iv)	कंपनी के प्रचालनों के आकार को ध्यान में रखते पेरोल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तथापि, यह पाया गया है कि विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे उपस्थिति, अवकाश रिकार्ड, कार्यभार ग्रहण करने वाले नए तथा त्यागपत्र देने वाले कार्मिक का ब्यौरा, सांविधिक देयों का भुगतान, आदि पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं है और उनका अनुरक्षण मानवीय रूप से किया जा रहा है।	कंपनी ने जेटा एचआरएमएस नामक नई ईआरपी पहले ही लागू कर दी है और हम सभी एचआर और पेरोल संबंधी मामलों के स्वचालन की प्रक्रिया में हैं।
(ख)	लेखा बहियों के साथ भौतिक सूची और अचल संपत्तियों के सामंजस्य के लिए नियंत्रण को और मजबूत किया जा सकता है।	इसे अनुपालन के लिए नोट किया गया है।
(ग)	महत्वपूर्ण लेखों जैसे प्राप्य लेखे, देय लेखे, रिटर्न सहित सांविधिक देय के समाधान के निष्पादन में विफलता तथा पेरोल शेष को समय पर और सटीक रूप से समायोजित नहीं किया गया है।	सभी बही–खातों का मिलान कर लिया गया है और तुलनपत्र की तारीख तक लेखापरीक्षक को साझा कर दिया गया है।
(घ)	कार्गो हैंडलिंग और एपीईडीए तथा एसएपी को ध्यान में रखते हुए गैलेक्सी सॉफ्टवेयर एकीकृत नहीं हैं।	गैलेक्सी सॉफ्टवेयर से निकाले गए डेटा से कार्गो चालान महीने के अंत में एसएपी में दर्ज किए जाते हैं। हालाँकि, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर महीने प्रभावी उपायों पर ध्यान दिया जाता है। दोनों सॉफ्टवेयर का एकीकरण नई ईआरपी में किया जाएगा।
(ड.)	एमबीएस सॉफ्टवेयर में बग के कारण, पूर्ण बिलिंग एसएपी में दर्ज नहीं की जाती है। कंपनी उन बिलिंग को खाते में मैन्युअल रूप से प्रविष्ठ करती है जो, एमबीएस सॉफ्टवेयर से एसएपी में इंटरफेस नहीं किए गए थे।	ग्राहक कोडिंग और जीएल कोडिंग में कुछ त्रुटि के कारण चालान एसएपी में दर्ज होने के लिए अटके हुए हैं। जो चालान एमबीएस से एसएपी में नहीं भेजे जाते हैं, उनका मिलान किया जाता है और नियमित अंतराल पर भेजा जाता है, और सटीकता बनाए रखी जाती हैं

क्र.सं	अर्हता के बिंदु	प्रबंधन के उत्तर
(च)	नया ग्राहक खाता बनाते समय केवाईसी को विभाग के साथ मांगे/साझा नहीं किए जाते हैं।	लेखा विभाग द्वारा ग्राहक कोड बनाया जाता है, जिसमें ग्राहक को दिए गए प्रारूप में सभी विवरण भरने को कहा जाता है। ग्राहक द्वारा भरे गए विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए केवाईसी विवरण जैसे जीएसटी प्रमाणपत्र आदि मांगे जाते हैं।
(छ)	एसएपी में बग के कारण मूल्यह्रास की गणना एक्सेल में की जाती है।	हालाँकि, स्क्रैप रजिस्टर बनाए रखा गया है, इसके उन्नयन की आवश्यकता होगी।
(ज)	एमएमडी द्वारा सामग्री की खरीद के रिकॉर्ड पूरी तरह से स्वचालित और मानवीय रूप से बनाए नहीं रखे जाते हैं।	यह एक तथ्य है कि एमएमडी द्वारा सामग्री की खरीद मैन्युअल रूप से की जाती है, हालांकि, स्वचालन की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।
(झ)	जारी किए गए रैंप सहायता फॉर्म (RA फॉर्म) के रिकॉर्ड पूरी तरह से स्वचालित नहीं हैं और मानवीय रूप से बनाए रखा जाता है। रैंप सहायता फॉर्म (RA फॉर्म) का कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसके लिए चालान जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे नियंत्रणों को और मजबूत किया जाना चाहिए।	नए ईआरपी में, आरए फॉर्म के डिजिटलीकरण का प्रावधान है जिसमें सभी आरए फॉर्म डेटा को डिजिटल रूप से कैप्चर किया जाएगा और चालान उत्पन्न करने के लिए स्वचालित रूप से ईआरपी में प्रवाहित किया जाएगा। यह ईआरपी के कार्यान्वयन के दूसरे चरण में किया जा रहा है।

VT-UDB

भारत INDIA

31 मार्च, 2023 को लेखापरीक्षित तुलन पत्र

(रूपए मिलियन में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को पुनर्कथन#	01 अप्रैल 2021 को पुनर्कथन#
परिसंपत्ति				
1. गैर वर्तमान परिसंपत्तियां				
क. संपत्ति, संयत्र और उपकरण	2 (क)	2,934.47	3,168.65	3,369.42
ख. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	2 (ख)	2.15	-	-
ग. परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार	2 (ग)	-	-	31.76
घ. वित्तीय परिसंपत्तियां	–	-	-	-
(i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3	1,299.16	9.17	12.71
ड. आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	4	487.68	450.12	49.89
च. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	5	1,130.35	1,084.41	964.11
छ. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	6	23.74	19.77	29.48
कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		**5,877.56**	**4,732.12**	**4,457.37**
चालू परिसंपत्तियां				
क. दरसूचियां	7	22.97	59.14	62.27
ख. वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) व्यापार प्राप्य	8	4,071.44	3,499.33	3,730.34
(ii) नकद और नकदी समतुल्य	9	520.43	776.18	43.46
(iii) नकद और नकद समतुल्य उपर्युक्त–ii से इतर बैंक शेष	10	1.73	61.66	1.59
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपतितयां	11	100.96	1.13	95.74
(v) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	144.75	38.57	35.76
कुल चालू परिसंपत्तियां		**4,862.28**	**4,436.01**	**3,969.16**
कुल परिसंपत्तियां		**10,739.84**	**9,168.13**	**8,426.53**
इक्विटी और देयता				
1. इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	1,384.24	1,384.24	1,384.24
(ख) अन्य इक्विटी	14	2,846.46	2,067.16	1,778.29
कुल इक्विटी		**4,230.70**	**3,451.40**	**3,162.53**
देयता				
2. गैर–चालू देनदारियां				
(क) वित्तीय देनदारियां	-	-	-	-
(i) लीज देनदारियां	15	-	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	16	72.48	64.51	52.17
(ख) प्रावधान	17	2,413.54	2,429.09	2,625.43
कुल गैर चालू देयताएं		**2,486.02**	**2,493.60**	**2,677.60**
3. वर्तमान देनदारियां				
(क) वित्तीय देनदारियां	-	-	-	-
(i) पट्टा देनदारियां	15	-	-	35.19
(ii) व्यापार देय				
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	21	2.30	0.14	4.51
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	21	1,619.33	1,458.10	978.97
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	18	1,185.56	990.53	897.70
(ख) प्रावधान	19	859.04	478.54	312.29
(ग) अन्य मौजूदा देनदारियों	20	356.89	295.82	358.11
कुल मौजूदा देनदारियाँ		**4,023.12**	**3,223.13**	**2,586.77**
कुल देनदारियों		**6,509.15**	**5,716.73**	**5,264.37**
कुल शेयर और देनदारियां		**10,739.84**	**9,168.13**	**8,426.90**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, प्रमुख लेखांकन अनुमान और निर्णय 1

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें

त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप पुनर्कथन के संबंध में विवरण के लिए नोट–31 देखें

हमारी संलग्नक समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 000075N

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डिन 07728790

हस्ता./–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डिन 10041387

हस्ता./–
सुभाष चंद्र मान
साझेदार
सदस्यता संख्या : 080500
यूडीआईएनः 23080500BGXRAU5748

हस्ता./–
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता./–
रामबाबू सी.एच.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता./–
श्रीमती शशि भदूला
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19.07.2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षित लाभ और हानि विवरण

(रूपए मिलियन में, ईपीएस को छोडकर)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 हेतु समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 हेतु समाप्त वर्ष हेतु (पुनर्कथन)#
1 आय			
प्रचालन से राजस्व	22	8,944.73	6,988.51
अन्य आय	23	378.25	232.05
कुल आय		**9,322.98**	**7,220.56**
2 व्यय :			
कर्मचारी लाभ व्यय	24	5,161.82	4,821.47
वित्तीय लागत	25	149.21	373.53
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	26	283.79	407.86
अन्य व्यय	27	2,755.19	1,730.43
कुल व्यय		**8,350.01**	**7,333.29**
3 कर पूर्व लाभ/हानि (1–2)		**972.97**	**(112.73)**
4 कर व्यय	44		
(i) चालू कर		235.77	-
(ii) पिछले वर्षों से संबंधित कर हेतु अल्प प्रावधान		-	24.62
(iii) आस्थगित कर		(45.94)	(197.30)
कुल कर व्यय		**189.83**	**(172.68)**
5 वर्ष के लिए कर के बाद लाभ/(हानि) (3–4)		**783.14**	**59.96**
6 अन्य व्यापक आय			
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (निवल कर)			
– कर्मचारी लाभ दायित्वों की पुनर्मापन		(3.92)	228.92
कुल अन्य व्यापक आय		**(3.92)**	**228.92**
7 वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) (5+6)		**779.22**	**288.88**
8 आय/(हानि) प्रति इक्विटी शेयर (₹ 10/– प्रत्येक)			
(i) मूल	28	5.66	0.43
(ii) विलयित	28	5.66	0.43

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, प्रमुख लेखांकन अनुमान और निर्णय 1

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें

त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप पुनर्कथन के संबंध में विवरण के लिए नोट–32 देखें

हमारी संलग्नक समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 000075N

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डिन 07728790

हस्ता./–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डिन 10041387

हस्ता./–
सुभाष चंद्र मान
साझेदार
सदस्यता संख्या : 080500
यूडीआईएन: 23080500BGXRAU5748

हस्ता./–
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता./–
रामबाबू सी.एच.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता./–
श्रीमती शशि भदूला
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19.07.2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का लेखापरीक्षित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी **(रूपए मिलियन में)**

1 अप्रैल 2022 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1 अप्रैल 2022 को पुनपर्कथन शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2023 को शेष
1,384.24	-	1,384.24	-	1,384.24

1 अप्रैल 2021 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1 अप्रैल 2021 को पुनपर्कथन शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2022 को शेष
1,384.24	-	1,384.24	-	1,384.24

1 अप्रैल 2020 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1 अप्रैल 2020 को पुनपर्कथन शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2021 को शेष
1,384.24	-	1,384.24	-	1,384.24

ख. अन्य इक्विटी **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक	अन्य वृहत आय	कुल
	प्रतिधारित आमदनी		
1 अप्रैल, 2020 तक शेष	**3,752.31**	**(6.44)**	**3,745.87**
वर्ष के लिए लाभ	(1,885.33)	-	(1,885.33)
त्रुटि/लोप में सुधार	(86.78)	-	(86.78)
कर्मचारी लाभ दायित्वों की पुनर्माप	-	4.53	4.53
31 मार्च, 2021 तक शेष	**1,780.20**	**(1.91)**	**1,778.29**
1 अप्रैल, 2021 तक शेष	**1,780.20**	**(1.91)**	**1,778.29**
वर्ष के लिए घाटा	59.96	-	59.96
कर्मचारी लाभ दायित्वों की पुनर्मापन	-	228.92	228.92
31 मार्च, 2022 तक शेष	**1,840.16**	**227.01**	**2,067.16**
1 अप्रैल, 2022 तक शेष	**1,840.16**	**227.01**	**2,067.16**
वर्ष के लिए लाभ / हानि	783.14	-	783.14
राउंड ऑफ का अंतर	0.07	-	0.07
कर्मचारी लाभ दायित्वों की पुनर्माप	-	(3.92)	(3.92)
31 मार्च, 2023 तक शेष	**2,623.37**	**223.09**	**2,846.46**

हमारी संलग्नक समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 000075N

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डिन 07728790

हस्ता./–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डिन 10041387

हस्ता./–
सुभाष चंद्र मान
साझेदार
सदस्यता संख्या : 080500
यूडीआईएन: 23080500BGXRAU5748

हस्ता./–
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता./–
रामबाबू सी.एच.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता./–
श्रीमती शशि भदूला
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19.07.2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित रोकड़ प्रवाह का विवरण

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त	31 मार्च 2022 को समाप्त
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
कर पूर्व वर्ष लाभ	972.97	(112.73)
समायोजन :		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	283.79	407.86
सावधि जमा पर ब्याज आय	(47.48)	(1.44)
आयकर प्रतिपूर्ति पर ब्याज आय	-	-
वित्तीय खर्च	149.21	373.53
खराब ऋण बट्टे खाते में डाले गए	-	110.00
विविध शेष बट्टे खाते में डाले गए	0.07	-
अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	-	106.31
एसईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट पात्रता की बिक्री पर नुकसान	750.06	231.72
एसईआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट पात्रता के लिए प्रावधान	-	4.30
परिसंपत्ति पट्टा खाता	14.46	-
एसईआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट पात्रता के लिए प्रावधान	-	66.79
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	5.54	9.74
कर्मचारी लाभ दायित्वों की पुनर्मापन	(3.92)	228.92
शुद्ध गैरवसूलीयोग्य विनिमय हानि	(25.16)	449.61
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ/(हानि)	**2,099.54**	**1,874.61**
समायोजन		
सूची में (वृद्धि)/कमी	36.17	3.13
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(1,297.00)	(328.60)
अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(68.20)	(313.40)
अन्य गैर–चालू वित्तीय संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	-	3.54
अन्य मौजूदा संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(111.72)	(12.67)
अन्य गैर–वर्तमान संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(3.97)	(10.01)
अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी)	380.50	(87.98)
लंबी अवधि के प्रावधान में वृद्धि / (कमी)	(15.55)	(196.34)
व्यापार देय में वृद्धि / (कमी)	163.40	450.14
वित्तीय देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	203.00	105.16
अन्य देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	61.07	(62.29)
संचालन से उत्पन्न नकदी	**1,447.24**	**(1,445.39)**
आय कर (भुगतान)/वापसी	(273.34)	(323.23)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी (क)	**1,173.90**	**1,121.16**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(66.22)	(175.33)
सावधि जमा पर ब्याज आय	15.85	0.33
बैंक जमा में निवेश	(1,230.07)	(60.07)
निवेश गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी (ख)	**(1,280.44)**	**(235.07)**

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त	31 मार्च 2022 को समाप्त
ग. वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
पट्टा देनदारियों की चुकौती	-	(35.19)
वित्तीय खर्च	(149.21)	(119.30)
वित्तपोषण गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी (ग)	**(149.21)**	**(154.49)**
नकद और नकद समतुल्य (क + ख + ग) में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	**(255.75)**	**732.60**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	776.18	43.58
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य (नोट 9 देखें)	**520.06**	776.18

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, प्रमुख लेखांकन अनुमान और निर्णय 1

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें

रोकड प्रवाह विवरण के नोट :

1. रोकड प्रवाह विवरण ''अप्रत्यक्ष विधि '' के तहत तैयार किया गया है, जैसा कि इंड एएस 7 ''रोकड प्रवाह विवरण'' में निर्धारित किया गया है।
2. पिछले वर्षों के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक हो, पुनर्समूहित किया गया है।

हमारी संलग्नक समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 000075N

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डिन 07728790

हस्ता./–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डिन 10041387

हस्ता./–
सुभाष चंद्र मान
साझेदार
सदस्यता संख्या : 080500
यूडीआईएन: 23080500BGXRAU5748

हस्ता./–
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता./–
रामबाबू सी.एच.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता./–
श्रीमती शशि भदूला
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19.07.2023

वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. कारपोरेट सूचना :

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (भारत सरकार की कम्पनी एअर इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की सहायक सहायक कम्पनी) का भारत में सार्वजनिक लिमटेड कम्पनी के रूप में निगमन भारत में लागू कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत किया गया है और इसका सीआईएन U63090DL2003PLC120790 है। कंपनी ने अपना नाम एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड से बदल कर एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड कर दिया है। कम्पनी मुख्यतः भारतीय हवाईअड्डों पर भारतीय प्रचालकों को स्थल संचलन से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है।

कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय : दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया कॉम्पलैक्स, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्ड, नई दिल्ली–110037 में स्थित है।

ख. महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां :

कम्पनी द्वारा इन वित्तीय विवरणों का निर्माण किया गया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 को वर्ष के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं वर्ष में समाप्त तिथि के अनुसार इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा लेखांकन नीतियां एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल की गई है (यहां एकसाथ ''वित्तीय विवरणों'' के नाम से संदर्भित)।

(i) लेखे तैयार तथा प्रस्तुति करने का आधारः

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया गया है, केवल रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में कुछ वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किए जाने को छोड़कर, जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में उल्लेख किया गया है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा, चाहे उसकी कीमत सीधे समायोजन योग्य हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित की गई हो। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए कंपनी परिसंपत्ति या देयता की विशेषताओं को ध्यान में रखती है, यदि मापन तिथि को परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय बाजार सहभागी उन विशेशताओं को ध्यान में रखते हैं।

इंड एएस–116 के कार्यक्षेत्र के भीतर, इन वित्तीय विवरणों में मापन तथा/अथवा प्रकटीकरण उद्देश्यों से उचित मूल्य का निर्धारण ऐसे आधार पर किया गया है, जो इंड एएस–116 की व्यापकता के दायरे में आने वाले पट्टा संव्यवहारों के अलावा हैं , तथा उनका मापन उचित मूल्य की कुछ ऐसी समानताओं के अनुसार किया गया जो उचित मूल्य नहीं हैं, जेसे कि इंड एएस–2 में शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य अथवा इंड एएस 36 में प्रयुक्त मूल्य।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उचित मूल्य मापन को उनकी डिग्री के आधार पर 1, 2 तथा 3 के स्तर में उस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है जिनमें उचित मूल्य मापन की इनपुट प्रत्यक्ष हैं तथा उचित मूल्य मापन पर ऐसी इनपुट की सार्थकता सम्पूर्ण है, जो निम्नानुसार वर्णित किए गए हैंः–

- स्तर 1 इनपुट उन समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं जिन तक कोई इकाई मापन की तिथि को पहुंच स्थापित कर सकती है;
- स्तर 2 की इनपुट मूल्य उद्धृत उन इनपुटों के अलावा हैं जो स्तर 1 में शामिल की गई हैं तथा जो परिसम्पति अथवा देयता के लिए, परोक्ष अथवा अपरोक्ष स्वरूप में, देखी जा सकती हैं; तथा
- स्तर 3 इनपुट परिसम्पति अथवा देयता की वे इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष नहीं हैं।

तुलन पत्र में आवर्ती आधार पर स्वीकृत की गई परिसम्पतियों तथा देयताओं के बारे में कम्पनी द्वारा ये निर्धारण किए जाते हैं कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण (न्यूनतम स्तर की इनपुट पर आधारित जो पूर्ण रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) के पुनःमूल्यांकन द्वारा स्तरों के मध्य तारतम्यता में अंतरण किए गए हैं अथवा नहीं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों तथा देयताओं की प्रकृति, विशिष्टता एवं परिसम्पति अथवा देयता से सम्बद्ध जोखिम के आधार पर तथा पर किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उचित मूल्य तारतम्यता के स्तर के अनुसार उनके वर्गों का निर्धारण किया गया है।

(ii) **कार्यात्मक मुद्रा :**

कम्पनी जिस प्रमुख आर्थिक परिवेश में अपने प्रचालन (''कार्यात्मक मुद्रा'') करती है वह भारतीय रूपए (रू.) है, जिसकी प्रमुख उत्पति कम्पनी द्वारा करके रोकड़ के रूप में प्रसारित की जाती है। तदनुसार, प्रबंधन द्वारा भारतीय रूपए (रू.) को अपनी कार्यात्मक मुद्रा रूप में स्वीकार किया गया है। कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति अपनी कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपए) में की गई है तथा वित्तीय विवरणों तथा नोटों में सभी राशियों के प्रकटीकरण कार्यात्मक मुद्रा में करते हुए उन्हीं निकटतम मिलियन (एक दशमलव तक), यदि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है, तक राउंड–आफ किया गया है।

(iii) **चालू तथा गैर–चालू वर्गीकरण**

कंपनी द्वारा अपनी परिसम्पतियों एवं देयताओं को तुलन पत्र में चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

कोई परिसम्पति चालू परिसम्पति तब होती है जब वह निम्नलिखित में से किसी मानदंड के अनुसार हो :–

- वह सामान्य प्रचालन क्रम में बिक्री के लिए नियत हो। वह मुख्यतः सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हो;
- वह रिपोर्टिंग अवधि के बारह माह के भीतर बिक्री की जानी हो; अथवा
- यदि विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य हो।

अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब वह निम्नलिखित में से किसी मानदंड के अनुसार हो :–

- जिसका सामान्य प्रचालन क्रम में निपटान संभावित हो;
- यह मुख्यतः सेवाओं के उद्देश्य से धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर इसका समाधान किया जाना हो। रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह की अवधि के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का कोई असंबंध अधिकार न हो। जिसकी देयता के उपबंधों के अनुसार, प्रतिपक्ष के विकल्प के अनुसार, समाधान के तौर पर इक्विटी उपकरण में परिणत होने से इसके वर्गीकरण प्रभावित न होते हों।

अन्य सभी दायित्वों का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियां/देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

कम्पनी सेवा सेक्टर में कार्य करती है जिससे इसका कोई प्रचालन क्रम नहीं है; तथापि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।।। के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए ''प्रचालन क्रम'' के तौर पर 12 माह की अवधि को अंगीकार किया गया है। तदनुसार, चालू देयताओं और चालू परिसम्पतियों में गैर–चालू वित्तीय देयताओं तथा परिसम्पतियों का चालू भाग शामिल किया गया है।

ग. हाल की घोषणाएं

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 23 मार्च 2022 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया है। इंड एएस में निम्नलिखित संशोधन और वार्षिक सुधार दिनांक 01 अप्रैल 2022 से लागू हैं।

इंड एएस – 103 व्यापार संयोजन

यह संशोधन विनिर्दिष्ट करता है कि अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के भाग के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु चिन्हित संपत्ति और देनदारियों के लिए, पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को अधिग्रहण की तारीख पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया भारतीय लेखांकन मानकों (अवधारणात्मक फ्रेमवर्क) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अवधारणात्मक फ्रेमवर्क में संपत्ति और देनदारियों की परिभाषा को पूरा करना चाहिए।

इंड एएस – 16 संपत्ति संयंत्र और उपकरण

यह संशोधन स्पष्ट करता है कि पीपीई को उसके इच्छित उपयोग के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री आय को पीपीई की लागत से नहीं काटा जा सकता है। इसके स्थान पर, ऐसी आय को लाभ या हानि विवरण में मान्यता दी जाएगी।

इंड एएस – 37 प्रावधान

यह संशोधन स्पष्ट करता है कि किसी अनुबंध को 'पूरा करने की लागत' में वृद्धिशील लागत (प्रत्यक्ष श्रम और सामग्री) और अन्य प्रत्यक्ष लागतों का आवंटन (जैसे, अनुबंध को पूरा करने में उपयोग किए जाने वाले पीपीई की वस्तु के लिए मूल्यह्रास शुल्क) दोनों शामिल हैं।

इंड एएस 109 में वार्षिक सुधार – वित्तीय साधन

यह संशोधन, वित्तीय देनदारियों की अमान्यता के लिए '10 प्रतिशत परीक्षण' करते समय स्पष्ट करता है, उधारकर्ता में केवल उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच सीधे या दूसरे की ओर से भुगतान या प्राप्त शुल्क शामिल होता है। कंपनी उपरोक्त संशोधनों/सुधारों से अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं करती है।

घ. अनुमान और निर्णय का उपयोगः

इंड एएस के रूप में उपयोग की जाने वाली कई लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में निहित प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमानों और मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता है, जो रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करती हैं, आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों का प्रकटन करती है और राजस्व तथा व्यय की मात्रा को प्रकट करती है। वास्तविक परिणाम उपयोग किए गए अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में निर्णयों, आकलनों और अनुमान अनिश्चितता का प्रमुख स्रोत होते हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्ति और देनदारियों की मात्रा को समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण समायोजन का कारण हो सकता है, मुख्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, मूल्यह्रास/परिशोधन, कर्मचारी लाभ दायित्वों, प्रावधान, आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर परिसंपत्तियों का मापन, आकस्मिक संपत्ति और आकस्मिक देयताएं आदि के निर्धारण के संबंध में।

ड. सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई):

क) किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की लागत में परिसम्पतियों की प्राप्ति की ऋण लागतों तथा इनकी डिकमीशनिंग की संभावित लागतों सहित व्यावसायिक छूट तथा रियायतें, आयात शुल्क एवं अन्य कर (कर प्राधिकरणों से बाद में धनवापसी योग्य के अलावा), सम्पति को आशित उद्देश्य से उपयोग में लाने के लिए किए गए प्रत्यक्ष सम्बद्ध व्यय शामिल हैं। सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण को प्रचालन के लिए उपयोग में लाए जाने के दौरान मरम्मत तथा अनुरक्षण जैसे व्यय वहन किए जाने के वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए जाते हैं।

सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का स्वीकृति तब समाप्त की जाती है, जब उनके उपयोग अथवा उनके निपटान से भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। सम्पति की किसी मद, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान से होने वाले लाभों तथा हानियों का निर्धारण निपटान से प्राप्त की गई आय की तुलना सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की वहन राशि के साथ करके इसे लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

सेवाओं, आपूर्ति अथवा प्रशासनिक उद्देश्यों से उपयोग के लिए धारित फ्रीहोल्ड भूमि के अलावा सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का उल्लेख तुलन पत्र में संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर किया गया है।

कम्पनी द्वारा अपनी प्रत्येक सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण के वहन मूल्य को इंड एएस में पारगमन पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्रदान की गई है जिनका मापन पूर्व जीएएपी के अनुसार किया गया था तथा इसके लिए पारगमन की तिथि को उनकी मानित लागत को उपयोग में लाया गया है।

परिसम्पतियों की मूल्यह्रास की राशि परिसम्पति की लागत अथवा लागत की प्रतिपूरक राशि है जिसमें से अनुमानित अवशिष्ट मूल्य घटाया गया है। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–।। में निर्धारित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा के उपयोग से परिसम्पति का मूल्यह्रास परिसम्पति की लागत में से उसके उपयोज्यता काल पर अवशिष्ट मूल्य घटाकर किया गया है। 10000 रूपए से कम मूल्य की परिसम्पति, संयंत्र एवं उपकरण को प्रत्येक मामले में क्रय के वर्ष में पूर्णतः स्वीकृत कर लिया जाता है। कंपनी ने पीपीई के लिए अपनी पूंजीकरण नीति को बदल दिया है जो चालू वित्त वर्ष से 10,000 रुपये से अधिक नहीं होने वाले छोटे मूल्य का लेखा अनुमान है, जिसका चालू वित्तीय वर्ष में शून्य वित्तीय प्रभाव है।

(वर्ष में)

परिसंपित्तयां	**कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार उपयोगिता आयु**
कार्यालय उपकरण	5
रैंप उपकरण	15
फर्नीचर और फिक्सचर	10
इलैलक्ट्रिकल फिटिंग	10
कम्प्यूटर	3
कारकाना उपकरण और उपस्कर	10
संयंत्र और मशीनरी	15
वहन	8

ख) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन रोटेशनल आधार पर किया जाता है जिससे प्रत्येक भौतिक परिसम्पति का सत्यापन प्रत्येक दो वर्ष में एक बार किया जा सके तथा सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान पाई जाने वाली अनियमितताओं रिपोर्ट किए जाने के वर्ष में किया जा सके।

ग) सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में कम्पनी मूर्त परिसम्पतियों की वहन लागत के संबंध में ऐसी परिसम्पतियों द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हानि का वहन करने के संकेत ज्ञात करने के लिए समीक्षा की जाती है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसम्पति से संबंधित वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाकर क्षतिपूर्ति हानि (यदि कोई हो) के विस्तार का निर्धारण किया जाता है। जब किसी एक परिसम्पति की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगा पाना संभव नहीं हो पाता है तो उस परिसम्पति से सम्बद्ध रोकड़ उत्पति करने वाली यूनिट के संबंध में कम्पनी द्वारा अनुमान लगाए जाते हैं। जब निर्धारण के लिए किसी प्रकार का औचित्यपरक अथवा संगत आधार प्राप्त नहीं हो पाता है तो उनका विनियोजन रोकड़ उत्पति यूनिटों के सबसे छोटे समूह में कर दिया जाता है जिससे औचित्यपरक एवं संगत निर्धारण को ज्ञात किया जा सके।

किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पन्न करने वाली वाली यूनिट की प्राप्य राशि उसकी निपटान लागतों तथा उसके प्रयोग मूल्य को घटाकर, उसके उचित मूल्य से उच्च होती है। प्रयोग मूल्य का निर्धारण अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह को तत्समय के कर पूर्व छूट दर के चालू बाजार निर्धारणों को दर्शाने वाले धन के समय मूल्यों तथा परिसम्पति,जिनके संबंध में भावी रोकड़ प्रवाह के अनुमानों के समायोजन नहीं किए गए हैं, से संबद्ध जोखिमों से घटाकर किया जाता है।

यदि किसी परिसम्पति (अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट) के अनुमान उसकी वहन राशि से कम होते हैं तो परिसम्पति (अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट) की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि में से घटा दिया जाता है। ऐसा करके लाभ एवं हानि विवरण में अक्षमता हानि की स्वीकृति शीघ्र कर ली जाती है।

घ. मालसूचियां

विभिन्न भंडारों एवं कलपुर्जों से युक्त मालसूचियों का मूल्यांकन उनकी न्यूनतम लागत तथा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) के अनुसार किया जाता है। मालसूचियों की लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है। निवल प्राप्य मूल्य के अनुमान सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उनकी बिक्री दर में से उन्हें पूर्ण किए जाने की लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक बदलाव की अनुमानित लागतों को घटाकर आंके जाते हैं।

झ राजस्व स्वीकृति

इंड एएस–115 : ग्राहक करारों से प्राप्त राजस्व तथा ऐसे राजस्व की राशियों एवं समय की स्वीकृति से संबंधित है। इसके मानक में राजस्व स्वीकृति के लिए पांच चरण की एप्रोच व्यवस्थित की गई है:–

– करार का अभिनिर्धारण करना;
– करार के निष्पादन दायित्वों का अभिनिर्धारण करना;
– संव्यवहार मूल्य का निर्धारण करना
– संव्यवहार मूल्य के साथ निष्पादन दायित्व का निर्धारण करना; तथा
– अततः उन निष्पादन दायित्वों के प्रति राजस्व प्राप्ति का सुनिश्चय करना।

इंड एएस–115 में पारगमन करके कम्पनी द्वारा संशोधित पूर्वव्यापी एप्रोच को अंगीकार किया गया है तथा तदनुसार इस वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ पूर्व वर्ष की तुलनात्मकता का वर्णन नहीं किया गया है। इंड एएस–115 में पारगमन का मूल्यांकन प्रभाव निष्पादित किया गया है।

सेवाओं की प्रस्तुति

कम्पनी अपने राजस्व की स्वीकृति ग्राहक को प्रदर्शित मूल्य पर प्रतिबद्ध सेवाओं की प्रस्तुति करके उस राशि के लिए करती है जिसके प्रति कम्पनी की हकदारी की प्रत्याशा ऐसी सेवाओं की प्रस्तुति के प्रति की गई है।

कम्पनी द्वारा सामान्य राजस्व के प्रति स्वीकृति उस समय के बिन्दु पर की जाती है जब ग्राहक को सेवाओं की प्राप्ति जाती है।

क) स्थल संचलन सेवाओं के प्रति स्वीकृति सेवाएं प्रदान करने के पश्चात की जाती है। वित्त वर्ष के अंत में बिल न की गई सेवाओं के अनुमान, उपलब्ध डेटा के आधार पर, आंक कर राजस्व स्वीकृति की जाती है।

ख) ब्याज से प्राप्त आय की स्वीकृति समय पर आनुपातिक आधार पर की जाती है।

ग) अन्य प्रचालन राजस्व की स्वीकृति, अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के प्रति की जाती है।

विविध निष्पादन दायित्वों की राजस्व व्यवस्था के लिए कम्पनी द्वारा एकल प्रकार की सेवाओं, यदि वे विशिश्ट प्रकार की हैं, को अलग अलग लेखाबद्ध किया जाता है अर्थात यदि कोई सेवा व्यवस्थित की गई मदों से अलग प्रकार की है तथा यदि ग्राहक को इससे लाभ प्राप्त होते हों। इस प्राप्त प्रतिफल का निर्धारण उनके स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य पर आधारित व्यवस्थाओं में अलग सेवाओं के लिए किया जाता है।

संविदा शेष

i) संविदा परिसम्पति

संविदा परिसम्पति ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रति अधिकार स्वरूप प्राप्त प्रतिफल है। यदि कम्पनी द्वारा किसी ग्राहक को प्रतिफल प्राप्त करने अथवा भुगतान देय होने से पूर्व सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो व्यवसाय प्राप्य सहित उपार्जित प्रतिफल को संविदा प्रतिफल की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ii) संविदा देयताएं

संविदा देयताएं ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने के वे दायित्व हैं जिनके लिए कम्पनी ने ग्राहक से प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) प्राप्त किया है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक को सेवा प्रदान करने से पूर्व ग्राहक प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा देयता के प्रति स्वीकृति तब की जाती है जब भुगतान देय (जो भी पहले हो) होता है। राजस्व में संविदा देयता की स्वीकृति तब होती है जब कम्पनी द्वारा ग्राहक से प्राप्त अग्रिम सहित संविदा के अंतर्गत निष्पादन किया जाता है।

iii) धनवापसी देयताएं

धनवापसी ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल के कुछ अथवा पूर्ण भाग (अथवा प्राप्य) की धनवापसी का दायित्व है तथा इसका मापन उस राशि पर किया जाता है जिसकी धनवापसी अंततः ग्राहक को किए जाने के लिए कम्पनी से प्रत्याशित होती है। कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी धनवापसी देयताओं के अनुमान अद्यतन किए जाते हैं।

च. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण उस प्रमुख आर्थिक परिवेश के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसमें कम्पनी अपने प्रचालन करती है। कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपया (मानक भारतीय रूपया) है।

कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं (विदेशी मुद्राओं) में किए जाने वाले संव्यवहारों के प्रति निम्नलिखित दरों पर स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क) आईएटीए (IATA) क्लीयरिंग हाउस (ICH) के साथ बिलों के समाधान के लिए किए गए इंटरलाइन समझौते के आधार पर इंटरनेशल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) द्वारा संबंधित माह के लिए प्रकाशित विनिमय दर पर।

ख) प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदों का अंतरण फॉरन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा वितरित विनिमय दरों पर किया जाता है तथा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के परिणामस्वरूप हुए लाभ/हानि की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

ग) गैर–मौद्रिक मदों का मापन अंतरित न की गई विदेशी मुद्रा की ऐतिहासिक लागत के अनुसार किया जाता है।

छ. पट्टे

कंपनी ने दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से इंड एएस–116 पट्टे की लेखांकन प्रणाली को स्वीकार किया है। इंड एएस–116 के रूप में इंड एएस ''पट्टों'' में पट्टों के लिए एकल और तुलन पत्र लेखांकन मॉडल को आरंभ किया है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी, एक पट्टेदार के रूप में, अपने अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली अंतर्निहित संपत्ति का उपयोग करने के लिए प्रयोग अधिकारी परिसंपत्तियों को स्वीकृति प्रदान करती है और पट्टा भुगतान के लिए अपने दायित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली पट्टा देनदारियों का उपयोग करती है।

पट्टा कार्य, दिनांक 30 जून 2021 तक किया गया है, उस तारीख तक, अनुबंध की समाप्ति हुई है और उसके बाद अनुबंध केवल अल्पावधि अवधि के लिए विस्तारित होता है और इंड एएस 116 अल्पावधि पट्टों पर लागू नहीं होता है।

निम्नलिखित प्रारंभिक अनुप्रयोग पर व्यावहारिक समीक्ष का सार निम्नानुसार हैः

क. समान अंतिम तिथि के साथ समान आर्थिक वातावरण में समान संपत्ति के पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर को लागू किया गया है।

ख. 12 महीने से कम अवधि के पट्टों, कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों और पट्टा संविदाओं वाले पट्टों के लिए प्रयोग अधिकारी परिसंपत्तियों और देयताओं को स्वीकार न करने के लिए छूट हेतु आवेदन, जिसमें पट्टेदार और पट्टादाता प्रत्येक को पट्टे के आरंभिक स्वीकृति की तिथि को गैर महत्वपूर्ण दंड सहित अन्य पक्ष से अनुमति लिए बिना इसे समाप्त करने का अधिकारी होगा।

ग. आकलन की विधि के व्यवहारिक समीचीन का अनुप्रयाग, जिसके संव्यवहारों पट्टे हैं। तदनुसार, इंड एएस–116 को केवल उन अनुबंधों पर लागू किया जाता है जिन्हें पहले इंड एएस–17 के तहत पट्टों के रूप में स्वीकार किया गया था

पट्टाधारक के रूप में कम्पनी

कंपनी संविदा की आरंभिक अवस्था में इसका आकलन करती है कि क्या किसी संविदा में पट्टा है या इसमे पट्टा समाविष्ट है। इसका अर्थ है कि यदि संविदा में किसी चिह्नित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है और विधि ने पट्टों के रूप में लेनदेन के मूल्यांकन के लिए ''पूर्ववर्ती दृष्टिकोण'' हेतु व्यावहारिक दृष्टिकोण को लागू किया। तदनुसार, इंड एएस 116 को केवल उन अनुबंधों पर लागू किया जाता है जिन्हें पहले इंड एएस–17 के तहत पट्टों के रूप में स्वीकार किया गया था। पट्टों के रूप में पट्टों (पट्टे पर ली गई संपत्ति) को कंपनी सभी पट्टों के लिए समान मान्यता और मापन दृष्टिकोण लागू करती है, केवल अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर, कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे और पट्टे के अनुबंध जिसमें पट्टेदार और पट्टेदार को प्रत्येक को बिना किसी दंड के साथ किसी अन्य पक्ष से अनुमति के बिना पट्टे को समाप्त करने का अधिकार होता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी चिह्नित संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है किः

(i) संविदा में चिह्नित संपत्ति का उपयोग शामिल है

(ii) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ विद्यमान हैं।

(iii) कंपनी के पास संपत्ति के उपयोग को निर्धारित करने का अधिकार है।

अल्पकालिक, कम मूल्य के पट्टों और पट्टा संविदाओं, जिसमें पट्टाकर्ता और पट्टेदार को प्रत्येक पक्ष को बिना किसी अतिरिक्त दंड के किसी अन्य पर्क्ष से अनुमति लिए बिना पट्टे को समाप्त करने का अधिकार है और कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी–रेखा आधार पर प्रचालनिक व्यय पर स्वीकार करती है। कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टा अवधि के अंत से पहले पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने का विकल्प शामिल हैं। आरओयू परिसंपत्तियों और पट्आ देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि उनका उपयोग किया जाएगा।

कंपनी, पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करती है, साथ ही पट्टे का विस्तार करने के लिए एक विकल्प द्वारा कवर की गई किसी भी अवधि के साथ, यदि यह यथोचित रूप से प्रयोग किया जाना निश्चित है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई कोई भी अवधि, यदि यह यथोचित रूप से निश्चित है कि इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कंपनी के पास कई पट्टा अनुबंध हैं, जिनमें विस्तार और समाप्ति विकल्प शामिल हैं। कंपनी यह मूल्यांकन करने में निर्णय लागू करती है कि क्या यह उचित रूप से निश्चित है कि पट्टे को नवीनीकृत करने या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करना है या नहीं। यह उन सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करता है जो इसके लिए नवीनीकरण या समाप्ति का प्रयोग करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैदा करते हैं। प्रारंभ तिथि के बाद, कंपनी लीज अवधि का पुनर्मूल्यांकन करती है और यदि कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है जो उसके नियंत्रण में है और नवीनीकरण या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने या न करने की क्षमता को प्रभावित करता है।

आरओयू परिसंपत्तियों को आरंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसमें पट्टे की भुगतान की प्रारंभिक राशि पट्टा भुगतान की प्रारंभिक तिथि के साथ या उससे पहले ली गई भुगतान की राशि जमा कोई प्रत्यक्ष लागत घटा कोई पट्टा प्रोत्साहन पर समायोजित किया जाता है। तत्पश्चात, उन्हें कम संचित मूल्यह्रास और हानि के नुकसान पर मापा जाता है।

आरओयू परिसंपत्तियों को पट्टा अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के छोटे से अधिक सीधी रेखा आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रासित किया जाता है। जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलते हैं कि उनकी वहन मात्रा पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकती है, तो आरओयू परिसंपत्त्यों की वसूली के लिए मूल्यांकन किया जाता है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि (अर्थात बेचने के लिए उचित मूल्य घटा लागत और उच्च मूल्य का उपयोग) को व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो व्यापक स्तर पर अन्य परिसंपत्तियों से भिन्न है। ऐसे मामलों में, नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीयू) के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है, जिसके पास संपत्ति विद्यमान है।

पट्टा देयता को आरंभ में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इन पट्टों के अधिवास के देश में वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करते हुए पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है और यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है तो रियायती विधि का उपयोग किया जाता है। पटट्े की देनदारियों को संबंधित आरओयू परिसंपत्ति के अनुरूप समायोजन के साथ हटा दिया जाता है, यदि कंपनी अपना आकलन परिवर्तित करता है कि क्या वह समय विस्तार या समापन विकल्प का उपयोग करेगी।

तुलन पत्र में पट्टा देनदारी और आरओयू परिसंपत्तियों को अलग–अलग प्रस्तुत किया जाता है और पट्टे के भुगतान को नकदी प्रवाह के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ज. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों के लिए तब तक स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है जब तक कम्पनी द्वारा ऐसे अनुदान के साथ सम्बद्ध शर्तों का अनुसरण किए जाने तथा अनुदान की प्राप्ति के संबंध में औचित्यपरक आश्वासन नहीं होता है।

सरकारी अनुदानों को प्रक्रियाबद्ध आधार पर उन वर्षों के लिए लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है जिन वर्षों में कम्पनी द्वारा उन सम्बद्ध लागतों को व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिनके व्यय की प्रतिपूर्ति के अनुदान आशित है अथवा जब निष्पादन दायित्व पूर कर लिए जाते हैं।

परिसम्पतियों से सम्बद्ध सरकारी अनुदानों की तुलन पत्र में प्रस्तुति आस्थगित आय के रूप में की जाती है तथा लाभ एवं व्यय में इसकी स्वीकृति प्रक्रियाबद्ध आधार पर सम्बद्ध परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता के अनुसार की जाती है।

झ. कर्मचारी हितलाभ :

सेवानिवृत्ति हितलाभ लागतें तथा सेवा समाप्ति हितलाभ

परिभाषित अंशदायी सेवानिवृति हितलाभ योजनाओं के संबंध में व्यय की स्वीकृति कर्मचारियों द्वारा अंशदानों की योग्यता के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने पर की जाती है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों में परिभाषित अंशदायी योजनाएं तथा परिभाषित हितलाभ योजनाएं शामिल हैं।

क) परिभाषित अंशदायी योजनाएं

परिभाषित अंशदायी योजना में कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान शामिल है। कंपनी के पास दिनांक 01 दिसंबर 2021 तक स्थायी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट हैं। उसके बाद, ट्रस्ट को भंग कर दिया गया है और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत ईपीएफओ को राशि स्थानांतरित कर दी गई है। निश्चित अवधि के संबंध में अनुबंध (एफटीसी) कर्मचारियों, भविष्य निधि (पीएफ) बकाया कंपनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कार्यालय में जमा किया जाता है। वेतन संरचना के घटकों से संबंधित दिनांक 28 फरवरी, 2019 को उच्चतम न्यायालय (एससी) का निर्णय आया था, जिसे ईपीएफ अधिनियम के तहत भविष्य निधि में योगदान की गणना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसमें आवेदन की प्रभावी तिथि सहित निर्णय से संबंधित व्याख्यात्मक पहलू शामिल हैं। प्रबंधन की दृष्टि से, पीएफ के लिए योगदान की गणना, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार की जानी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का बकाया नियमित रूप से सरकारी अधिकारियों के पास जमा किया जाता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं के लिए कंपनी के भुगतान को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी उन सेवाओं का निष्पादन करते हैं, जिनमें भुगतान शामिल होता है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं

कम्पनी में परिभाषित हितलाभ योजना है जिनका निधियन नहीं है तथा इनमें उपादान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ एवं अन्य लाभ शामिल हैं। परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाओं के लिए हितलाभ प्रदान किए जाने की लागतों का निर्धारण परियोजना यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में वार्षिक आधार पर किए जाते हैं।

दायित्वों का मापन अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह के विद्यमान मूल्य के अनुसार किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजना के अंतर्गत दायित्व के वर्तमान मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली छूट दरें तुलन पत्र तिथि को सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती हैं जिनकी परिपक्वता अवधियां सम्बद्ध दायित्वों के काल के लगभग अनुरूप होती हैं। समायोजनों के व्यवहारों तथा बीमांकित अनुमानों से उत्पन्न लाभ एवं हानियों का पुनःमापन को सीधे अन्य व्यापक आय में इनके घटित होने की अवधि में स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन्हें इक्विटी परिवर्तन में ''अन्य इक्विटी'' के अंतर्गत तथा तुलन पत्र में शामिल किया जाता है।

परिभाषित हितलाभ दायित्वों में समाधान अथवा कटौतियों के परिणामस्वरूप हुए परिवर्तनों को पूर्व सेवा लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ के अंतर्गत छुट्टी नकदीकरण का लेखांकन किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कम्पनी के शुद्ध दायित्व हितलाभों की उस राशि के लिए होते हैं जिनका समाधान कर्मचारियों द्वारा चालू एवं पूर्व वर्षों में सेवा के दौरान अर्जित लाभों के लिए भविष्य में किया जाना है। विद्यमान मूल्य ज्ञात करने के लिए ये लाभ घटा दिए जाते हैं। दायित्व का मापन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग

से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। पुनःमापन को लाभ एवं हानि विवरण में उस वर्ष के लिए स्वीकृति दी जाती है जिस वर्ष में ये उत्पन्न हुए होते हैं।

अल्पकालिक हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ का लेखांकन उन वर्षों के लिए किया जाता है जिन वर्षों में सेवाएं प्रदान की गई हैं।

अल्पकालिक एवं अन्य दीर्घ कालिक कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारियों को वर्ष के दौरान मजदूरी तथा वेतन, वार्षिक छुट्टी तथा बीमारी छुट्टी के संबंध में प्रदान किए जाने वाले लाभों के प्रति देयता की स्वीकृति प्रदान की गई सेवाओं के विनियम में चुकता किए जाने वाले संभावित लाभों

अल्प–कालिक कर्मचारी हितलाभों का मापन बट्टा न की गई राशि पर सम्बद्ध सेवाओं के विनियम में चुक्ता किए जाने वाले संभावित लाभों के लिए देयताएं स्वीकृत की गई हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

ण. आय पर कर

आय कर व्यय से वर्तमान में देय कर तथा आस्थगित कर के योग की प्रस्तुति होती है।

चालू कर

चालू कर वह राशि है जो लागू कर दरों तथा आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष के कर योग्य लाभ के आधार पर संभावित कर का भुगतान के योग्य है।

आस्थगित कर

वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर की स्वीकृति परिसम्पति एवं देयताओं के मध्य अस्थाई अंतरों तथा कर योग्य लाभ के आकलन के लिए प्रयुक्त अनुवर्ती कर आधारों के लिए की जाती है। आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति कटौति योग्य सभी अस्थाई अंतरों के लिए की जाती है जिनमें कर योग्य लाभ की प्राप्ति की ऐसी संभावनाएं व्याप्त हों जिनके प्रति कटौति योग्य अस्थाई अंतरों को उपयोग में लाया जा सकेगा। ऐसी अस्थाई कर परिसम्पतियों तथा देयताओं को तब स्वीकृति नहीं दी जाती है जब ऐसे अस्थाई अंतर परिसम्पति तथा देयता के संव्यवहार में प्रारंभिक स्वीकृति (व्यवसाय संयोजन के अलावा) से उत्पन्न हुए हों जिनका प्रभाव न तो कर योग्य पर और न ही लेखांकन लाभ पर पड़ा हो। इसके अलावा, साख की प्रारंभिक स्वीकृति से उत्पन्न अस्थाई अंतरों के लिए भी आस्थगित कर देयताओं को स्वीकृति नहीं दी जाती है। अस्थाई कर परिसम्पतियों की वहन राशि की समीक्षा रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में की जाती है तथा इन्हें उस सीमा तक न्यून कर दिया जाता है जिस सीमा तक परिसम्पति के प्रत्येक अथवा किसी भाग में पर्याप्त कर योग्य लाभ प्राप्त किए जाने की संभावना शेष नहीं रहती है।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) कर कानूनों के अंतर्गत किया जाता है जिनसे भावी आय कर देयता, जो कम्पनी द्वारा सामान्य आय कर चुकता किए जाने के स्वीकार्य प्रमाण के साथ आस्थगित कर सम्पति मानी गई है, के समायोजन के स्वरूप में भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। तदनुसार, न्यूनतम वैकल्पिक कर की परिसम्पति के रूप में तुलन पत्र में स्वीकृति कम्पनी को इससे जुड़े भावी आर्थिक लाभ की संभावना होने पर की जाती है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों तथा देयताओं का मापन, प्रवर्तित अथवा रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में मूलतः प्रवर्तित कर दरों (तथा कर कानूनों) के आधार पर, उन कर दरों पर किया जाता है जो उस वर्ष में उपयोग में लाए जाने संभावित थे जिस वर्ष में देयता का समाधान अथवा परिसम्पति उपार्जित की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों तथा आस्थगित कर देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों को चालू कर देयताओं के साथ संमजन करने के विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हों तथा आस्थगित कर समान कर योग्य इकाई तथा समान कर योग्य प्राधिकरण से सम्बद्ध हों।

आस्थगित कर की स्वीकृति तथा उनका अग्रेषण तब किया जाता है जब प्रचालनात्मक एवं वित्तीय पुनर्संरचना, राजस्व उत्पति एवं कम्पनी के लागत कटौति कार्यक्रम के आधार पर इन परिसम्पतियों से भविष्य में प्रतिफल प्राप्त होने की निश्चितता उपलब्ध होती है।

अवधि के दौरान चालू एवं आस्थगित कर

चालू एवं आस्थगित कर को लाभ अथवा हानि के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है जो कि अन्य व्यापक अथवा इक्विटी में सीधे स्वीकृत की गई मदों की समबद्धता होने के अलावा है जिनके मामले में चालू एवं आस्थगित कर की स्वीकृति भी क्रमशः अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में सीधे की जाती है। किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से चालू कर अथवा आस्थगित कर उत्पन्न होने पर कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में शामिल कर लिया जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों तथा देयताओं का तब समंजन कर दिया जाता है जब वे समान आय कर प्राधिकरण द्वारा लगाए आय करों से सम्बद्ध होती हैं तथा संबंधित इकाई अपनी चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समाधान निवल आधार पर करना चाहती है।

ट. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं / पूंजी प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिक परिसमपतियां

क) मापन के लिए पर्याप्त डिग्री के अनुमान लगाए जाने के प्रावधान तब स्वीकृत किए जाते हैं जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप विद्यमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हों तथा जिनसे संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना हो। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्रीगत होता है तो प्रावधानों को देयता के विशिष्ट जोखिम को स्पष्ट करने वाली, जहां उचित हो, चालू कर पूर्व दर पर घटा दिया जाता है। ऐसे अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती हे तथा प्रस्तुत चालू उत्तम अनुमानों का समायोजन कर लिया जाता है। प्रावधान से संबंधित व्यय की प्रस्तुति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

ख) प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि तुलन पत्र तिथि के किसी विद्यमान दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित उत्तम अनुमान होते हैं जो दायित्व से सम्बद्ध जोखिम एवं अनिश्चितताओं को विचार में लेकर निर्मित किए जाते हैं। विद्यमान दायित्व के समाधान के लिए जब किसी प्रावधान का मापन रोकड़ प्रवाह अनुमानों के उपयोग से किया जाता है तो उसकी वहन राशि ऐसे रोकड़ प्रवाहों का वर्तमान मूल्य होती हैं (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्रीगत होता है)।

ग) जब किसी अथवा सभी आर्थिक लाभों से ऐसे प्रावधान का समाधान किए जाने की अपेक्षा होती है जो किसी तृतीय पक्षकार से प्राप्त वसूली से किया जाना हे तो ऐसे प्राप्य को परिसम्पति की तब स्वीकृति प्रदान की जाती है जब पुनर्भुगतान की प्राप्ति निश्चित हो तथा प्राप्यों का मापन विश्वसनीय रूप में किया जाना संभव हो।

घ) आकस्मिक देयताओं, जो पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं परन्तु जिनके आस्तित्व की पुष्टि ऐसी एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं की आवृतियों अथवा गैर–आवृतियों से हो सकी है जो कम्पनी के पूर्णतः नियंत्रण में नहीं हैं, का समाधान संभावित दायित्वों से संबंधित एक नोट में प्रकटीकरण करके किया जाता है।

ङ) आकस्मिक परिसम्पतियां वे संभावित परिसम्पतियों हैं जो पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं तथा जिनके आस्तित्व की पुष्टि कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण से बाहर एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं की आवृति अथवा गैर–आवृति से हो सकती है। जब इससे संभावित आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है तो ऐसी आकस्मिक परिसम्पति का प्रकटीकरण कर दिया जाता है।

च) दुष्कर अनुबंध

किसी अनुबंध को दुष्कर तब माना जाता है जब कम्पनी के किसी अनुबंध को पूरा करने की अपरिहार्य लागतें अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। दुष्कर अनुबंधों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विद्यमान दायित्वों की स्वीकृति की जाती है तथा प्रावधानों के रूप में उनका मापन किया जाता है।

ठ. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

तुलन पत्र में प्रस्तुत रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य बैंक तथा उपलब्ध रोकड़ एवं तीन माह अथवा कम अवधि की मूल परिपक्वता वाले अल्प–कालिक जमा हैं जिनके प्रति मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य है।

रोकड़ प्रवाह विवरण के प्रयोजन से पर दी गई परिभाषा के अनुसार रोकड़ एवं अल्प–कालिक जमा से युक्त रोकड़ एवं समतुल्य, बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्ट के निवल, को कम्पनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न भाग माना गया है।

ड. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का आकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कर उपरांत लाभ / (हानि) से विभाजित करके किया गया है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का समायोजन राजकोष, बोनस शेयरों विद्यमान शेयरधारकों के राइट इश्यू के बोनस घटक, शेयर विखंडन तथा राजस्व शेयर विखंडन (शेयरों के समेकन) के साथ किया जाता है।

प्रति शेयर डायल्यूटिड आय का आकलन संभावित डायल्यूटिव इक्विटी शेयरों से सम्बद्ध लाभांश, ब्याज तथा व्यय एवं आय के अन्य प्रभारों (किन्हीं रोप्य करों का निवल) में समायोजित कर उपरांत लाभ/(हानि) को प्रति शेयर मूल आय उपार्जन के विचार धारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत तथा उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत से विभाजित किया जाता है जो डायल्यूटिव संभावना वाले इक्विटी शेयरो में परिवर्तन होने पर जारी किए गए हो सकते हैं तथा जिनमें कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के शेयर विकल्प की प्रक्रिया के लिए कोष शेयर शामिल हैं।

ढ. वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण एक प्रकार का अनुबंध होता है जिससे एक इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा दूसरी इकाई की वित्तीय देयता अथवा वित्तीय उपकरण की उत्पति होती है। वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं के लिए स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब इकाई उपकरण के संविदागत प्रावधानों के अंतर्गत पक्षकार बन जाती है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं का प्रारंभिक मापन उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहारों लागतों अथवा वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं को जारी करने (लाभ एवं हानि विवरण के (FVTPL) माध्यम से उचित मूल्य की वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं के अलावा) से संबंधित संव्यवहार लागतों को प्रारंभिक स्वीकृति के समय आनुपातिक स्वरूप में वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य के माध्यम से जोड़ अथवा घटा दिया जाता है। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से लाभ एवं माध्यम से उचित मूल्य पर प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत संव्यवहारों को लाभ एवं हानि विवरण में शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ण) वित्तीय परिसम्पतियां

क) वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण

प्रारंभिक स्वीकृति के दौरान वित्तीय परिसम्पति का मापन व्यवसाय माडल के लक्ष्यों के आधार पर वित्तीय परिसम्पतियों एवं संविदागत रोकड़ प्रवाह की विशिष्टताओं के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त परिशोधन लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) अथवा एफवीटीपीएल पर किया गया है।

ख) स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

किसी वित्तीय परिसम्पति की प्रारंभिक स्वीकृति उसके उचित मूल्य पर की जाती है तथा एफवीटीपीएल, उसके अधिग्रहण अथवा जारी किए जाने से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों पर नहीं की जाती है। वित्तीय परिसम्पतियों के क्रय एवं विक्रय के प्रति व्यवसाय की तिथि को की जाती है जो कि उपकरण के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी के पक्षकार बनने की तिथि है। यदि वित्तीय परिसम्पतियों को लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर रिकार्ड नहीं किया जाता है तो उनकी संव्यवहार लागतों को वित्तीय परिसम्पति के अधिग्रहण से समबद्ध कर दिया है।

इसके अलावा, प्रारंभिक स्वीकृति के समय कम्पनी द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से ऐसी वित्तीय परिसम्पति को पदनामित किया जाता है जो अन्यथा स्थिति में परिशोधन लागत अथवा एफवीटीपीएल के अनुसार एफवीटीओसीआई पर मापन की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं तथा ऐसा करके ऐसे लेखांकन के अनुपयुक्त मेल समाप्त कर दिए जाते हैं अथवा कम कर दिए जाते हैं जो ऐसा न करने पर हो सकते थे।

ग) अनुवर्ती मापन

निम्नलिखित दोनों अपेक्षाएं पूरी होने तथा एफवीटीपीएल के लिए निर्दिष्ट नहीं होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पति का मापन परिशोधन लागत पर किया जाता हैः–

- परिसम्पति का धारण बिजनेस मॉडल के रूप में किया जाता है, जिसका उद्देश्य परिसम्पतियां का धारण करके संविदागत रोकड़ प्रवाह का एकत्रण करना है।
- जिस सम्पति की संविदागत शर्तों में किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसा रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होता है, जो बकाया मूल राशियों की मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान के लिए है।

वित्तीय परिसम्पतियों का एफवीटीपीएल पर मापन प्रतयेक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में उनके उचित मूल्य पर पुनःमापन के दौरान लाभ अथवा हानि में स्वीकृत लाभ एवं हानि के साथ किया जाता है। लाभ अथवा हानि विवरण में स्वीकृत निवल लाभ अथवा हानि में वित्तीय परिसम्पतियों पर प्राप्त किसी प्रकार के लाभांश एवं ब्याज शामिल किए जाते हैं तथा इन्हें ''अन्य आय'' लाइन मद में शामिल किया जाता है। वित्तीय परिसम्पतियों के लाभांश पर एफवीटीपीएल की स्वीकृति तब होती है जब :

- जब कम्पनी का लाभांशों की प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो;
- जब ऐसी संभावना व्याप्त हो कि लाभांश से सम्बद्ध आर्थिक लाभों का लाभ इक्विटी को प्राप्त होगा;
- लाभांश से निवेश की लागत के भाग वसूली की प्रस्तुति न हो तथा लाभांश की राशि का मापन विश्वसनीय रूप में किया जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त करना

कम्पनी द्वारा ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों के प्रति स्वीकृति समाप्त की जाती है जब परिसम्पति से संबद्ध रोकड़ प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं, अथवा, जब वित्तीय परिसम्पति का अंतरण कर दिया जाता है तथा परिसम्पति के स्वामित्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल किसी अन्य पक्षों को अंतरित किए जाते हैं।

ड.) अन्य वित्तीय परिसम्पतियों की क्षति

कम्पनी द्वारा परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियों, एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरणों, प्राप्य पट्टों, प्राप्य व्यवसाय, रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति की प्राप्ति के अन्य संविदागत अधिकारों की अक्षमता हानि का संज्ञान करने के लिए संभावित ऋण हानि प्रारूप का उपयोग किया जाता है।

संभावित क्रेडिट हानियां भारित औसत पर भारिता के साथ–साथ उत्पन्न होने वाले संबद्ध चूक जोखिमों से युक्त क्रेडिट हानियां है। क्रेडिट हानि कम्पनी को अनुबंध के अंतर्गत देय सभी संविदागत रोकड़ प्रवाहों तथा उन रोकड़ प्रवाहों के मध्य का अंतर है जिनकी, मूल प्रभावी ब्याज दर (अथवा मूल क्रेडिट क्षति युक्त वित्तीय परिसम्पतियों के क्रय अथवा उससे उत्पन्न क्रेडिट समायोजित प्रभावी ब्याज दर) को घटाकर, (अर्थात सभी रोकड़ न्यूनताएं) प्राप्त होने की प्रत्याशा कम्पनी को होती है। कम्पनी द्वारा वित्तीय उपकरण के संभावित उपयोज्यता काल के माध्यम वित्तीय उपकरणों (उदाहरण के तौर पर पुनर्भुगतान, विस्तार एवं समान प्रकार के विकल्प) के सभी संविदागत उपबंधों पर विचार करके रोकड़ प्रवाहों के अनुमान लगाए जाते हैं।

कम्पनी द्वारा वित्तीय उपकरण के हानि अंश का मूल्यांकन, यदि ऐसे वित्तीय उपकरण के ऋण जोखिम में प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से अत्यधिक वृद्धि हुई है, उपयोज्यता काल की संभावित ऋण हानियों की समान राशि पर किया जाता है। यदि प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से वित्तीय उपकरण ऋण जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है तो कम्पनी द्वारा ऐसे वित्तीय उपकरण के हानि अंश का मापन 12 माह की संभावित क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर किया जाता है। 12 माह की संभावित क्रेडिट हानियां संभावित उपयोज्यता काल का भाग होती हैं तथा इनसे उपयोज्यता काल की वे रोकड़ न्यूनताएं प्राप्त होती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह की अवधि में किसी प्रकार की चूक घटित होने की स्थिति में उत्पन्न हो सकती हैं तथा इस प्रकार ये वे रोकड़ न्यूनताएं नहीं हैं जो अगले 12 माह के लिए संभावित हैं।

यदि कम्पनी द्वारा किसी वित्तीय उपकरण के संभावित उपयोज्यता काल के हानि अंश के लिए पिछले वर्ष की क्रेडिट हानि माडल के अनुसार मापन करके रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में, पिछले वर्ष की तुलना में क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आने के कारण, प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम न बढ़ने के निर्धारण किए गए हैं, तो कम्पनी द्वारा हानि अंश का पुनः मापन 12 माह की संभावित क्रेडिट हानियों पर किया जाता है।

व्यवसाय प्राप्यों अथवा किन्हीं संविदागत अधिकारों के अंतर्गत इंड एएस 115 के प्रक्रिया क्षेत्र के दायरे में किए गए संव्यवहार के परिणामस्वरूप रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति की प्राप्ति के लिए कम्पनी द्वारा सदैव क्रेडिट हानि के संभावित उपयोज्यता काल की समतुल्य राशि पर हानि अंश का मापन किया जाता है।

इसके अलावा, व्यवसाय प्राप्यों के प्रति संभावित उपयोज्यता काल क्रेडिट हानि भत्ते के मापन के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा इंड एएस 109 के अंतर्गत अनुमत्त व्यावहारिक प्रणाली का उपयोग किया गया है। इस संभावित क्रेडिट हानि अंश का आकलन मैट्रिक्स प्रावधान पर आधारित है जिसके अंतर्गत खाते को ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव में लाकर प्रगतिशील सूचना के लिए समायोजित किया जाता है।

क्षति के अंतर्गत हानि अंश की स्वीकृति एवं मापन किया जाना अपेक्षित है जो हानि अंश की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में करने के अलावा समान रूप से एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरणों के लिए उपयोग में लाया है तथा तुलन पत्र में इसे वहन राशि से कम नहीं किया जाता है।

च) प्रभावी ब्याज विधि

प्रभावी ब्याज विधि एक ऐसी विधि है जिससे ऋण उपकरण का परिशोधन लागत पर आकलन एवं सम्बद्ध वर्ष में ब्याज का आय का निर्धारण किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर होती है जो अनुमानित भावी रोकड़ प्राप्तियों (सभी शुल्कों तथा चुकता अथवा प्राप्त ऐसे प्वांइटों सहित जो प्रभावी ब्याज दर, संव्यवहार लागतों तथा अन्य प्रीमियमों एवं रियायतों का अभिन्न अंग हैं) को ऋण उपकरणों के संभावित काल अथवा, जहां यथोचित हो, अपूर्ण वर्ष, पर प्रारंभिक स्वीकृति की निवल वहन राशि में सटीक रूप में न्यूनता स्थापित करती हैं।

आय की स्वीकृति ऋण उपकरण पर प्रभावी ब्याज दर पर की जाती है जो एफवीटीपीएल में वर्गीकृत वित्तीय परिसम्पतियों के अलावा हैं। ब्याज आय की स्वीकृति लाभ अथवा हानि विवरण में की जाती है तथा इसे ''अन्य आय'' की लाइन मद में शामिल किया जाता है।

छ) बट्टा खाता

वित्तीय परिसम्पति की सकल वहन राशि की वसूली का कोई उचित कारण न होने की स्थिति में उसे बट्टे खाते (आंशिक अथवा पूर्ण रूप से) में डाल दिया जाता है। ऐसा सामान्यतः ऐसे मामले में भी किया जाता है जब कम्पनी ऐसे निर्धारण करती हैं कि काउंटर पार्टी के पास परिसम्पतियां अथवा आय स्रोत नहीं हैं जिनसे बट्टा की जा रही राशि के भुगतान के लिए रोकड़ प्रवाह उत्पन्न हो सके। तथापि, बट्टा खाता में प्रभारित करने के बाद भी कम्पनी की धन की वसूली से संबंधित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय परिसम्पतियों के लिए प्रवर्तन क्रियाएं जारी रह सकती हैं।

(2) वित्तीय देयताएं

क) वर्गीकरण

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण ''एफवीटीपीएल'' अथवा ''अन्य वित्तीय देयताओं'' पर वित्तीय देयताओं के रूप में किया जाता है।

ख) प्रारंभिक स्वीकृति तथा मापन

सभी वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक स्वीकृति उचित मूल्य पर की जाती है। कम्पनी वित्तीय देयताओं में व्यवसाय एवं अन्य देय शामिल करती है।

ग) अनुवर्ती मापन

अन्य वित्तीय देयताएं :

अन्य वित्तीय देयताओं (ऋण तथा व्यवसाय एवं अन्य देय सहित) का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। देयताओं की स्वीकृति समाप्त किए जाने तथा ईआईआर परिशोधन के माध्यम से प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। परिशोधन लागत का आकलन अधिग्रहण से संबंधित किसी प्रकार की रियायत अथवा प्रीमियत तथा फीस अथवा ऐसी लागतों को विचार में लेकर किया जाता है जो ईआईआर का अभिन्न भाग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्त लागतों के रूप में शामिल कर लिया जाता है।

घ) स्वीकृति समाप्त करना

कम्पनी द्वारा अपने वित्त दायित्वों के निर्वाह कर लिए जाने, रद्द किए जाने अथवा समाप्त हो जाने के पश्चात अपनी वित्त देयताओं के प्रति तब स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। वित्तीय देयताओं के मध्य वहन राशि के अंतर समाप्त करके चुकता अथवा देय भुगतान को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत कर लिया जाता है।

ड.) वित्तीय उपकरणों का समंजन

तुलन पत्र में प्रतिवेदित निवल राशि के प्रति चालू प्रवर्तनयोग्य स्वीकृत राशियों के समंजन का विधिक अधिकार होने तथा उन्हें निवल आधार बिक्री किए जाने की मंशा होने की स्थिति में परिसम्पतियों से प्रतिफल प्राप्त करने और साथ ही साथ देयताओं की बिक्री के लिए वित्तीय परिसम्पतियों तथा देयताओं का समंजन कर लिया जाता है।

त) अनिश्चितता के अनुमानों के प्रमुख स्रोत

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवनकालः

प्रबंधन द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोज्यता काल की समीक्षा की जाती है। ऐसे उपयोज्यता काल सम्बद्ध कार्यकुशलता एवं प्रचालन लागतों सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य कारकों के आधार पर परिसम्पतियों की तकनीकी उपयोज्यता एवं आर्थिक उपयोज्यता के दोनों मूल्यांकनों पर आश्रित होते हैं। पुनःमूल्यांकन से भावी अवधियों के मूल्यह्रास एवं परिशोधन में परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं।

आकस्मिकताएं

सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के दौरान कम्पनी के कानूनी तथा अन्य दावों से अन्य देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी देयताएं संभावित होती हैं परन्तु उनसे फल प्राप्त होने अथवा आकस्मिक देयता के रूप में स्वीकार किए जाने के विश्वसनीय कारण ज्ञात कर पाना कठिन होता है। ऐसी देयताओं का प्रकटीकरण नोट के माध्यम से किया जाता तथा उन्हें स्वीकृति नहीं दी जाती है। कम्पनी द्वारा अल्प संभावना के रूप में निर्धारित किए गए मामलों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

यदि आर्थिक लाभों का प्रवाह संभावित नहीं है तो आकस्मिक परिसम्पतियों की न तो स्वीकृति की गई है तथा न ही वित्तीय विवरणों के लिए उनका प्रकटीकरण किया गया है।

उचित मूल्य मापनः

जब वित्तीय विवरणों में रिकार्ड या प्रकट वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन सक्रीय बाजारों में कोट किए गए मूल्यों पर नहीं किया जा सकता है तो उनका उचित मूल्य का मापन डीसीएफ नमूना सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन नमूनों के इनपुट संभव हो सकने वाले बाजारों से लिए गए हैं, किन्तु जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों की स्थापना में एक स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल है।

करः

कॉर्पोरेट कर व्यवस्था में परिवर्तन की घोषणा के अनुसरण में, कंपनियों के पास यह विकल्प है कि वे नई कर व्यवस्था को अपनाएं या पुरानी व्यवस्था में बने रहें या उपलब्ध एमएटी क्रेडिट के उपयोग सहित कंपनियों को उपलबध अन्य लाभों क साथ पुरानी कर संयरचना के अनुसार कर का भुगतान करते रहें। यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आकलन की आवश्यकता होती है कि किस वर्ष में कंपनी नए कर व्यवस्था के आधार पर भविष्य के करयोग्य लाभ को स्थानांतरित करेगी, जिसमें कंपनी की चालू योजनाओं का प्रभाव और उपलब्ध एमएटी क्रेडिट का परिणामी उपयोग शामिल है। तदनुसार, इंड एएस–12 आयकर के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाना आवश्यक है, जो उस वर्ष पर लागू होंगी, जब संपत्ति से लाभ प्राप्त हो या देयता का निपटान किया गया हो और यह उन कर दरों (और कर कानून) के आधार पर होगा, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि में नियमित या अधिनियमित किया गया है।

2 (क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	कार्यालय उपकरण	रैम्प उपकण	फर्नीचर और फिक्सचर	विद्युतीय फिटनिगस	कम्प्यूटर	वर्कशाप उपकरण और उपस्कर	संयंत्र और मशीनरी	वाहन	कुल
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष									
सकल वहन राशि									
1 अप्रैल, 2020 को लागत	2.03	5,934.60	1.17	10.86	8.54	2.07	0.07	25.95	5,985.29
परिवर्धन	0.06	164.32	-	-	0.16	-	-	-	164.54
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समापन सकल वहन राशि	**2.09**	**6,098.92**	**1.17**	**10.86**	**8.70**	**2.07**	**0.07**	**25.95**	**6,149.83**
संचित मूल्यह्रास									
1 अप्रैल, 2020 को शेष	1.59	2,397.29	0.39	4.14	7.09	0.68	0.07	9.50	2,420.75
परिवर्धन	0.21	354.50	0.12	1.02	0.52	0.21	-	3.08	359.66
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समापन संचित मूल्यह्रास	**1.81**	**2,751.79**	**0.51**	**5.16**	**7.61**	**0.88**	**0.07**	**12.58**	**2,780.41**
31 मार्च, 2021 को शुद्ध वहन राशि	**0.28**	**3,347.13**	**0.66**	**5.70**	**1.08**	**1.19**	**0.01**	**13.37**	**3,369.42**
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष									
सकल वहन राशि									
1 अप्रैल, 2021 को लागत	2.09	6,098.92	1.17	10.86	8.70	2.07	0.07	25.95	6,149.83
परिवर्धन	0.25	166.99	0.01	-	2.22	-	-	5.85	175.33
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समापन सकल वहन राशि	**2.34**	**6,265.92**	**1.18**	**10.86**	**10.92**	**2.07**	**0.07**	**31.80**	**6,325.15**
संचित मूल्यह्रास									
1 अप्रैल, 2021 को शेष	1.81	2,751.79	0.51	5.16	7.61	0.88	0.07	12.58	2,780.41
परिवर्धन	0.19	370.33	0.12	1.02	0.64	0.21	0.00	3.59	376.09
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समापन संचित मूल्यह्रास बंद करना	**2.00**	**3,122.12**	**0.63**	**6.18**	**8.25**	**1.09**	**0.07**	**16.17**	**3,156.50**
31 मार्च 2022 को शुद्ध वहन राशि *	**0.33**	**3,143.80**	**0.55**	**4.68**	**2.67**	**0.98**	**0.00**	**15.63**	**3,168.65**
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष									
सकल वहन राशि									
1 अप्रैल, 2021 को लागत	2.34	6,265.92	1.18	10.86	10.92	2.07	0.07	31.80	6,325.15
परिवर्धन	5.84	51.72	-	-	4.75	-	-	1.75	64.07
निपटान	-	(270.61)	-	-	-	-	-	-	(270.61)
समापन सकल वहन राशि	**8.18**	**6,047.02**	**1.18**	**10.86**	**15.67**	**2.07**	**0.07**	**33.56**	**6,118.61**

A4O-BU

AIASL
ASARA

एआई एअरपोर्ट सर्विसेज
AI AIRPORT SERVICES
TATA

विवरण	कार्यालय उपकरण	रैम्प उपकण	फर्नीचर और फिक्सचर	विद्युतीय फिटनिगस	कम्प्यूटर	वर्कशाप उपकरण और उपस्कर	संयंत्र और मशीनरी	वाहन	कुल
संचित मूल्यह्रास									
1 अप्रैल, 2022 को शेष	2.00	3,122.12	0.63	6.18	8.25	1.09	0.07	16.17	3,156.50
परिवर्धन	0.33	276.82	0.12	1.02	1.52	0.21	-	3.78	283.79
निपटान	-	(256.15)	-	-	-	-	-	-	(256.15)
समापन संचित मूल्यह्रास	**2.33**	**3,142.78**	**0.74**	**7.20**	**9.76**	**1.29**	**0.07**	**19.96**	**3,184.14**
31 मार्च, 2023 को शुद्ध वहन राशि*	**5.84**	**2,904.24**	**0.43**	**3.66**	**5.91**	**0.78**	**0.00**	**13.60**	**2,934.47**

2 (ख) परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां *	2.15	-	-
	2.15	-	-

नई ईआरपी कार्यान्वयनाधीन है और भुगतान की गई आनुपातिक लागत को विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों में पूंजीकृत किया गया है

31 मार्च, 2023 तक विकास आयु सीमा के तहत अमूर्त संपत्ति

(रूपए मिलियन में)

विवरण	उक्त अवधि हेतु सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	2.15	-	-	-	2.15
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

1 अप्रैल, 2022 तक विकास आयु सीमा के तहत अमूर्त संपत्ति

(रूपए मिलियन में)

विवरण	उक्त अवधि हेतु सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

1 अप्रैल, 2021 तक विकास आयु सीमा के तहत अमूर्त संपत्ति

(रूपए मिलियन में)

विवरण	उक्त अवधि हेतु सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

2 (ग) परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	बसों का पट्टा
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	
सकल वहन राशि	
1 अप्रैल, 2020 को शेष	252.74
परिवर्धन	-
निपटान	-
31 मार्च, 2021 तक शेष	**252.74**
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2020 को शेष	92.37
परिवर्धन	128.61
निपटान	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**220.98**
31 मार्च, 2021 को शुद्ध वहन राशि	**31.76**
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	
सकल वहन राशि	
1 अप्रैल, 2019 को शेश	**252.74**
परिवर्धन	**-**
निपटान	**-**
31 मार्च, 2022 को शेष	**252.74**
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2021 तक शेष	**220.98**
परिवर्धन	**31.76**
निपटान	**-**
31 मार्च, 2022 को शेष	**252.74**
31 मार्च, 2022 को शुद्ध वहन राशि	**-**
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
सकल वहन राशि	
1 अप्रैल, 2022 तक शेष	**-**
परिवर्धन	**-**
निपटान	**-**
31 मार्च, 2023 तक शेष	**-**
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2022 को शेष राशि	**-**
परिवर्धन	**-**
निपटान	**-**
31 मार्च, 2023 तक शेष	**-**

3. अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपतितयां

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रतिभूति जमा राशि	8.50	8.50	8.50
12 महीनों से अधिक की सावधि जमा राशियां	1,290.00	-	
कर्मचारियों से वसूली योग्य	0.66	0.67	4.21
	1,299.16	**9.17**	**12.71**

4. आयकर संपत्ति (शुद्ध)

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अग्रिम कर और टीडीएस [प्रावधान 1,985.84 मिलियन रूपए का निवल]	487.68	450.12	49.89
	487.68	**450.12**	**49.89**

5. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(डीटीएल) के कारण आस्थगित कर देयताएं			
मूल्यह्रास	(189.84)	(166.59)	(151.69)
कुल आस्थगित कर देयता	**(189.84)**	**(166.59)**	**(151.69)**
(डीटीए) के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति			
अनअवशोषित मूल्यह्रास और हानि			
अवशोषित मूल्यह्रास और हानि	163.72	278.00	-
अन्य कर अस्वीकृति	1,156.47	973.00	1,115.80
कुल आस्थगित कर संपत्ति	**1,320.19**	**1,251.00**	**1,115.80**
शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति	**1,130.35**	**1,084.41**	**964.11**

6. अन्य गैर–चालू संपत्तियां

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
स्टाफ से वसूली योग्य	23.74	19.77	29.48
	23.74	**19.77**	**29.48**

7. दरसूचियां

(लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम मूल्य पर)

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
स्टोर और पुर्जे (लागत पर)	56.11	59.14	62.27
घटा : प्रावधान	(33.14)	-	-
	22.97	**59.14**	**62.27**

8. व्यापारिक प्राप्य

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अरक्षित			
वसूलीयोग्य माना गया*	2,662.98	1,757.25	1,053.25
निर्विवाद रूप से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुईं	1,759.42	1,009.37	958.75
	4,422.40	**2,766.62**	**2,012.00**
घटाः संभावित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	1,759.42	1,009.37	958.75
	2,662.98	1,757.25	1,053.25
समूह कंपनियों से बकाया**	1,408.46	1,742.08	2,677.09
	4,071.44	**3,499.33**	**3,730.34**

*कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों से अग्रिमों को पुनर्वर्गीकृत किया है और अलग से सकल के रूप में दिखाया गया है।

**समूह कंपनियों से बकाया और समूह कंपनियों को देय राशि को अलग दिखाया गया है।

व्यापार प्राप्य अवधि अनुसूची **(रूपए मिलियन में)**

31 मार्च, 2023 तक	बिना बिल	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
विवरण		6 महीने से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – वसूलीयोग्य माना गया	1,103.62	1,679.01	677.54	424.75	186.51	-	4,071.43
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	223.50	139.80	99.16	43.54	1,253.43	1,759.42
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – वसूलीयोग्य माना गया	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसकी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-
घटा : संभावित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता (नोट 46 (ख) (i) देखें)	-	-	-	-	-	-	(1,759.42)
शुद्ध व्यापार प्राप्य	**1,103.62**	**1,902.50**	**817.34**	**523.91**	**230.06**	**1,253.43**	**4,071.44**

(रूपए मिलियन में)

31 मार्च, 2022 तक	बिना बिल	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
विवरण		6 महीने से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – वसूलीयोग्य माना गया	1,160.32	1,106.12	407.69	370.33	454.87	-	3,499.33
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	38.17	29.75	58.30	118.46	764.69	1,009.37

(रूपए मिलियन में)

31 मार्च, 2022 तक	बिना बिल	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
विवरण		6 महीने से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – वसूलीयोग्य माना गया	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसकी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-
घटा : संभावित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता (नोट 46 (ख) (i) देखें)	-	-	-	-	-	-	(1,009.37)
शुद्ध व्यापार प्राप्य	**1,160.32**	**1,144.29**	**437.44**	**428.63**	**573.33**	**764.69**	**3,499.33**

31 मार्च, 2021 तक		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					Total
विवरण	बिना बिल	6 महीने से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
अर्विवाद व्यापार प्राप्य – वसूलीयोग्य माना गया	183.55	725.16	2.67	851.47	768.29	1,199.20	3,730.34
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-	-	46.85	47.08	864.82	958.75
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – वसूलीयोग्य माना गया	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसकी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-
घटा : संभावित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता (नोट 46 (ख) (i) देखें)	-	-	-	-	-	-	(958.75)
शुद्ध व्यापार प्राप्य	**183.55**	**725.16**	**2.67**	**898.32**	**815.37**	**2,064.02**	**3,730.34**

सेवाओं की बिक्री पर क्रेडिट अवधि, प्रतिभूति के साथ या उसके बिना 30 से 60 दिनों तक होती है।

किसी भी नए ग्राहक को स्वीकार करने से पहले, कंपनी संभावित ग्राहक की ऋण गुणवत्ता का आकलन करने के लिए बाहरी क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग करती है और ग्राहक द्वारा क्रेडिट सीमा को परिभाषित करती है। ग्राहकों को दी गई सीमाओं और स्कोरिंग की वर्ष साल में एक बार समीक्षा की जाती है।

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में ऋण जोखिम प्रबंधन नोट 48 (ख) (i) में वर्णित किया गया है।

संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्य का विवरण नोट 47 में वर्णित किया गया है।

कंपनी आम तौर पर इन शेष राशियों पर कोई संपार्शविक या अन्य ऋण वृद्धि नहीं रखती है, ना ही कंपनी द्वारा प्रतिपक्ष को दी गई किसी भी राशि के प्रति आफसेट का कानूनी अधिकार है।

व्यापार प्राप्य में कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से कोई प्राप्य शामिल नहीं हैं।

व्यापार प्राप्य में विवादित कंपनियों से कोई प्राप्य शामिल नहीं हैं।

9. नकद और नकद समकक्ष

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को
बैंकों के पास शेष राशि			
–चालू खाते में	520.23	592.06	43.27
उपलबध धन	-	-	-
तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली बैंकों में सावधि जमा*	0.20	184.12	0.19
	520.43	**776.18**	**43.46**

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को
* निर्धारित शेष राशि उपायुक्त (बिक्री कर) के पास सावधि जमा को दर्शाती है	0.20	0.20	0.19

10. नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली बैंकों में सावधि जमा*	1.73	61.66	1.59
	1.73	**61.66**	**1.59**

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को
* निर्धारित शेष राशि उपायुक्त (माल अैर सेवाकर) के पास सावधि जमा को दर्शाती है	1.73	1.66	1.59

11. अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियां

अरक्षित, वसूलीयोग्य **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को
अन्य प्राप्य	32.75	1.13	0.94
भारत से सेवा निर्यात योजना की पात्रता	90.25	22.05	94.80
घटा : एसईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट पात्रता के लिए प्रावधान	(22.05)	(22.05)	-
	100.96	**1.13**	**95.74**

12. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम*	79.98	44.14	35.64
घटा : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(15.28)	(9.74)	-
	64.70	**34.40**	**35.64**
पूर्व प्रदत्त व्यय	79.84	4.13	-
स्टाफ को अग्रिम	0.21	0.04	0.12
	144.75	**38.57**	**35.76**

* वर्ष 2022–23 और 2021–22 के दौरान, कंपनी ने आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों को पुनर्वर्गीकृत किया है और इन्हें अलग से दर्शाया गया है, हालांकि 2020–21 के लिए, आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिम को निवल रूप में दर्शाया गया है।

13. इक्विटी शेयर पूंजी

क. प्राधिकृत, जारी और अंशदायी तथा प्रदत्त शेयर पूंजी का विवरण **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	संख्या मिलियन में	31 मार्च 2023 को	संख्या मिलियन में	31 मार्च 2022 को	संख्या मिलियन में	1 अप्रैल 2021 को
अधिकृत पूंजी						
प्रति 10/– के इक्विटी शेयर	1,000	10,000.00	1,000	10,000.00	1,000	10,000.00
जारी की गई पूंजी, अंशदायी और पूर्णत प्रदत्त						
प्रति 10/– के इक्विटी शेयर	138.42	1,384.24	138.42	1,384.24	138.42	1,384.24
		1,384.24		**1,384.24**		**1,384.24**

ख. शेयरों की संख्या का समाधान **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को		1 अप्रैल 2021 को	
	संख्या	रूपए मिलियन में	संख्या	रूपए मिलियन में	संख्या	रूपए मिलियन में
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	138.42	1,384.24	138.42	1,384.24	138.42	1,384.24
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**138.42**	**1,384.24**	**138.42**	**1,384.24**	**138.42**	**1,384.24**

ग. नियम और शर्तें

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

घ. 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को		1 अप्रैल 2021 को	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
एअर इंडिया लिमिटेड	-	-	-	-	138.42	100%
एआई एसेट्से होल्डिंग लिमिटेड	138.42	100.00%	138.42	100.00%	-	-

ड. होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयर प्रतिशत :

(रूपए मिलियन में)

शेयरधारक का नाम	संबंध	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को		1 अप्रैल 2021 को	
		संख्या	रूपए मिलियन में	संख्या	रूपए मिलियन में	संख्या	रूपए मिलियन में
एयर इंडिया लिमिटेड #	धारक कंपनी	-	-	-	-	138.42	1,384.24
एआई एसेट्से होल्डिंग लिमिटेड ##	धारक कंपनी	138.42	1,384.24	138.42	1,384.24	-	-
कुल		**138.42**	**1,384.24**	**138.42**	**1,384.24**	**138.42**	**1,384.24**

#13 जनवरी, 2022 तक

##13 जनवरी, 2022 से

च. प्रमोटर की शेयरधारिता **(रूपए मिलियन में)**

प्रमोटर का नाम	31 मार्च 2023 को			31 मार्च 2022 को			1 अप्रैल 2021 को		
	संख्या	प्रतिशत	अवधि के दौरान प्रतिशत परिवर्तन	संख्या	प्रतिशत	अवधि के दौरान प्रतिशत परिवर्तन	संख्या	प्रतिशत	अवधि के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
एयर इंडिया लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	138.42	100.00%	-
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	138.42	100.00%	-	138.42	100.00%	-	-	-	-

टिप्पणी

धारित शेयरों की संख्या और धारण का प्रतिशत व्यक्तिगत क्षमता में रखे गए शेयरों को दर्शाता है।

यहां प्रमोटर का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधित रूप में परिभाषित अनुसार है।

च. नकद के अलावा अन्य जारी किए गए शेयर

कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए थे और नकदी के अलावा अन्य प्रकार से शेयर जारी किए जाने का एक उदाहरण है और तुलन पत्र की तारीख से ठीक पहले पांच वर्ष की अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा कोई शेयर वापस नहीं खरीदा गया है।

14. अन्य इक्विटी **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक	अन्य वृहत आय	कुल
	प्रतिधारित आमदनी		
1 अप्रैल, 2020 तक शेष	**3,752.31**	**(6.44)**	**3,745.87**
वर्ष के लिए घाटा	(1,885.33)	-	(1,885.33)
त्रुटि/चूक का सुधार – नोट 31 का संदर्भ लें	(86.78)	-	(86.78)
कर्मचारी लाभ दायित्वों की पुनर्माप	-	4.53	4.53
31 मार्च, 2021 तक शेष	**1,780.20**	**(1.91)**	**1,778.29**
1 अप्रैल, 2021 तक शेष	**1,780.20**	**(1.91)**	**1,778.29**
वर्ष के लिए घाटा	59.96	-	59.96
कर्मचारी लाभ दायित्वों की पुनर्माप	-	228.92	228.92
31 मार्च, 2022 तक शेष	**1,840.16**	**227.01**	**2,067.16**
1 अप्रैल, 2022 तक शेष	**1,840.16**	**227.01**	**2,067.16**
वर्ष के लिए घाटा	783.14	-	783.14
अंतर को पूर्णांकित करना	0.07	-	0.07
कर्मचारी लाभ दायित्वों की पुनर्माप	-	(3.92)	(3.92)
31 मार्च, 2023 तक शेष	**2,623.37**	**223.09**	**2,846.46**

भंडार की प्रकृति और उद्देश्य

प्रतिधारित आय

प्रतिधारित आय कंपनी की अधिशेष/संचित आय का प्रतिनिधित्व करती है और शेयरधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध है

अन्य व्यापक आय

अन्य व्यापक आय में परिभाषित कर्मचारी लाभ दायित्वों पर पुनर्माप लाभ/(हानि) शामिल हैं।

15. पट्टा देयताएं

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को
1 अप्रैल को प्रारंभिक मान्यता पर पट्टा देनदारियां			
परिवर्धन	-	-	-
अर्जित ब्याज	-	0.52	9.55
पट्टा मूल भुगतान	-	35.19	131.05
लीज ब्याज भुगतान	-	0.52	9.55
31 मार्च को			
वर्तमान	-	-	35.19
गैर वर्तमान	-	-	-

16. अन्य वित्तीय देनदारियां

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को
ग्राहकों से प्रतिभूति जमा	38.05	28.99	21.50
विक्रेताओं से प्रतिभूति जमा	34.43	34.29	30.56
कर्मचारियों को देय	-	1.23	0.11
	72.48	**64.51**	**52.17**

17. प्रावधान

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानः			
छुट्टी का अधिकार	300.21	301.74	307.41
उपदान	701.88	780.53	818.83
चिकित्सा	1,411.45	1,346.82	1,499.18
	2,413.54	**2,429.09**	**2,625.43**

18. अन्य वर्तमान देनदारियां

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को
कर्मचारियों को देय	1,185.56	990.53	897.70
	1,185.56	**990.53**	**897.70**

19. प्रावधान

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान			
छुट्टी का अधिकार	67.61	75.61	74.44
उपदान	159.28	172.67	183.63
चिकित्सा	-	64.63	54.23
अन्य प्रावधान			
अन्य वैधानिक बकायों के लिए प्रावधान	632.04	141.01	-
एसईआईएस के तहत डिमांड नोटिस का प्रावधान	-	24.58	-
एमएसएमई वेंडरों पर ब्याज का प्रावधान	0.10	0.04	-
	859.04	**478.54**	**312.29**

20. अन्य चालू देयताएं

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को
वैधानिक देनदारियां	72.56	8.19	357.54
ग्राहकों से अग्रिम*	284.33	287.63	0.57
	356.89	**295.82**	**358.11**

* वर्ष 2022–23 और 2021–22 के दौरान, कंपनी ने ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों को पुनर्वर्गीकृत किया है और अलग से दिखाया है, हालांकि 2020–21 के लिए, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों को निवल रूप में दिखाया गया है।

21. व्यापार देय

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	2.30	0.14	4.51
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों की कुल बकाया राशि*	1,619.33	1,458.10	978.97
	1,621.64	**1,458.24**	**983.48**

* कंपनी ने व्यापार देय के लिए अग्रिमों को पुनर्वर्गीकृत किया है और अलग से दिखाया है।
* समूह की कंपनियों से बकाया और समूह की कंपनियों को देय राशि को अलग–अलग दिखाया गया है।

उपरोक्त मूल राशि पर कंपनी द्वारा भुगतान/देय ब्याज को संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा माफ कर दिया गया है।

व्यापार देय अवधि अनुसूची

31 मार्च, 2023 तक

(रूपए मिलियन में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						कुल
	अदेय	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	संचित व्यय	
(i) एमएसएमई	-	2.30	-	-	-	-	2.30
(ii) अन्य	-	700.15	557.45	9.53	60.09	292.12	1,619.33
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**702.45**	**557.45**	**9.53**	**60.09**	**292.12**	**1,621.64**

31 मार्च, 2022 तक **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						कुल
	अदेय	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	संचित व्यय	
(i) एमएसएमई	-	0.10	-	-	0.04	-	0.14
(ii) अन्य	-	899.97	28.38	63.84	107.16	358.75	1,458.10
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**900.07**	**28.38**	**63.84**	**107.20**	**358.75**	**1,458.24**

1 अप्रैल, 2021 तक **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						कुल
	अदेय	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	संचित व्यय	
(i) एमएसएमई	-	-	-		4.51	-	4.51
(ii) अन्य	-	428.06	393.60	97.68	10.55	49.08	978.97
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**428.06**	**393.60**	**97.68**	**15.06**	**49.08**	**983.48**

व्यापार देय में बंद कंपनियों को देय राशि शामिल नहीं है।
देय व्यापार सामान्य रूप से 30 से 60 दिनों के भीतर तय किया जाता है।
संबंधित पक्षों को देय व्यापार नोट 47 में प्रकट किया गया है।

22. संचालन से राजस्व **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
क. सेवाओं को संभालने से राजस्व		
एअर इंडिया से राजस्व	2,708.50	3,235.40
समूह की कंपनियों से राजस्व	485.69	697.33
तृतीय पक्ष प्रबंधन से आय	4,417.59	2,450.97
सरकारी दलों से राजस्व	158.38	29.57
सामान्य हैंडलिंग से आय	371.84	321.52
	8,142.00	**6,734.79**
घटा : होल्डिंग कंपनी के साथ राजस्व भागीदारी	-	356.53
कुल (क)	**8,142.00**	**6,378.26**
ख. कार्गो हैंडलिंग राजस्व		
एपीईडीए राजस्व	29.93	25.51
अन्य	581.43	445.29
कुल (ख)	**611.36**	**470.80**
ग. उपकरण ऋण		
अन्य	191.37	139.45
कुल (ग)	**191.37**	**139.45**
परिचालन से कुल राजस्व (क + ख + ग)	**8,944.73**	**6,988.51**

राजस्व स्वीकृति का समय

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**
सेवाओं का समकाल स्थानान्तरण	8,944.73	6,988.51
ग्राहकों के साथ संपर्क से कुल आय	**8,944.73**	**6,988.51**

23. अन्य आय

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**
भर्ती आवेदन राशि	5.37	0.26
समूह कंपनियों पर अतिदेय भुगतान पर ब्याज	116.67	172.24
समूह कंपनियों के अलावा अन्य पर अतिदेय भुगतान पर ब्याज	29.72	1.67
सावधि जमा पर ब्याज आय	47.48	1.44
विदेशी मुद्रा लाभ (शुद्ध)	25.16	-
एचएएल–जेडब्ल्यूजी का लाभ साझाकरण (नोट 32 देखें)	13.70	8.35
विविध आय	140.75	48.09
कुल	**378.25**	**232.05**

24. कर्मचारी लाभ व्यय

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**
वेतन और बोनस	4,604.70	4,216.54
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	395.48	416.96
कर्मचारी कल्याण व्यय	7.60	25.52
उपदान	59.20	69.90
अवकाश नकदीकरण	53.56	55.94
चिकित्सा लाभ व्यय	41.29	36.61
कुल	**5,161.82**	**4,821.47**

25. वित्त लागत

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**
पट्टा देनदारी पर ब्याज खर्च	-	0.52
वैधानिक देय राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज	13.43	121.99
अन्य ब्याज लागत	135.78	251.02
कुल	**149.21**	**373.53**

26. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	283.79	376.10
उपयोग की संपत्ति पर मूल्यह्रास	-	31.76
कुल	**283.79**	**407.86**

27. अन्य व्यय

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**
हैंडलिंग प्रभार	265.01	36.35
बीमा	23.44	57.68
मरम्मत और रखरखाव – अन्य	83.12	81.16
बिजली, हीटिंग और ईंधन	332.54	210.34
जल प्रभार	5.58	1.99
एसईएसएफ हैंडलिंग प्रभार	22.99	0.75
स्टोर और पुर्जों की खपत	136.13	71.59
परिवहन और उपकरणों का किराया	23.23	14.41
एसईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट पात्रता की बिक्री पर हानि	-	4.30
परिसंपत्तियों का बट्टा खाता	14.46	-
विविध शेष बट्टा खाता	-	106.31
एसईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट पात्रता के लिए भत्ता (नोट 40 देखें)	-	66.79
संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	5.54	9.74
दरसूची हेतु प्रावधान	33.14	-
मुद्रण और स्थिर	9.95	4.05
सामान्य कार्यालय व्यय	16.70	14.27
अशोध्य ऋण बट्टा खाता – निवल	-	110.00
संभावित ऋण खाता प्रावधान	750.06	231.72
किराया व्यय	442.70	190.25
दरें और कर	474.80	14.11
यात्रा और परिवहन व्यय	60.22	19.70
कानूनी और पेशेवर खर्च	4.78	8.15
विदेशी मुद्रा हानि (शुद्ध)	-	449.61
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	-	4.98
सांविधिक लेखापरीक्षक को पारिश्रमिक		
– लेखापरीक्षा शुल्क	1.00	1.00
– कर्मचारी द्वारा किया गया व्यय	0.10	0.10
विविध व्यय	49.70	21.08
कुल	**2,755.19**	**1,730.43**

28. आय/(हानि) प्रति इक्विटी शेयर :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को समाप्त अवधिहेतु**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**
प्रति शेयर मूल/विलयित आय		
इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ/(हानि) (मिलियन रूपए में)	**783.14**	**59.96**
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (मिलियन में)	138.42	138.42
मूल और मिश्रित आय प्रति शेयर (रूपए में)	5.66	0.43
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रूपए में)	10	10

29. आकस्मिक देनदारियां, संपत्ति और प्रतिबद्धताएं

क) आकस्मिक देनदारियां

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
कंपनी के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:		
– आयकर की मांग जिसके विरूद्ध कंपनी द्वारा अपील की गई (आदेश की तारीख तक ब्याज सहित)#	312.19	218.34
जीएसटी मांग पर ब्याज ##	296.22	-
अन्य ###	14.91	23.76
कुल	**623.32**	**242.10**

 # कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग नोटिस जो अपील के अधीन हैं **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष	अपील स्थिति	राशि
धारा 143(3) के तहत 04 मार्च, 2016 को प्रस्तुत आयकर बकाया मांग आदेश	2013-14	सीआईटी (v) 07 अप्रैल, 2016 को	19.18
आयकर बकाया मांग आदेश 27 दिसंबर, 2019 को धारा 143(3) के तहत प्रस्तुत	2017-18	21 जनवरी, 2020 को सीआईटी (v)	6.60
धारा 143(1) के तहत 24 मार्च, 2021 को उठाया गया आयकर बकाया मांग आदेश	2017-18	09 जून, 2022 को आईटी विभाग को उत्तर दिया गया	5.40
धारा 143(3) के तहत 25 मई, 2021 को प्रस्तुत आयकर बकाया मांग आदेश	2018-19	04 अक्टूबर, 2021 को सीआईटीएफ (क)	80.76
आयकर बकाया 23 दिसंबर, 2021 को धारा 143(1) के तहत प्रस्तत मांग आदेश। इसमें 16 अक्टूबर, 2021 को 82.65 करोड़ रूपए की राशि कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।	2020-21	29 अक्टूबर, 2022 को सीआईटी (क)	200.25
कुल			**312.19**

कंपनी को प्राप्त जीएसटी डिमांड नोटिस पर ब्याज **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष	सूचना स्थिति	राशि
महाराष्ट्र राज्य	2017-20	अंतरिम सूचना	262.16
गोवा राज्य	2017-18	कारण बताओ नोटिस	4.63
राजस्थान राज्य	2017-20	जीएसटी समन	29.43
			296.22

अन्य आकस्मिक देनदारियों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण:

अदालतों में लंबित कर्मचारियों/दीवानी/मध्यस्थता मामलों के कारण अन्य दावे **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	पक्षों की संख्या	मामला संख्या	राशि
यह व्यवस्था, कंपनी को व्यापार के घाटे संबंधी कदाचार के लिए सेवा से निलंबित करने के दंड के विरूद्ध है। पार्टी ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात 31 दिसंबर, 2016 तक सेवाओं में पिछले वेतन के साथ बहाली की मांग की है।	एम एल शेट्टी	सीजीआईटी 2/12–2016 सुनवाई के लिए लंबित	0.21
कर्मकार, एआईएटीएसएल के अधिकारियों की मानहानि से संबंधित कदाचार के लिए सेवाओं से हटाने के संबंध में 01 मार्च, 2016 के आदेश को चुनौती दे रहा है। वह पिछले पूर्ण वेतन के साथ सेवाओं में निरंतरता की मांग कर रहे हैं।	एस टी काटकर	2016 का सीजीआईटी 2/13 सुनवाई के लिए लंबित	2.30

विवरण	पक्षों की संख्या	मामला संख्या	राशि
यह जानबूझकर अवज्ञा या अपने वरिष्ठ के किसी भी वैध और उचित आदेश की अवज्ञा और कार्य की उपेक्षा के लिए सेवा से निलंबित किए जाने की सजा के विरूद्ध है। यह पक्ष, पिछले पूरे वेतन और अन्य लाभों के साथ सेवा में फिर से बहाली की मांग कर रहा है।	पी एन पावर	2017 का सीजीआईटी 2/3 सुनवाई के लिए लंबित	2.30
यह संदर्भ कदाचार के लिए अनुबंध की समाप्ति के खिलाफ है। इस पक्ष ने 17 अक्टूबर, 2017, अर्थात अनुबंध की समाप्ति की तारीख से पूर्ण पिछले वेतन के साथ पुनः बहाली का दावा किया है।	एस बी अधव	2017 का सीजीआईटी 2/15 सुनवाई के लिए लंबित	0.20
इस पक्ष ने जयपुर हवाईअड्डे पर बैगेज, कार्गो हैंडलिंग और विविध सेवाएं प्रदान करने के लिए 9.90 मिलियन रूपए (दंडात्मक ब्याज और उस पर जीएसटी सहित) की मांग प्रस्तुत की थी। कंपनी ने उनके सभी बकाया बिलों की समीक्षा की और पाया कि वेंडर द्वारा जारी किए गए बिल सही नहीं थे। सही है और यहां तक कि एक सेवा के लिए भी, दोहरी सेवा बिल प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और इसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है।	नेहा एविएशन प्रबंधन प्रा. लि.	लागू नहीं	9.90
कुल			**14.91**

ख. पूंजी और अन्य दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएंः

31 मार्च, 2023 तक पूंजी अनुबंध प्रतिबद्धताएं और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं ₹ 119.50 मिलियन हैं (पिछले वर्ष ₹ शून्य)। पूंजीगत प्रतिबद्धताओं का सारांश इस प्रकार है :

विवरण	(रूपए मिलियन में)
अमूर्त संपत्ति	66.08
रैंप उपकरण	29.65
कंप्यूटर	4.48
वाहनों	17.85
फनिर्चर व फिक्सचर	0.35
कार्यशाला उपकरण एवं उपकरण	0.31
कार्यालय उपकरण	0.79
कुल	**119.50**

30. विनिवेश प्रक्रिया

एअर इंडिया लिमिटेड का दिनांक 27 जनवरी 2022 को विनिवेश किया गया है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के शेयर दिनांक 13 जनवरी 2022 को एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए। उपरोक्त के आधार पर, 13 जनवरी 2022 से एआई एयरपोर्ट सर्विसेज एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

एआईएएचएल, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) चार सहायक कंपनियों एएएएल, एआईएएसएल, एआईईएसएल, एचसीआई, गैर–प्रमुख संपत्ति पेंटिंग्स और आर्टिफिकैट्स और एअर इंडिया की अन्य गैर–परिचालन संपत्तियों के साथ–साथ किसी भी संपत्ति द्वारा समर्थित संचित कार्यशील पूंजी ऋणों के भंडारण के लिए बनाया गया था।

इसके अलावा, इस संबंध में एआईएएसएल के विनिवेश के लिए रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) की बोलियां आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) पहले ही जारी किया जा चुका है और जिसका विवरण निम्नानुसार है :

एआईएएचएल ने एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की प्रस्तावित नीतिगत बिक्री के लिए रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए दिनांक 12 फरवरी 2019 को पीआईएम जारी किया था, जिसके बाद 12 शुद्धिपत्र जारी किए गए थे, जिसमें अंतिम तिथि दिनांक 27 दिसंबर 2019 थी। एआई एएसएल को रद्द कर दिया गया है और एआईएएचएल उचित समय पर एआई एएसएल की प्रस्तावित नीतिगत बिक्री की प्रक्रिया को फिर से शुरू करेगा।

31. इंड एएस–8 लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के अनुसार पूर्व अवधि की त्रुटियों का सुधार

वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रारंभिक शेष राशि की विस्तृत समीक्षा की है और पाया कि वित्तीय विवरणों के नीचे उल्लिखित मदों को पिछले वर्ष में त्रुटिपूर्ण रूप से लंखांकित/प्रकटीकरण किया गया था। इन त्रुटियों को अब पूर्व वर्ष के लिए प्रत्येक प्रभावित वित्तीय विवरण लाइन मद को पुनः प्रस्तुत करके ठीक किया गया है।

(रूपए मिलियन में)

तुलनपत्र (सार)	31 मार्च 2022 को			1 अप्रैल 2021 को		
	पूर्व में रिपोर्टिड	वृद्धि/(कमी)	पुर्नवर्णित	पूर्व में रिपोर्टिड	वृद्धि/(कमी)	पुर्नवर्णित
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,161.54	7.11	3,168.65	3,369.42	-	3,369.42
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1,563.47	-	1,563.47	1,088.32	-	1,088.32
अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-
कुल गैर–चालू संपत्तियां	**4,725.01**	**7.11**	**4,732.12**	**4,457.74**	**-**	**4,457.74**
व्यापार प्राप्तियां	3,492.60	6.73	3,499.33	3,715.39	14.95	3,730.34
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	838.97	-	838.97	140.79	-	140.79
अन्य चालू परिसंपत्तियां	97.71	-	97.71	98.03	-	98.03
कुल चालू संपत्तियां	**4,429.28**	**6.73**	**4,436.01**	**3,954.21**	**14.95**	**3,969.16**
कुल संपत्ति	**9,154.29**	**13.84**	**9,168.13**	**8,411.95**	**14.95**	**8,426.90**
इक्विटी शेयर पूंजी	1,384.24	-	1,384.24	1,384.24	-	1,384.24
प्रतिधारित आर्य	2,160.48	(93.32)	2,067.16	1,850.12	(71.83)	1,778.29
कुल इक्विटी	**3,544.72**	**(93.32)**	**3,451.40**	**3,234.36**	**(71.83)**	**3,162.53**
अन्य गैर–चालू वित्तीय देनदारियां	-	-	-	-	-	-
अन्य गैर–चालू देयताएं	2,493.60	-	2,493.60	2,677.60	-	2,677.60
कुल गैर–चालू देनदारियां	**2,493.60**	**-**	**2,493.60**	**2,677.60**	**-**	**2,677.60**
व्यापार देय – सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	1,457.88	0.36	1,458.24	983.48	-	983.48
अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां	883.73	106.80	990.53	846.11	86.78	932.89
अन्य चालू देनदारियां	774.36	-	774.36	670.40	-	670.40
कुल चालू देनदारियाँ	**3,115.97**	**107.16**	**3,223.13**	**2,499.99**	**86.78**	**2,586.77**
कुल इक्विटी और देनदारियां	**9,154.29**	**13.84**	**9,168.13**	**8,411.95**	**14.95**	**8,426.90**
लाभ और हानि का विवरण (सार) #						
प्रचालन से राजस्व	6,981.78	6.73	6,988.51	-	-	-
अन्य आय	219.84	12.21	232.05	-	-	-
कुल लाभ	**7,201.62**	**18.94**	**7,220.56**	-	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	4,714.67	106.80	4,821.47	-	-	-

तुलनपत्र (सार)	31 मार्च 2022 को			1 अप्रैल 2021 को		
	पूर्व में रिपोर्टिड	वृद्धि/(कमी)	पुर्नवर्णित	पूर्व में रिपोर्टिड	वृद्धि/(कमी)	पुर्नवर्णित
वित्तीय लागत	373.53	-	373.53	-	-	-
मूल्यह्रास	402.40	5.46	407.86	-	-	-
अन्य खर्चे	1,730.43	-	1,730.43	-	-	-
कुल खर्च	**7,221.03**	**112.25**	**7,333.29**	-	-	-
कर पूर्व हानि	(19.41)	(93.32)	(112.73)	-	-	-
कर पश्चात हानि	153.27	(93.32)	59.96	-	-	-
वर्ष के लिए कुल वृहत घाटा	382.19	(93.32)	288.88	-	-	-

32. संयुक्त कार्य समूह के संबंध में प्रकटन

एचएएल बंगलोर हवाईअड्डा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के अधिकारक्षेत्र में है और यहां ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं एचएएल द्वारा प्रदान की जा रहीं थी। तथापि, कंपनी ने एचएएल बंगलोर हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए कंपनी की विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एचएएल के साथ दिनांक 29 अप्रैल 2016 को करार के तहत एक व्यवस्था में प्रवेश किया है। ऐसी व्यवस्था के अनुसार, कंपनी उस हवाईअड़डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एचएएल की सभी अवसंरचनाओं का प्रयोग करेगी और इस करार की शर्तों के अनुसार कर पश्चात एचएएल के निवल लाभ को समान अनुपात में एचएएल और कंपनी के बीच साझा किया जाएगा। तद्नुसार, चालू वर्ष के लिए एचएएल के निवल लाभ के 50 प्रतिशत भाग यथा 13.70 मिलियन रूपए को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया गया है।

(रूपए मिलियन में)

संयुक्त कार्य दल का नाम	एआई संयुक्त उपक्रम समूह	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कंपनी का भाग/स्वामित्व हित	50%	50%
आय – कंपनी का भाग	62.50	44.10
व्यय – कंपनी का भाग	35.10	27.40
लाभ/(हानि) –कंपनी का शेयर	27.40	16.70
एचएएल के साथ कंपनी के संयुक्त कार्य समूह से आय का भागः	13.70	8.35
आकस्मिक देयता	-	-

33. समामलेन/पुष्टि

(क) कंपनी ने सभी प्रमुख व्यापार प्राप्तियों के लिए शेष राशि की पुष्टि हेतु मांग की है और कंपनी ने धारक कंपनी, धारक कंपनी की सहायक कंपनी और कुछ निजी पक्षों शेष राशि प्राप्तियों हेतु पुष्टि प्राप्त की है, जिसमें कंपनी को प्राप्य युक्तिसंगत राशि शामिल है और समायोजन का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा शेष पुष्टियां प्राप्त हो रही हैं। व्यापार के भुगतान के मामले में कुछ पक्षों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और जहां भी पक्षों का शेष बहियों के अनुरूप नहीं है, वहां अंतरों के लिए समायोजन किया जा रहा है। इन समायोजनों से उत्पन्न प्रभाव, यदि कोई हो, तो समायोजन की प्रकिया को समायोजन के वर्ष के भीतर तथा समक्ष प्रधिकरण से अनुमोदन से पूरा किया जाएगा।

(ख) कुछ नियंत्रण बहियों सहित देय राशियों और कर्मचारियों से प्राप्य/वसूलीयोग्य मिलान रहित कतिपय राशियों का समायोनज और मिलान किया जा रहा है। इन समायोजनों से उत्पन्न प्रभाव, यदि कोई हो, तो समायोजन की प्रकिया को समायोजन के वर्ष के भीतर तथा समक्ष प्रधिकरण से अनुमोदन से पूरा किया जाएगा।

(ग) माल और सेवा कर (जीएसटी) और अन्य वैधानिक देय राशियों को कंपनी द्वारा दायर किए गए रिटर्न और वैधानिक रिकॉर्ड के साथ मिला दिया गया है। पिछले वित्तीय वर्षों का पुनर्कथन कर आवश्यक समायोजन किया गया है।

34. परिसंपत्तियां, संयत्र और उपकरण (पीपीई)

कंपनी की नीति के अनुसार, कंपनी की प्रमुख संपत्तियों का भौतिक सत्यापन रोटेशन के आधार पर किया जाएगा ताकि हर दो साल में हर संपत्ति का सत्यापन किया है और कंपनी सत्यापद के दौरान पाई गई विसंगतियों का सत्यापन किया है और संबंधित प्राधिकरण से अनुमोदन लेने के बाद उस वर्ष में समायोजित किया जाएगा जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा, प्रबंधन ने कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को टैग करने की आवश्यकता की पहचान की है और इसे पूरा करने के लिए, पूरे भारत में सभी स्टेशनों पर एक समायोजन प्रक्रिया शुरू किया गया है और समायोजन का प्रभाव उस वर्ष में लिया जाएगा, जिसमें प्रक्रिया पूरा हो जाएगा।

35. इन्वेंटरी

इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन आंतरिक रूप से चार स्थानों पर किया जाता है, जहां इन्वेंटरी का सत्यापन कंपनी के अधिकारी द्वारा किया जाता है और विधिवत रूप से प्रमाणित किया जाता है। भौतिक सत्यापन दिनांक 31 मार्च 2023 को किया गया है। इनवेंटरी का उपयोग उपयोगकर्ता (तकनीकी) से प्राप्त पुष्टिकरण के आधार पर बहियों में ले जाने वाले मूल्य के बराबर होता है। दरसूची की खपत को निर्धारित राशि के आधार पर परिकलित किया गया हैं।

इसके अलावा, कंपनी ने नीचे उल्लिखित दर के अनुसार इन्वेंट्री की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए प्रावधान किया है:

क) तेजी से आगे बढ़ने वाली सूची– 0%
बी) धीमी गति से चलने वाली सूची– 25%
ग) नॉन मूविंग इन्वेंट्री– 50%
घ) अप्रचलित सूची– 100%

36. नकद और बैंक षेश

वर्ष के अंत में, बैंक शेष की प्रक्रिया का पूरी तरह से समाधान कर लिया गया है और सभी बैंक खातों के संबंध में बैंकों से पुष्टि प्राप्त कर ली गई है। इसके अलावा, कंपनी के पास कोई नकदी नहीं है, इसलिए वर्ष के अंत में कोई उपलब्ध नकदी नहीं है।

37. समूह कंपनियों पर अतिदेय भुगतान पर ब्याज

पिछली प्रक्रिया के अनुसार एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के संबंध में औसत शेष पद्धति पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया गया है।

एअर इंडिया समूह की कंपनियों के लिए प्रभारित ब्याज निम्नानुसार है:

(रूपए मिलियन में)

विवरण	राशि
एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड	21.87
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	94.80
कुल	**116.67**

38. जनशक्ति की आपूर्ति पर आय

कंपनी 10 प्रतिशत से अधिक लागत वसूलने के बाद, कुछ तृतीय पक्षों सहित समूह कंपनियों को जनशक्ति की आपूर्ति कर रही है और तदनुसार कंपनी ने अन्य आय में 10 प्रतिशत मार्कअप दिखाया है और वित्त वर्ष 2021–22 तक लागत वसूली को जनशक्ति लागत से कम कर दिया गया है। हालाँकि, चालू वित्त वर्ष 2022–23 से, कंपनी ने परिचालन से राजस्व में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ पूरी लागत वसूली दिखाई है और तदनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए लाभ और हानि के विवरण में आंकड़ों को फिर से वर्गीकृत किया है।

39. आंतरिक नियंत्रण:

कंपनी ने प्रणाली में सुधार, यदि अपेक्षित हो, के लिए सुझाव उपलब्ध कराने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने के लिए सनदी लेखाकार की स्वतंत्र फर्म को नियुक्त किया है। प्रबंधन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा समय समय पर की जाती है ताकि स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रयोक्ता विभागों में भी कुशल आंतरिक नियंत्रणों को सुनिश्चित किया जा सके और एसएपी में संव्यवहार की समरूपी और सम पर लेखांकन प्रविष्टियों हेतु प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।

40. ''भारतीय योजना से सेवा निर्यात (एसईआईएस) की पात्रता'' :

कंपनी सेवाओं के निर्यात के माध्यम से कंपनी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा आधार पर भारतीय योजना से सेवा निर्यात के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र है। लाइसेंस/स्क्रिप के रूप में उक्त लाभ विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा उपलब्ध कराई गई है और कंपनी वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए दावे को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। दावों के लंबित होने के कारण, चालू वर्ष में ऐसे वित्तीय वर्षों के लिए किसी निर्यात पात्रता को स्वीकार नहीं किया गया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी को 15 मार्च, 2023 को विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) से वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 69.69 मिलियन रुपये की लाइसेंस राशि प्राप्त हुई थी, कंपनी ने अन्य आय को जमा करने के बाद इस लाइसेंस को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। इसके अलावा, कंपनी ने पाया है कि कंपनी ने अनजाने में उच्च स्तर पर 1.49 मिलियन रुपये का दावा किया है और तदनुसार कंपनी ने डिमांड ड्राफ्ट दिनांक 27.04.2023 के माध्यम से इसका भुगतान किया है।

वर्ष के दौरान, वर्ष 2017–18 के लिए, एसईआईएस लाइसेंस सं. 0319271362 जारी किया गया, जिसमें 22.06 मिलियन रूपए का पात्रता दावा था, जो 19 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया था। कंपनी ने उपरोक्त लाइसेंस के लिए समाप्ति तिथि के विस्तार के लिए नीति छूट समिति (पीआरसी) को आवेदन किया था और तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान लाइसेंस के पूर्ण मूल्य की सीमा तक एक प्रावधान बनाया गया।

41. इंटरनेशनल कार्गो वेयरहाउस, मुंबई में पड़े लावारिस/स्पष्ट कार्गो का मूल्यांकन

वित्त वर्ष 2022–23 में, कंपनी ने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकक के माध्यम से वर्ष 2012 से 2020 के लिए अस्पष्ट/लावारिस कार्गो का मूल्यांकन किया है। कंपनी ने कंसाइनी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से 02 नोटिस भेजे हैं, जहां कंसाइनी के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं और विभिन्न स्थानों और विभिन्न वेबसाइटों पर सार्वजनिक नोटिस भी प्रदर्शित किए हैं, जिसमें कार्गो वेयरहाउस, मुंबई में पड़े अस्पष्ट/लावारिस कार्गो के निपटान/नीलामी की सूचना दी गई है।

मूल्यांकनकर्ता ने कार्गो गोदाम में पड़े लावारिस/अशोधित माल का मूल्य 9.16 मिलियन रुपये आंका है और तदनुसार, कंपनी ने सीमा शुल्क निपटान कार्य बल को इसकी सूचना दे दी है। सीमा शुल्क कार्य बल, सभी खेपों की 100 प्रतिशत जांच करेगी। इसकी जांच के बाद, नियामक एजेंसियों से मंजूरी प्राप्त करने के बाद, इसे मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से नीलाम किया जाएगा या सीमाशुल्क अधिकारियों की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाएगा। इसे नष्ट करने में शामिल अनुमानित लागत 0.5 मिलियन रुपये होगी। इस स्तर पर, हम लेखा बहियों में इसे पहचानने के लिए लावारिस/अशोधित कार्गो के वसूली योग्य मूल्य की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

42. जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड से दावे:

कंपनी ने मैसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड से मेसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल/रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को 250.18 मिलियन रुपये (ब्याज सहित) का अपना दावा प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से 166.1 मिलियन रुपए को स्वीकार कर लिया गया हैं। इसके अलावा, दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियम 2016 के विनियम 39 (5क) के संदर्भ में, अनुमोदित संकल्प योजना (जेट एयरवेज (आई) लिमिटेड) के तहत परिचालन लेनदारों (कर्मचारियों और कर्मचारियों और टिकट वापसी के अलावा) के लिए प्रस्तावित सिद्धांत या सूत्र) माननीय एनसीएलटी के दिनांक 25 जून 2021 को 22 जून 2021 के आदेश द्वारा, प्रत्येक संबंधित लेनदार को 15000/– रूपए (दावा राशि के बावजूद) की निश्चित राशि का भुगतान किया गया था। कंपनी ने निवेदन किया है कि 15,000/– रूपए की निश्चित राशि का भुगतान स्वीकार्य नहीं था। हालांकि, मेसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्तियों का 100 प्रतिशत प्रावधान ईसीएल में माना जाता है।

43. गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड के दावे

गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड ने दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया है और तदनुसार, एनसीएलटी ने आवेदन स्वीकार कर लिया है तथा दिनांक 10 मई, 2023 के आदेश के तहत दिवाला प्रक्रिया शुरू कर दी है और, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2023 तक 220.35 मिलियन रुपये (ब्याज राशि 11.27 लाख रुपये सहित) का दावा दायर किया है और तदनुसार कंपनी ने ईसीएल में ब्याज को छोड़कर प्राप्तियों का 100 प्रतिशत प्रावधान किया है।

44. सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006:

एसएपी प्रणाली में एक फील्ड है, जो वेंडर मास्टर में अल्पसंख्यक सूचक है, जिसे एमएसएमई के रूप में वेंडरों की पहचान करने के लिए अद्यतन किया गया हैं। एसएसआई वेंडरों का और अधिक ब्यौरा प्राप्त करने के लिए इस प्रणाली को संवर्धित किया जा रहा है, जैसे प्रमाणपत्र संख्या, जारीकर्ता एजेंसी, वैधीकरण, आदि। तथापि, सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अंतर्गत शामिल होने वाले ऐसे उपक्रमों को भुगतान आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहमत निर्धारित समयसीमा/तिथि के भीतर किया गया है और इसलिए, विलंबित भुगतानों पर कोई ब्याज देय नहीं है। अन्य मामलों में, आगे की कार्रवाई के दौरान आवश्यक अनुपालन/प्रकटन सुनिश्चित किया जाएगा।

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल राशि,	2.30	0.14
मूल राशि 45 दिनों से अधिक समय से बकाया है,	2.30	0.14
लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया और बकाया ब्याज,	0.10	0.04
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ–साथ प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि,	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है, लेकिन वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना, अवधि (जहां मूलधन का भुगतान किया गया है लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है),	-	-
लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित और शेष अवैतनिक ब्याज की राशि तथा	0.10	0.04
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य हेतु, अगले वर्ष में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तिथि तक, जब तक उपरोक्त ब्याज देय वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान किया जाता है।	-	-

ऐसे वेंडर के संबंध में कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में पहचाने जाने की सीमा तक सूचना दी गई है।

45. कर्मचारी लाभ योजना:

(क) निर्धारित अंशदान योजना

<u>कर्मचारी भविष्य निधि</u>: कंपनी में स्थायी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट उपस्थित है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत ईपीएफओ में अंशदान करती है, जो संविदागत कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि योजनाओं को शासित करती है। कंपनी और कर्मचारी भविष्य निधि में लागू दरों के अनुसार अंशदान करते हैं, जिनमें से कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है। लाभ और हानि विवरण में भविष्य निधि के प्रति कंपनी का अंशदान 327.79 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष: 363.50 मिलियन रूपए)

ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि में अंशदान का परिकलन करते समय समाहित किए जाने वाले वेतन संरचना के घटकों के संबंध में दिनांक 28 फरवरी, 2019 का उच्चतम न्यायालय (एससी) का निर्णय उपस्थित है। इसमें निर्णय के अनुप्रयोग की प्रभावी तिथि सहित वर्णनात्मक पहलु विद्यमान हैं। प्रबंधन के विचार से, भविष्य निधि के अंशदान का परिकलन कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार किया जाना चाहिए।

(ख) निर्धारित लाभ योजनाएः

क. उपदानः उपदान अधिनियम के भुगतान प्रावधानों की शर्तों के अनुसार उपदान अधिवर्षता, मृत्यु, या स्थायी निःशक्तता की स्थिति में कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को देय होगा। कंपनी के पास भारत में निर्धारित लाभ उपदान योजना (अनिधित) विद्यमान है। कंपनी द्वारा उपदान का भुगतान तब किया जाता है जब वह देय होती है और इसका भुगतान उपदान के लिए कंपनी की योजना के अनुसार किया जाता है।

(i) उपदान के लिए इंड एएस के अनुसार प्रकटन विवरण

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
लाभ का प्रकार	उपदान	उपदान
राष्ट्र	भारत	भारत
रिपोर्टिंग मुद्रा	भारतीय रूपया	भारतीय रूपया
रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19)	भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19)
वित्तीयन स्थिति	अनिधिकी	अनिधिकी
आरंभिक अवधि	01.04.22	01.04.21
रिपोर्टिंग तिथि	31.03.23	31.03.22
रिपोर्टिंग अवधि	12 महीने	12 महीने

क. अनुमान (पूर्व अवधि) **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
रियायत की दर	6.84%	6.57%
वेतन वृद्धि की दर	5.50%	5.50%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	लागू अनुसार 10% व 2%	लागू अनुसार 10% व 2%
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–14) शहरी	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) अंतिम
रोजगार के पश्चात मृत्यु दर	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. अनुमान (वर्तमान अवधि) **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
रियायत की दर	7.41%	6.84%
वेतन वृद्धि की दर	5.50%	5.50%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	10% व 2% लागू अनुसार	10% व 2% लागू अनुसार
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–14) शहरी	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) अंतिम
रोजगार के पश्चात मृत्यु दर	लागू नहीं	लागू नहीं
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	953.19	1002.45
ब्याज लागत	63.35	63.04
चालू सेवा लागत	59.2	68.45
पूर्व सेवा लागत	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे प्रदत्त लाभ)	(218.50)	(136.42)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि – जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण		(0.14)

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि – वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	(20.16)	(38.50)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि– अनुभव के कारण	24.08	(5.69)
अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**861.16**	**953.19**

ग. तुलन पत्र में लेखांकित राशि (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य)	(861.16)	953.19
वित्तपोषण स्थिति (अतिरेक/(घाटा))	(861.16)	953.19
तुलन पत्र में लेखांकित (दायित्व)/परिसंपत्ति	**(861.16)**	**(953.19)**

घ. चालू वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	953.19	1,002.46
आरंभ में दायित्व/(परिसंपत्ति)	953.2	1002.46
ब्याज लागत	63.35	63.04
चालू अवधि के लिए निवल ब्याज लागत	**63.35**	**63.04**

ड. चालू वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण में लेखांकित व्यय (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु
चालू सेवा लागत	59.2	68.45
निवल ब्याज लागत	63.35	63.04
पूर्व सेवा लागत	-	-
(कर्मचारियों द्वारा संभावित अंशदान)	-	-
कटौतियों और निपटानों पर (लाभ)/हानियां	-	-
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का निवल प्रभाव	-	-
स्वीकृत व्यय	**122.55**	**131.49**

च. चालू वर्ष के लिए अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु
अवधि के लिए दायित्वों पर (लाभ)/हानियां	3.92	(44.33)
ब्याज आय को छोड़कर नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन	-	-
ओसीआई में स्वीकृत अवधि के लिए निवल (आय)/व्यय	**3.92**	**(44.33)**

छ. तुलनपत्र समाधान **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
आरंभिक निवल देयता	953.19	1,002.44
लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	122.54	131.49
ओसीआई में स्वीकृत व्यय	3.92	(44.33)
अंतरित निवल देयता/(परिसंपत्ति) –इन	0	-
निवल (देयता)/परिसंपत्ति– आउट	0	-
(सीधे नियोक्ता द्वारा प्रदत्त लाभ)	(218.50)	(136.42)
(कमर्चारी अंशदान)		-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता/(परिसंपत्ति)	**861.16**	**953.19**

ज. अन्य विवरण **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
सेवारत सदस्यों की संख्या	16440	11,369
सेवारत सदस्यों का प्रति माह वेतन	182.42	135.61
अनुमानित लाभ दायित्व के दौरान वेटिड औसत अवधि	6	6
औसत संभावित भावी सेवा	8	7
अनुमानित लाभ दायित्व – कुल	861.16	953.20
अनुमानित लाभ दायित्व – देय किन्तु अप्रदत्त	**41.78**	**27.05**

झ. अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु
अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	861.16	953.20
(वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य)	0	-
वर्ष के अंत में निवल देयता/(परिसंपत्ति)	861.16	953.20
ब्याज लागत	60.72	63.35
(ब्याज आय)	0	-
अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत	**60.72**	**63.35**

ट, अगले वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु
चालू सेवा लागत	68.75	59.20
निवल ब्याज लागत	60.72	63.35
(नियोक्ता द्वारा संभावित अंशदान)	-	-
स्वीकृत व्यय	**129.47**	**122.54**

ठ. लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेशण

रिपोर्टिंग की तिथि से भावी वर्शों के लिए देय अनुमानित लाभ		(रूपए मिलियन में)
विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
1 आगामी वर्ष	159.28	199.72
2 आगामी वर्ष	95.61	80.33
3 आगामी वर्ष	128.78	133.63
4 आगामी वर्ष	137.06	127.17
5 आगामी वर्ष	116.13	138.03
वर्ष 6 से 10 का योग	335.76	405.87

ड. संवेदी विश्लेशणः वृद्धि/(कमी) **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित लाभ दायित्व	**861.16**	**953.20**
छूट की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(32.87)	(39.86)
छूट की दर में –1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	36.11	44.00
वेतन वद्धि की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	34.81	43.11
वेतन वद्धि की दर में –1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(32.77)	(40.02)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	2.60	2.52
कर्मचारी टर्नओवर की दर में –1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(2.95)	(2.84)

संवेदी विश्लेषण का निर्धारण सभी अन्य अनुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रस्तुत संबंधित अनुमानों में युक्तिसंभव संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। उपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तनों को शायद प्रस्तुत न कर पाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि अनुमानों में परिवर्तन अन्यों से अलग होकर प्रस्तुत हों, क्योंकि कुछ अनुमानों का परस्पर सहसंबंध हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण को प्रस्तुत करने में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए अनुमानित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का परिकलन किया गया है, जो कि वही समान विधि है, जैसा कि तुलन पत्र में स्वीकृत अनुसार अनुमानित लाभ दायित्वों के परिकलन में प्रयुक्त की जाती है।

पूर्व वर्षों से संवेदी विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

टिप्पणियां :

उपदान कंपनी की योजना के अनुसार देय है, जैसा कि रिपोर्ट में वर्णित है। बीमांकित लाभ/हानियों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) के अंतर्गत इसकी आवृति की अवधि में स्वीकार किया गया है। ओसीआई की उपर्युक्त सभी रिपोर्टिंक आंकड़े कर निर्धारण में सकल का भाग हैं।लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण, उपर्युक्त सदस्यों के लिए अगले 10 वर्ष में भावी वेतन, क्षय तथा मृत्यु के आधार पर गैर–रियायती रोकड़ प्रवाह है। औसत संभावित भावी सेवा, पद की संभावित अवधि को दर्शाता है – रोजगार लाभ दायित्व। परिभाषित लाभ बाध्यता की भारित औसत अवधि, नकदी प्रवाह समय का भारित औसत है, जहां भार प्रत्येक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से लेकर कुल वर्तमान मूल्य तक प्राप्त किया जाता है। किसी भी लाभ भुगतान और योजना संपत्तियों में योगदान को वर्ष के अंत में प्रकटीकरण में देयता और निधि संचलन को दर्शाने के लिए स्वीकार किया जाता है।

(ii) **<u>सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभः</u>** कंपनी में सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ योजना विद्यमान है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति कर्मचारियों व उनके पति–पत्नी को चिकित्सा लाभ प्रदान किए जाते हैं।

इंड एस के अनुसार सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ संबंधी प्रकटन विवरण :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
लाभ का प्रकार	चिकित्सा	चिकित्सा
राष्ट्र	भारत	भारत
रिपोर्टिंग मुद्रा	भारतीय रूपया	भारतीय रूपया
रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19)	भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19)
वित्तीयन स्थिति	अनिधिकी	अनिधिकी
आरंभिक अवधि	01.04.22	01.04.21
रिपोर्टिंग तिथि	31.03.23	31.03.22
रिपोर्टिंग अवधि	12 महीने	12 महीने

क. अनुमान (पूर्व अवधि) **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021को**
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
रियायत की दर	6.91%	6.91%
चिकित्सा लागत संवर्धन	4.00%	4.00%
कर्मचारी वृद्धि की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) अंतिम	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) अंतिम
रोजगार के पश्चात मृत्यु दर	भारतीय व्यक्तिगत बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–15)	भारतीय व्यक्तिगत बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–15)

ख. अनुमान (वर्तमान अवधि) **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
रियायत की दर	7.40%	6.91%
चिकित्सा लागत संवर्धन	4.00%	4.00%
कर्मचारी वृद्धि की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–14) शहरी	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–14) शहरी
रोजगार के पश्चात मृत्यु दर	भारतीय व्यक्तिगत बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–15)	भारतीय व्यक्तिगत बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–15)

ग. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमानप मूल्य में परिवर्तन **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1,411.45	1553.51
ब्याज लागत	-	107.35
चालू सेवा लागत	-	12.18
पूर्व सेवा लागत	-	-

ग. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमानप मूल्य में परिवर्तन **(रूपए मिलियन में)**

ली गई अंतरित देयता/अधिग्रहण	-	-
(दी गई अंतरित देयता/विनिवेश)	-	-
(लाभ)/हानियों में कमी	-	-
(निपटान पर समाप्त देयताएं)	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे प्रदात किए गए लाभ)	-	-
(निधियों के भुगतान किए गए लाभ)	-	-
विदेशी विनिमिय दर में परिवर्तनों के प्रभाव	-	-
दायित्वों में बीमांकक (लाभ)/हानियां : जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	-	(0.15)
दायित्वों में बीमांकक (लाभ)/हानियां : वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	-	(78.45)
दायित्वों में बीमांकक (लाभ)/हानियां : अनुभव के कारण	-	(182.99)
अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**1411.45**	**1411.45**

घ. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
ब्याज आय	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-
कर्मचारी द्वारा संभावित अंशदान	-	-
ली गई अंतरित परिसंपत्तियां/अधिग्रहण	-	-
(दी गई अंतरित परिसंपत्तियां/विनिवेश)	-	-
(निधि से प्रदत्त लाभ)	-	-
(निपटान पर संवितरित परिसंपत्तिया)	-	-
परिसंपत्ति परिसीमन का प्रभाव	-	-
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव	-	-
ब्याज आय को छोड़कर नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-

ड. तुलन पत्र में स्वीकृत राशि **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	(1411.45)	(1411.45)
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलनपत्र में स्वीकृत निवल (देयता)/परिसंपत्ति	(1411.45)	(1411.45)

च. चालू वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1,411.45	1553.51
(अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य)	-	-
आरंभ में निवल दायित्व/(परिसंपत्ति)	1,411.45	1553.51
ब्याज लागत	-	107.35
(ब्याज आय)	-	-
चालू अवधि के लिए निवल ब्याज लागत	-	107.35

छ. चालू वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण में लेखांकित व्यय **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेत
चालू सेवा लागत	-	12.17
निवल ब्याज लागत	-	107.35
पूर्व सेवा लागत	-	-
(कर्मचारियों द्वारा संभावित अंशदान)	-	-
कटौतियों और निपटानों पर (लाभ)/हानियां	-	-
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का निवल प्रभाव	-	-
स्वीकृत व्यय	-	**119.52**

ज. चालू वर्ष के लिए अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु
अवधि के लिए दायित्वों पर (लाभ)/हानियां	-	(261.59)
ब्याज आय को छोड़कर नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन	-	-
ओसीआई में स्वीकृत अवधि के लिए निवल (आय)/व्यय	-	(261.59)

झ. तुलनपत्र समाधान **(रूपए मिलियन में)**

आरंभिक निवल देयता	1,411.45	1553.52
लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	-	119.52
ओसीआई में स्वीकृत व्यय	-	(261.59)
अंतरित निवल देयता/(परिसंपत्ति) –इन	-	-
निवल (देयता)/परिसंपत्ति– आउट	-	-
(सीधे नियोक्ता द्वारा प्रदत्त लाभ)	-	-
(कमर्चारी अंशदान)	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता/ (परिसंपत्ति)	**1411.45**	**1411.45**

ट. अन्य विवरण **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
सक्रीय सदस्यों की संख्या	-	869
स्वेानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	-	1303
अनुमानित लाभ दायित्व के दौरान भारित औसत अवधि	-	12
औसत भावी अवधि	-	30
अनुमानित लाभ दायित्व	1411.45	1411.45
अगले वर्ष के लिए निर्धारित अंशदान (12 महीने)	-	-

ठ. लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण : नियोक्ता द्वारा **(रूपए मिलियन में)**

रिपोर्टिंग की तिथि से भावी वर्षों के लिए देय		
विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
1 आगामी वर्ष	64.63	64.63
2 आगामी वर्ष	64.54	64.54
3 आगामी वर्ष	71.59	71.59
4 आगामी वर्ष	79.09	79.09

ठ. लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण : नियोक्ता द्वारा **(रूपए मिलियन में)**

5 आगामी वर्ष	88.26	88.26
वर्ष 6 से 10 का योग	431.80	431.80

ड. संवेदी विश्लेषणः वृद्धि/(कमी) **(रूपए मिलियन में)**

चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित लाभ दायित्व	1411.45	1411.45
छूट की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-	(138.99)
छूट की दर में –1% परिवर्तन डेल्टा का डेल्टा प्रभाव	-	168.66
चिकित्सा लाभ मुद्रास्फीति की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-	172.90
चिकित्सा लाभ मुद्रास्फीति की दर में –1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-	144.38

संवेदी विश्लेषण का निर्धारण सभी अन्य अनुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रस्तुत संबंधित अनुमानों में युक्तिसंभव संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। उपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तनों को संभवत प्रस्तुत न कर पाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि अनुमानों में परिवर्तन अन्यों से अलग होकर प्रस्तुत हों क्योंकि कुछ अनुमानों का परस्पर सहसंबंध हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण को प्रस्तुत करने में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए अनुमानित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का परिकलन किया गया है, जो कि वही समान विधि है, जैसा कि तुलन पत्र में स्वीकृत अनुसार अनुमानित लाभ दायित्वों के परिकलन में प्रयुक्त की जाती है।

पूर्व वर्षों से संवेदी विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

टिप्पणियां :

क्पनी, एअर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देय चिकित्सा व्यय प्रदान कर रही थी, हालांकि एअर इंडिया के विनिवेश के बाद, एआईएएचएल द्वारा एआईएएसएल की होल्डिंग कंपनी होने के नाते यह निर्णय लिया गया कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सीजीएचएस को राशि का योगदान देगा और तदनुसार वे सीधे सीजीएचएस से चिकित्सा लाभ प्राप्त करेंगे और इसलिए, कंपनी ने वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन किया है।

बीमांकित लाभ/हानियों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) के अंतर्गत इसकी आवृति की अवधि में स्वीकार किया गया है। ओसीआई की उपर्युक्त सभी रिपोर्टिंक आंकड़े कर निर्धारण में सकल का भाग हैं।

वेतन वृद्धि और संघर्षण दर को इकाई द्वारा सलाह के अनुसार माना जाता है, वे पदोन्नति और कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति पर विचार करते हुए उद्योग प्रक्रिया के अनुरूप प्रतीत होते हैं।

लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण अगले 10 वर्षों के निकट भविष्य के लिए उपर्युक्त वर्णित सदस्यों के लिए संबंधित वर्ष में भविष्य के वेतन, संघर्षण और मृत्यु पर विचार करते हुए अघोषित नकदी प्रवाह है।

औसत संभावित भावी सेवा, पद की संभावित अवधि को दर्शाता है – रोजगार लाभ दायित्व।

परिभाषित लाभ बाध्यता की भारित औसत अवधि नकदी प्रवाह समय का भारित औसत है, जहां भार प्रत्येक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से लेकर कुल वर्तमान मूल्य तक प्राप्त किया जाता है।

किसी भी लाभ भुगतान और योजना संपत्तियों में योगदान को वर्ष के अंत में प्रकटीकरण में देयता और निधि को दर्शाने के लिए माना जाता है।

इस योजना में कटौती की गई थी, जहां अधिकांश कर्मचारियों की देनदारी सरकार द्वारा ले ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कटौती हुई थी।

किया गया भुगतान वर्ष की शुरुआत में मूल्यांकित योजना के अनुरूप नहीं है।

(ग) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

i. क्षतिपूरक अनुपस्थिति

कंपनी में रोजगार के दौरान या मृत्यु, सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के कारण कंपनी से अलग होने पर कर्मचारी द्वारा संचयन और नकदीकरण के प्रावधान सहित क्षतिपूरक अनुपस्थिति पर नीति विद्यमान है। क्षतिपूरक अनुपस्थिति की संभावित लागत का निर्धारण प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए तुलन पत्र में स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निष्पादित बीमांकक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है।

ii. बोनस

बोनस का भुगतान अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार सभी कर्मचारियों को बोनस देय होता है और चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए प्रावधान किया गया है।

46. आयकर

(क.) लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत आय कर

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्तमान कर व्यय (क)		
चालू वर्ष	235.77	-
पिछले वर्षों का अल्प/(अधिक) प्रावधान (ख)		
पिछले वर्षों के लिए कर के लिए लघु प्रावधान	-	24.62
आस्थगित कर व्यय (ग)		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	45.94	(197.30)
आय विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय (क + ख + ग)	**281.71**	**(172.68)**

(ख) अन्य व्यापक आय में स्वीकृत आयकर **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		
	कर पूर्व	कर व्यय/ लाभ	कर का निवल	कर पूर्व	कर व्यय/ लाभ	कर का निवल
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा कर्मचारी लाभ दायित्वों की पुनर्माप	(3.92)	-	(3.92)	305.92	77.00	228.92
	(3.92)	**-**	**(3.92)**	**305.92**	**77.00**	**228.92**

(ग.) दर्शाए गए वर्ष के लिए आयकर व्यय को स्वीकृत करने के लिए सांविधिक आयकर दर पर कर पूर्व लाभ के लेखांकन के लिए लागू आयकर व्यय का समाधा निम्नानुसार है:

रूपए मिलियन में

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
करपूर्व लाभ	972.97	(112.73)
भारत में निर्धारित कर दर	25.168%	25.168%
सांविधिक कर दर पर संभावित कर व्यय (क)	235.77	-

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
निम्न का कर प्रभाव:		
कर लाभों के निर्धारण में कटौती न किए गए व्यय	-	-
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर का अतिरेक प्रावधान	-	24.62
लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत आयकर	235.77	24.62
आस्थगित कर का प्रभाव	45.94	(197.30)
लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत आयकर (आस्थगित कर सहित)	**281.71**	**(172.68)**

घ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)

तुलनपत्र में प्रस्तुत आस्थिगित कर परिसंपत्तियों / (देयताओं) का विश्लेषण निम्नानुसार है:.

रूपए मिलियन में

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
.आस्थिगित कर देयताएं	(189.84)	(166.59)
आस्थिगित कर परिसंपत्तियां	1,320.19	1,251.00
कुल	**1,130.35**	**1,084.41**

वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों / (देयताओं) तथा संचलनों के महत्वपूर्ण घटक निम्नानुसार हैं:

रूपए मिलियन में

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2023 को
		लाभ एवं हानि के माध्यम से स्वीकृत	ओसीआई के माध्यम से स्वीकृत	
निम्न के संबंध में आस्थिगत कर शेष				
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	-	-	-
परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण	(166.59)	(23.25)	-	(189.84)
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	710.96	(11.19)	-	699.77
छरसूची हेतु प्रावधान	-	8.34	-	8.34
संभावित ऋण घाटा	262.04	186.32	-	448.36
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी तथा 40(क)(iक) के अंतर्गत अस्वीकृति	-	-	-	-
पट्टा शेष	-	-	-	-
अवशोषित धाटे	278.00	(114.29)	-	163.72
कुल	**1,084.41**	**45.94**	**-**	**1,130.35**

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को लाभ एवं हानि के माध्यम से स्वीकृत	ओसीआई के माध्यम से स्वीकृत	31 मार्च 2022 को
निम्न के संबंध में आस्थिगत कर षेश				
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियां	939.37	(939.37)	-	-
परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण	(151.69)	(14.90)	-	(166.59)
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	(193.29)	981.25	(77.00)	710.96
संभावित ऋण घाटा	241.30	20.74	-	262.04

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को लाभ एवं हानि के माध्यम से स्वीकृत	ओसीआई के माध्यम से स्वीकृत	31 मार्च 2022 को
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी तथा 40(क)(ic) के अंतर्गत अस्वीकृति	127.56	(127.56)	-	-
पट्टा शेष	0.86	(0.86)	-	-
गैर–आमेलित घाटे	-	278.00	-	278.00
कुल	**964.11**	**197.30**	**(77.00)**	**1,084.41**

कंपनी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का निर्माण कर रही है कि कंपनी को भविष्य में बेहतर निष्पादन की आशा है और तदनुसार, इस बात की निश्चितता है कि मान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्ति भविष्य के कर योग्य लाभों के प्रति वसूल की जाएगी।

47. संबंधित पक्ष प्रकटन

वर्ष 2022–23 के दौरान भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस–24) में अपेक्षित संबंधित पक्षों के नाम और पदनाम का प्रकटन।

क. संबंधित पक्षों की सूचीः (जैसा कि प्रबंधन इकाइयों द्वारा पहचाना गया है) जब तक अन्यता न कहा जाए।

i. इंड एएस–24 के संबंध में निम्नलिखित पक्ष संबंधित पक्ष हैं जो सरकार से संबद्ध कंपनियां हैं अर्थात महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावी कंपनियां (भारत सरकार):

क्र.सं	कंपनी का नाम	संबंध
1.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (13 जनवरी, 2022 से प्रभावी)	धारक कंपनी

ii. सहयोगी अनुशंगी कंपनियों की सूचीः

क्र.सं	कंपनी का नाम	संबंध
1	भारतीय होटल निगम लिमिटेड (एचसीआई)	सहयोगी अनुशंगी कंपनी
2	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)	सहयोगी अनुशंगी कंपनी
3	एयरलाइन एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल)	सहयोगी अनुशंगी कंपनी

ख. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्र.सं.	प्रमुख प्रबंधन कर्मी का नाम	पदनाम
1	श्री. विक्रम देव दत्त	अध्यक्ष (सीएमडी के रूप में 28 फरवरी, 2023 से कार्यमुक्त हुए)
2	श्री. सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	अध्यक्ष (01 मार्च, 2023 से सीएमडी के रूप में नियुक्त)
3	श्री. रामबाबू सीएच	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
4	श्री सत्य नारायण पांडा	मुख्य कार्यपालक अधिकारी (31 दिसंबर, 2022 से सीएफओ और केएमपी के रूप में पदमुक्त हुए)
5	विंग कमांडर. संदीप मल्होत्रा (सेवानिवृत्त)	मुख्य वित्तीय अधिकारी (28 दिसंबर, 2022 से CFO और 09 फरवरी 2023 से केएमपी के रूप में नियुक्त)
6	श्रीमती शशि भदूला	कंपनी सचिव

ग. समाप्त वर्ष के दौरान लेन–देन और संबंधित पक्षों के पास बकाया राशि इस प्रकार है –

i. वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों के पास कोई ऋण या क्रेडिट लेनदेन बकाया नहीं था।

ii. इंड एएस 24 के संदर्भ में, सरकार से संबंधित कुछ संस्थाओं के साथ लेन–देन से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं, अर्थात् महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार) और सरकार संबंधी पक्षों के अलावा अन्यः

(i) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन के संबंध में प्रकटीकरण: **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	**संचालन से राजस्व**		
	कार्मिक सेवाए/केबिन की सफाई	204.08	238.16
	बकाया वसूली योग्य पर ब्याज	21.87	68.33
	व्यय		
	विविध सेवाएं	12.42	0.06
एयरलाइन एलाइड सर्विस लिमिटेड (एलायंस एयर)	**संचालन से राजस्व**		
	ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व	281.49	191.05
	कार्मिक सेवाओं की आपूर्ति	0.59	0.24
	बकाया वसूली योग्य पर ब्याज	94.80	70.18
	व्यय		
	ड्यूटी व्यय पर कर्मचारी	1.25	0.77
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल – सेंटोर)	**व्यय**		
	स्टाफ होटल व्यय	7.52	2.19
	त्यौहार व्यय	2.27	-
	आयोजन व्यय	1.93	-
एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)	**संचालन से राजस्व**		
	जनशक्ति सेवाएँ	1.52	-
	व्यय		
	लागत की प्रतिपूर्ति	6.38	
	बकाया पर ब्याज देय	35.69	6.09

(ii) बकाया राशि **(रूपए मिलियन में)**

पक्ष का नाम	प्राप्य / देय	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	देय	(434.86)	(392.65)
एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	देय	(6.62)	514.54
एयरलाइन एयर एविएशन लिमिटेड	प्राप्य	1,290.47	911.13
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल – सेटोर)	देय	(5.58)	(2.61)

घ. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रतिपूर्ति **(रूपए मिलियन में)**

पक्ष का नाम	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
अल्पकालीन कर्मचारी लाभ	7.48	6.19
रोजगार पश्चात लाभ		-
अन्य दीर्घकालीन लाभ		-
अंतिम लाभ		-
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को कुल क्षतिपूर्ति	**7.48**	**6.19**

सेवा पश्चात भावी देयताओं के रूप में अन्य दीर्घकालीन तथा अंतिम लाभों के लिए प्रावधान समग्र रूप से कंपनी के लिए बीमांकक आधार पर किया जाता है और व्यक्तियों से संबंधित राशि निर्धारणीय नहीं है और इसलिए, इन्हें उपर शामिल नहीं किया गया है।

48. वित्तीय माध्यम – उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधकन

क. उचित मूल्यों का लेखांकन वर्गीकरण

निम्न तालिका, उचित मूल्य पदानुक्रम में उनके स्तरों सहित वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की अग्रणीत राशियों और उचित मूल्य को दर्शाती है। इसमें वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए उचित मूल्य की जानकारी शामिल नहीं है, जो उचित मूल्य पर नहीं मापी जाती है, यदि वहन राशि उचित मूल्य का एक उचित अनुमान है।

(रूपए मिलियन में)

31 मार्च 2023 को वित्तीय परिसंपत्तियां और देयतांएं	नोट सं	गैर चालू	चालू	कुल	लाभ और आनि माग द्वारा				ओसीआई मार्ग द्वारा				परिशोधित लागत पर वहन	कुल राशि
					स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल		
वित्तीय संपत्ति														
व्यापार प्राप्तियां	8	-	4,071.44	**4,071.44**	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,071.44**	**4,071.44**
अन्य वित्तीय संपत्ति	3 और 11	1,299.16	100.96	**1,400.12**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,400.12**	**1,400.12**
नकद और नकदी के समतुल्य	9	-	520.43	**520.43**	-	-	-	-	-	-	-	-	**520.43**	**520.43**
नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	10	-	1.73	**1.73**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.73**	**1.73**
कुल वित्तीय संपत्ति		**1,299.16**	**4,694.56**	**5,993.72**									**5,993.72**	**5,993.72**
वित्तीय देनदारियों														
पट्टा देयताएं	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार देनदारियां	22	-	1,621.64	**1,621.64**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,621.64**	**1,621.64**
अन्य वित्तीय देनदारियां	16 और 19	72.48	1,185.56	**1,258.04**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,258.04**	**1,258.04**
कुल वित्तीय देनदारियां		**72.48**	**2,807.20**	**2,879.68**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,879.68**	**2,879.68**

31 मार्च 2022 को वित्तीय परिसंपत्तियां और देयतांएं	नोट सं	गैर चालू	चालू	कुल	लाभ और आनि माग द्वारा				ओसीआई मार्ग द्वारा				परिशोधित लागत पर वहन	कुल राशि
					स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल		
वित्तीय संपत्ति														
व्यापार प्राप्तियां	8	-	3,499.33	3,499.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3,499.33	3,499.33
अन्य वित्तीय संपत्ति	3 और 11	9.17	1.13	10.30	-	-	-	-	-	-	-	-	10.30	10.30
नकद और नकदी के समतुल्य	9	-	776.18	776.18	-	-	-	-	-	-	-	-	776.18	776.18
नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	10	-	61.66	61.66	-	-	-	-	-	-	-	-	61.66	61.66
कुल वित्तीय संपत्ति		**9.17**	**4,338.30**	**4,347.47**	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,347.47**	**4,347.47**
वित्तीय देनदारियों														
पट्टा देयताएं	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार देनदारियां	22	-	1,458.24	1,458.24	-	-	-	-	-	-	-	-	1,458.24	1,458.24
अन्य वित्तीय देनदारियां	16 और 19	64.51	990.53	1,055.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1,055.04	1,055.04
कुल वित्तीय देनदारियां		**64.51**	**2,448.77**	**2,513.28**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,513.28**	**2,513.28**

31 मार्च 2021 को वित्तीय परिसंपत्तियां और देयतांएं	नोट सं	गैर चालू	चालू	कुल	लाभ और आनि माग द्वारा				ओसीआई मार्ग द्वारा				परिशोधित लागत पर वहन	कुल राशि
					स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल		
वित्तीय संपत्ति														
व्यापार प्राप्तियां	8	-	3,730.34	3,730.34	-	-	-	-	-	-	-	-	3,730.34	3,730.34
अन्य वित्तीय संपत्ति	3 व 11	12.71	95.74	108.45	-	-	-	-	-	-	-	-	108.45	108.45
नकद और नकदी के समतुल्य	9	-	43.46	43.46	-	-	-	-	-	-	-	-	43.46	43.46
नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	10	-	1.59	1.59	-	-	-	-	-	-	-	-	1.59	1.59
कुल वित्तीय संपत्ति		**12.71**	**3,871.13**	**3,883.84**	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,883.84**	**3,883.84**
वित्तीय देनदारियों														
पट्टा देयताएं	15	-	35.19	35.19	-	-	-	-	-	-	-	-	35.19	35.19
व्यापार देनदारियां	22	-	983.48	983.48	-	-	-	-	-	-	-	-	983.48	983.48
अन्य वित्तीय देनदारियां	16 व 19	52.17	897.70	949.87	-	-	-	-	-	-	-	-	949.87	949.87
कुल वित्तीय देनदारियां		**52.17**	**1,916.37**	**1,968.54**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,968.54**	**1,968.54**

ख. उचित मूल्य अनुक्रम

उचित मूल्य अनुक्रम इनपुट मूल्यांकन तकनीकियों पर आधारित है जो उचित मूल्य का मापन करने के लिए प्रयुक्त की गई है जो आमेलित किए जाने योग्य हैं या नही और इसमें निम्नलिखित 3 स्तर शामिल हैं :

स्तर 1: इनपुट प्रमुख परिसंपत्तियों और देयराशियों के लिए सक्रिय बाजार में कोट किया हुआ मूल्य (असमायोजित) हैं।

स्तर 2: इनपुट लेवल 1 के भीतर कोट न किए हुए मूल्य के अलावा हैं जो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्य) या अप्रत्यक्ष (मूल्य से उत्पन्न) रूप से परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए आमेलित किए गए हैं।

स्तर 3: इनपुट आमेलित किए जाने योग्य बाजार डाटा पर आधारित हैं। उचित मूल्य का निर्धारण इस अनुमान पर आधारित माडल का प्रयोग करके पूर्ण या इसके भाग के रूप में किया गया है जो न तो समान लिखत में आमेलित किए जाने योग्य वर्तमान बाजार लिखत के मूल्य से समर्थित हैं और न ही ये उपलब्ध बाजार डाटा पर आधारित हैं।

48.ख वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी को वित्तीय विवरणों से उत्पन्न निम्नलिखित जोखिमों का सामना होता हैरू

i. ऋण जोखिम

ii. नकदी जोखिम

iii. बाजार जोखिम – क. विदेशी मुद्रा और ख. ब्याज दर

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देयराशियां शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का प्रमुख उद्देश्य प्राप्य राशियों और नकद तथा नकदी समतुल्य को वित्तपोषित करना है जो प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनो से उत्पन्न होता है।

कंपनी उधार जोखिम, नकदी जोखिम और बाजार जोखिम का सामना करती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र इन जोखिमों का प्रबंधन की निगरानी करता है। निदेशक मंडल इन सभी जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए इनकी समीक्षा करता है तथा इनके लिए नीतियों का अनुमोदन करता है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः

(i.) ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि कोई ग्राहक या वित्तीय लिखत पर दर्ज कोई काउंटर पार्टी अपने संविदागत दायित्वों को पूरा करने में विफल होता है। ग्राहक ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी द्वारा केन्द्रीय रूप से किया जाता है और यह ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित स्थापना नीति, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के अध्याधीन है। आकलन के अनुसार परिभाषित व्यक्तिगत ऋण सीमाओं के आधार पर ग्राहकों की ऋण गुणवत्ता का आकलन किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि को ऋण का अधिक प्रभाव प्रमुख रूप से व्यापार प्राप्य राशियों से है। व्यापार प्राप्य राशियां मुख्यत गैर जमानती होती हैं, जो ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होती हैं। कंपनी जिस क्षेत्र में प्रचालन करती है उसकी निगरानी करती है। कंपनी ऋण अनुमोदन, ऋण सीमा निर्धारित करके तथा ग्राहक जिनको कंपनी कारोबार के सामान्य क्रम में ऋण प्रदान करती है, की ऋण योग्यता की सतत निगरानी करके इसका प्रबंधन करती है।

व्यापार प्राप्यों में समान विमानन उद्योग से ग्राहकों की संख्या शामिल है। बकाया राशियों का महत्वपूर्ण भाग इस समूह कंपनियों से है (यथा 60 प्रतिशत) और जिसके लिए प्रबंधन किसी ऋण जोखिम की संभावना नहीं मानती है। तदनुसार, समूह कंपनियों से प्राप्यों पर कोई संभावित ऋण घाटा नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनियों से प्राप्य राशियां पूर्ण रूप से वसूलीयोग्य मानी गई हैं और इसलिए ऐसी प्राप्य राशियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

समूह कंपनी और सरकारी प्राप्य राशियों के अतिरिक्त, अन्य पक्षों के संबंध में, ऋण जोमि का कोई व्यापक एकत्रण नहीं है। दर्शाए गए किसी भी वर्ष में किसी एक ग्राहक के प्रति राजस्व के 10 प्रतिशत या अधिक का भाग नहीं है। बकाया व्यापार प्राप्यों की मॉनीटरिंग नियमित आधार पर की जाती है और समयसीमा से अधिक के लिए देय राशियों के एकत्रण के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

सरलीकृत परिदृश्य के रूप में, कंपनी प्रावधान मेट्रिक्स का प्रयोग करके व्यापार प्राप्यों पर संभावित ऋण घाटों के प्रावधान करते हैं ताकि चूक भुगतानों को कम किया जा सके और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उपयुक्त प्रावधान किए जा सकें जहां कहीं बकाया राशियां लंबी अवधि के लिए देय हैं और उनके उच्च जोखिम शामिल है। प्राप्य राशियों के एकत्रण के हमारे एतिहासिक अनुभाव निम्न ऋण जोखिम को दर्शाते हैं। इसलिए, व्यापार प्राप्यों कों वित्तीय परिसंपत्तियों की एकल श्रेणी माना जाता है।

नीति के अनुसार प्राप्य राशियों को ओवरड्यू अवधि के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकत्रत किया जाता है यथा 6 माह : एक वर्ष से एक वर्ष से अधिक और एक से दो वर्ष।

कंपनी द्वारा प्रचालन किए जाने वाले वातावरण के आधार पर, प्रबंधन विचार करती है कि व्यापार प्राप्य (सरकारी विभागों से प्राप्य राशियों के अतिरिक्त) चूक (ऋण घाटा) के कारण है यदि भुगतान निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए देय हो गया है। इन प्रावधानकर्ता मापदंडों का परिकलन 36 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया प्राप्यों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, निम्नलिखित दरों का प्रयोग करके ईसीएल के लिए प्रावधान किया जाता हैः

समूह	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सरकारी कंपनी और समूह कंपनी सहित सभी पक्ष			
(क) पिछला देय जो 6 महीने से अधिक नहीं है	4.73%	3.40%	लागू नहीं
(ख) पिछला देय जो 6 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं है	9.46%	6.80%	लागू नहीं
(ग) पिछला देय 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से अधिक नहीं है	18.93%	13.60%	लागू नहीं
(घ) पिछला देय 3 वर्ष से अधिक है	100%	100%	लागू नहीं
सरकारी कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं	27.19%
समूह कम्पनी	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00%
अन्य पक्षकारों का तीन वर्ष तक का बकाया	लागू नहीं	लागू नहीं	27.19%
अन्य पक्षों का तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका है	लागू नहीं	लागू नहीं	100.00%
व्यक्तिगत आधार पर विशिष्ट ऋण जोखिम हानि	100%	100%	100.00%

संभावित ऋण घाटे के लिए स्वीकृति संचलन निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 का
वर्ष के आरंभ में शेष	1,009.37	958.75	521.93
जमा : ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले व्यापार प्राप्यों को स्वीकृति	750.06	231.72	436.82
घटा : युक्तिगत आधार पर विशिष्ट ऋण जोखिम घाटा	-	(181.10)	-
वर्ष के अंत में शेष	**1,759.43**	**1,009.37**	**958.75**

कंपनी ने इंड एएस–109 ''वित्तीय इंस्ट्रूमेंट'' की अपेक्षाओं के अनुसार प्रावधान मेट्रिक्स का प्रयोग करते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार और अन्य संविदागत प्राप्यों) के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 1759.43 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 1009.37 मिलियन रूपए) की राशि के समूह कंपनियों से इतर के पक्षों से व्यापार एवं अन्य संविदागत प्राप्य राशियों के लिए सरलीकृत परिदृश्य का प्रयोग करके 31 मार्च 2023 को संभावित ऋण घाटे के संचयी प्रभावों का परिकलन किया है।

(ii) **नकदी जोखिम प्रबंधन**

नकदी जोखिम वह जोखिम होता है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा करने में सामने आता है और जिसे नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रदायगी द्वारा निपटाया जाना होता है।

कंपनी का दृष्टिकोण कंपनी को गैर जरूरी हानि के बिना और कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाए बिना सामान्य और दबाव दोनों ही परिस्थितियों में देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी रखना है।

कंपनी का विश्वास है कि कुल नकद (बैंक जमा लियन सहित और इस पर भारित ब्याज जो देय न हो), प्रचालनों से सृजित निधि के आंतरिक भावी अनुमान और इसके पूर्ण उपलब्ध आहरित न किए गए रिवाल्विंग ऋण सुविधा शून्य (31 मार्च 2022 शून्य रूपए, 1 अप्रैल 2021 शून्य रूपए) सहित इसकी वित्तीय स्थिति कंपनी को कारोबार के सामान्य क्रम में इसकी भावी ज्ञात देयताओं को पूरा करने में समर्थ बनाएगी। तथापि, यदि नकदी आवश्यकता उत्पन्न होती है तो कंपनी को भरोसा है कि वह वित्तीय व्यवस्थाओं, भारमुक्त परिसंपत्तियो के मूल्य प्राप्त करके चालू पूंजी, प्रचालन और नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने मे समर्थ होगी।

प्रबंधन की निगरानी के अधीन कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रक्रिया निम्नानुसार है:

– भावी नकदी प्रवाह की निगरानी से दैनिक वित्तपोषण का प्रबंध करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
– अनुमानिक नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी स्थिति के रोलिंग अनुमान को बनाए रखना।
– विविध ऋण लाइनों को बनाए रखना।

निम्न विवरण रिपोर्टिंग डाटा पर वित्तीय विवरणों की शेष संविदागत परिपक्वताएं के बारे में है। संविदागत नकदी प्रवाह राशि सकल डिस्काउंट रहित है तथा इसमें भारित ब्याज जो देय नही है, शामिल है।

नकदी जोखिम प्रभाव

31 मार्च 2023 को

(रूपए मिलियन में)

विवरण	प्रतिधारण राशि	संविदागत नकदी प्रवाह			
		1 वर्ष तक	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
वित्तीय संपत्ति					
गैर चालू					
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	1,299.16	1,299.16	-	-	1,299.16
चालू					
व्यापार प्राप्य	4,071.44	4,071.44	-	-	4,071.44
नकद और नकद समकक्ष और अन्य बैंक शेष	522.17	522.17	-	-	522.17
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	100.96	100.96	-	-	100.96

31 मार्च 2022 को

(रूपए मिलियन में)

विवरण	प्रतिधारण राशि	संविदागत नकदी प्रवाह			
		1 वर्ष तक	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
वित्तीय संपत्ति					
गैर चालू					
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	9.17	9.17	-	-	9.17
चालू					
व्यापार प्राप्य	3,499.33	3,499.33	-	-	3,499.33
नकद और नकद समकक्ष और अन्य बैंक शेष	837.84	837.84	-	-	837.84
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	1.13	1.13	-	-	1.13

1 अप्रैल 2021 को

(रूपए मिलियन में)

विवरण	प्रतिधारण राशि	संविदागत नकदी प्रवाह			
		1 वर्ष तक	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
वित्तीय संपत्ति					
गैर चालू					
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	12.71	12.71	-	-	12.71
चालू					
व्यापार प्राप्य	3,730.34	3,730.34	-	-	3,730.34
नकद और नकद समकक्ष और अन्य बैंक शेष	45.05	45.05	-	-	45.05
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	0.14	95.74	-	-	95.74

वित्तीय देनदारियों

गैर चालू					
पट्टे की देनदारियां	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	52.17	52.17	-	-	52.17
चालू					
पट्टे की देनदारियां	35.19	35.19	-	-	35.19
व्यापार देनदारियां	983.48	983.48	-	-	983.48
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	897.70	897.70	-	-	897.70

(iii) **बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत का उचित मूल्य और नकदी प्रवाह का मान उपर नीचे होता है। बाजार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं यथा मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रतिफल को अधिकतम बनाकर स्वीकार्य पैरामीटरों के भीतर बाजार जोखिम प्रभाव को प्रबंधित करना और नियंत्रित करना है।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर का जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी ने कोई उधार नहीं लिया है।

ख. मुद्रा जोखिम

मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर मौजूदा विदेशी मुद्रा दरों में उतार चढ़ाव के प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब प्रचालन मुद्रा और कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों से प्राप्त अन्य मुद्रा के बीच विनिमय दरों में उतार–चढाव होता है।

विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रभाव

दिनाक 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार मुद्रा जोखिम का कंपनी पर प्रभाव के बारे में परिणात्मक डाटा का सारांश भारतीय रूपए में नीचे दिया गया है:

(यूएसडी और रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को		1 अप्रैल 2021 को	
	यूएसडी	भारतीय रू.	यूएसडी	भारतीय रू.	यूएसडी	भारतीय रू.
वित्तीय परिसंपत्ति						
चालू						
व्यापार प्राप्य	3.94	323.50	1.65	125.37	6.23	455.25
नकद और नकद समकक्ष और बैंक शेष		0.00	-	0.01	0.17	12.59
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**3.94**	**323.50**	**1.65**	**125.38**	**6.40**	**467.84**
वित्तीय देनदारियों						
चलू						
व्यापार देनदारियां	0.02	1.84	0.02	1.71	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियां			-	-	0.61	44.70
कुल वित्तीय देनदारियां	**0.02**	**1.84**	**0.02**	**1.71**	**0.61**	**44.70**

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका संगत विदेशी मुद्राओं के प्रति भारतीय रूपए में 5 प्रतिशत वृद्धि और कमी के लिए कंपनी की संवेदी विश्लेषण का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। 5 प्रतिशत की संवेदी दर का प्रयोग तब किया जाता है, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को विदेशी मुद्रा जोखिम रिपोर्ट किया जाता है और विदेशी विनिमय दरों में युक्तिसंगत स्तर तक संभव परिवर्तन के प्रबंधन आकलन को दर्शाते हैं। संवेदी विश्लेषण में केवल वे बकाया विदेशी मुद्रा शामिल हैं जो मौद्रिक मदों को दर्शाती हैं और सभी अन्य परिवर्ती कारकों के स्थिर रहते हुए विदेशी मुद्रा दरों में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए वर्ष के अंत में उनके अंतरण को समायोजित करते हैं। एक घनात्मक संख्या लाभ या इक्विटी में वृद्धि को दर्शाती है, जहां भारतीय रूपए संगत मुद्रा की तुलना में 5 प्रतिशत कम हो जाता है। संगत मुद्रा की तुलना में भारतीय रूपए में 5 प्रतिशत की कमी के लिए, लाभ या इक्विटी में तुलनात्मक प्रभाव पड़ता है, और इससे कम शेष ऋणात्मक होता है।

(रूपए मिलियन में)

विवरण	वृद्धि			(कमी)		
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्राप्य राशि						
यूएसडी / रू.	16.17	6.27	23.39	(16.17)	(6.27)	(23.39)
देय राशि						
यूएसडी / रू	(0.09)	(0.09)	(2.24)	0.09	0.09	2.24

49. अनुपात (रूपए मिलियन में)

वर्तमान अनुपात

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कुल मौजूदा परिसंपत्तियां	4,862.28	4,436.01
कुल मौजूदा देनदारियाँ	4,023.12	3,223.13
अनुपात	1.21	1.38
प्रतिशत परिवर्तन	**-12.19%**	**-14.91%**

ऋण इक्विटी अनुपात (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कुल ऋण	-	-
शेयरधारकों की इक्विटी	4,230.70	3,451.40
अनुपात	-	-
प्रतिशत परिवर्तन	-	-

ऋण सेवा कवरेज अनुपात (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
ईबीआईटी	-	-
कुल ऋण	-	-
अनुपात	-	-
प्रतिशत परिवर्तन	-	-

इक्विटी पर प्रतिफल का अनुपात (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	783.14	59.96
औसत हितधारकों की इक्विटी	4,230.70	3,451.40
अनुपात	18.51%	1.74%
प्रतिशत परिवर्तन	**965.61%**	**-102.79%**
कारण	**पिछले वर्ष के दौरान शुद्ध हानि की तुलना में इस वर्ष के दौरान हुए शुद्ध लाभ के कारण**	

इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2023 को
बेचे गए सामान की लागत	172.29	74.72
औसत दरसूची	41.06	60.71
अनुपात	419.66	123.09
प्रतिशत परिवर्तन	**240.94%**	**94.73%**
कारण	**पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान पुर्जों की खपत में वृद्धि के कारण।**	

व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
संचालन से राजस्व	8,944.73	6,988.51
व्यापार प्राप्तियों को बंद करना	3,785.38	3,614.83
अनुपात	2.36	1.93
प्रतिशत परिवर्तन	**22.23%**	**213.93%**

शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
संचालन से राजस्व	8,944.73	6,988.51
कार्यशील पूंजी	839.16	1,212.88
अनुपात	10.66	5.76
प्रतिशत परिवर्तन	**85.00%**	**197.18%**
कारण	**पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में वृद्धि के कारण।**	

शुद्ध लाभ अनुपात **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष के लिए लाभ	783.14	59.96
संचालन से राजस्व	8,944.73	6,988.51
अनुपात	8.76%	0.86%
प्रतिशत परिवर्तन	**920.54%**	**-101.27%**
कारण	**पिछले वर्ष की तुलना में अर्जित लाभ में वृद्धि के कारण।**	

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
असाधारण मद और कर जमा वित लागत से पूर्व लाभ	1,122.18	260.80
नियोजित पूंजी	6,716.72	5,945.00
अनुपात	16.71%	4.39%
प्रतिशत परिवर्तन	**280.85%**	**-112.09%**
कारण	**पिछले वर्ष की तुलना में अर्जित लाभ में वृद्धि के कारण।**	

निवेश पर प्रतिफल **(राशि मिलियन में, अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)**

विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
निवेश से आय	शून्य	शून्य
निवेश का समापन संतुलन	शून्य	शून्य
अनुपात	शून्य	शून्य
प्रतिशत परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**
कारण	**कोई निवेश नहीं किया गया**	

1. **कुल ऋण** = गैर–वर्तमान उधार + वर्तमान उधार
2. **ब्याज और कर पूर्व आय (ईबीआईटी)** = असाधारण मद और कर पूर्व लाभ + वित्त लागत
3. **बेचे गए माल की लागत** = उपभोग की गई सामग्री की लागत + स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद + तैयार माल की सूची में परिवर्तन और प्रगतिरत कार्य
4. **कार्यशील पूंजी** = कुल वर्तमान संपत्ति – कुल वर्तमान देनदारियां
5. **लगाई गई पूंजी** = कुल इक्विटी + कुल गैर चालू देनदारियां
6. **कुल इक्विटी** = गैर–नियंत्रित ब्याज (कम) को छोड़कर कुल इक्विटी/जमा (आस्थगित कर परिसंपत्तियां)/आस्थगित कर देयता (शुद्ध)

50. वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित और व्यय की गई विदेशी मुद्रा का विवरण निम्नलिखित है:

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**
विदेशी मुद्रा आय	1,960.48	1,023.57
खर्च की गई विदेशी मुद्रा (आयात भुगतान के लिए)	(3.03)	(156.64)
शुद्ध विदेशी मुद्रा आय	**1,957.45**	**866.93**

51. निगमित कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी द्वारा सीएसआर समिति का गठन किया गया है। सीएसआर समिति का प्राथमिक कार्य सीएसआर नीति तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करना और समय–समय पर उसके कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा करना है। सीएसआर नीति उच्च प्रभाव वाले सतत कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान देने पर केंद्रित है।

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि	-	-
किए गए व्यय की राशि	-	23.66
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति:		
क) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
ख) उपरोक्त 1 के अलावा अन्य उद्देश्य पर	-	23.66
वर्ष/अवधि के अंत में कमी	-	-
पिछले वर्षों की कुल कमी	-	-
कमी का कारण	-	-
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति : पीएम केयर फंड में योगदान		

52. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी के अध्यक्ष को इंड एएस 108, प्रचालन सेगमेंटों द्वारा मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) के रूप में निर्धारित किया गया है। सीओडीएम कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है और विभिन्न निष्पादन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है, तथापि, कंपनी प्राथमिक रूप से केवल एक सेगमेंट से संबंधित है यथा ''ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं'' और इसके सभी प्रचालन भारत के अंतर होते हैं। इसलिए, भारतीय लेखांकन मान 108 ''प्रचालन सेगमेंट'' के अनुसार कंपनी में कोई रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं है।

राजस्व के 10 प्रतिशत से अधिक वाले ग्राहकों का प्रकटनः

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
एअर इंडिया लिमिटेड	2,845.63	1,696.43

53. विवाद के अंतर्गत दंड

वर्ष 2022–23 के दौरान, मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेड (एआई) और मेसर्स एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) ने जुर्माने के लिए क्रमशः 121.41 मिलियन रुपये और 1.61 मिलियन रुपये की राशि का चालान जारी किया है। हालाँकि, एआईएएसएल की दृढ़ राय है कि एटर इंडिया और एलायंस एयर द्वारा लगाया गया जुर्माना एकतरफा है क्योंकि उन्होंने एआई और एएएएल के साथ किए गए मास्टर सेवा करार के खंड 36.2 के संदर्भ में संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित अपवाद रिपोर्ट प्रारूप (ईआरएफ) प्रदान नहीं किया है। इसलिए, इसका प्रावधान लेखा बहियों में नहीं किया गया है।

54. इंड एएस–116 : पट्टा देयता के लिए हवाईअड्डे स्थानों पर विचार न किए जाने पर स्पष्टीकरण नोट।

इंड एएस 116 के तहत उपलब्ध स्वीकृति छूट के अनुसरण में, अल्प अवधि के पट्टे, कम मूल्य की संपत्ति और उन परिसंपत्तियों, जो पिछले इंड एएस 17 के तहत कवर नहीं किए गए थे, कंपनी ने इंड एएस 116 के कार्यान्वयन के लिए समान छूट का लाभ प्राप्त किया है।

विभिन्न वाणिज्यिक परिसरों के लिए अन्य पट्टों के संबंध में, (खरीद/नवीनीकरण के विकल्प के साथ, लेकिन उसके टाइटल को अंततः स्थानांतरित किया या नहीं किया जा सकता हैं) जो कि विभिन्न स्थानों/स्टेशनों/क्षेत्रों में फैले हुए हैं, के संबंध में समयपूर्व समापन का प्रावधान है, जहां किसी भी पक्ष द्वारा 90 दिनों की नोटिस अवधि प्रदान करके इसे रद्द किया जा सकता है।

इनका मूल्यांकन लंबित रहने पर कंपनी ने अल्पावधि के पट्टों, कम मूल्य की परिसंपत्तियों और उन परिसंपत्तियों के संबंध में इंड एएस 116 के तहत आरओयू के रूप में विचार नहीं किया है, जो पिछली इंडएएस–17 के तहत कवर नहीं की गई थीं। कंपनी ने नई इंडएएस 116 के कार्यान्वयन के लिए समान छूट प्राप्त की है।

55. अनुसूची– III द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियामक जानकारी

(i) धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) स्वैच्छिक चूककर्ता

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(iii) कंपनियों के अनेक क्रमों का अनुपालन

कंपनी द्वारा कंपनियों के अनेक क्रमों का अनुपालन किया गया है।

(iv) व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना (योजनाओं) का अनुपालन

कंपनी ने व्यवस्था की ऐसी किसी योजना में प्रवेश नहीं किया है, जिसका वर्तमान या पिछले वित्तीय वर्ष पर लेखांकन प्रभाव पड़ता हो।

(v) उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग

(1) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को इस आशय के साथ अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया है कि, मध्यस्थः

क. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें, या

ख. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पक्ष प्रदान करे।

(2) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से इस समझ के साथ कोई वित नहीं मिला है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि, कंपनी :

क. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें, या

ख. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पक्ष प्रदान करे।

(vi) अघोषित आय

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में चालू या पिछले वर्ष के दौरान आय के रूप में कोई आय समर्पित या प्रकट नहीं की गई है, जिसे लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया है।

(vii) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण

कंपनी ने चालू या पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में कारोबार या निवेश नहीं किया है।

(viii) अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं

अचल संपत्तियों के सभी टाइटल डीड कंपनी के नाम पर हैं।

(ix) अटकी हुई कंपनियों के साथ लेन–देन

अटकी हुई कंपनियों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

56. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

भारतीय संसद ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को मंजूरी दे दी है, जो कंपनी द्वारा भविष्य निधि और ग्रेच्युटी उपदान के लिए योगदान को प्रभावित करेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 13 नवंबर, 2020 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिन पर मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। विषय के नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद कंपनी प्रभाव और उसके मूल्यांकन का आकलन करेगी और उस अवधि में अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रभाव देगी, जिसमें संहिता प्रभावी हो जाती है और वित्तीय प्रभाव निर्धारित करने के लिए संबंधित नियम प्रकाशित होते हैं।

57. पिछले वर्षों के आंकड़े

तुलनात्मकता के उद्देश्य से वर्तमान अवधि की प्रस्तुति के अनुरूप होने के लिए, जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हमारी संलग्नक समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 000075N

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डिन 07728790

हस्ता./–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डिन 10041387

हस्ता./–
सुभाष चंद्र मान
साझेदार
सदस्यता संख्या : 080500
यूडीआईएनः 23080500BGXRAU5748

हस्ता./–
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता./–
रामबाबू सी.एच.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता./–
श्रीमती शशि भदूला
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19.07.2023

AIR INDIA
express
AIX

10 साल की उत्कृष्टता

एआई एअरपोर्ट सर्विसेज़
AI AIRPORT SERVICES